खण्ड-365, अंक-8
गुरूवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(15 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 365 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—5
प्रश्नोत्तर	7—87
गन्ना समिति पिपराइच के गन्ना ग्राम सेवक श्री राम नरायन पाण्डेय द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
अयोध्या, फैजाबाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87—88
उत्तरौला, जिला गोण्डा में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टों में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88—89
सीताराम शुगर फैक्ट्री बैतालपुर, जिला देवरिया के मजदूरों के क्रमिक अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
चौक शाजार, गोरखपुर के थानाध्यक्ष द्वारा (लोकदल) कार्यकर्ताओं की पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . .	89
ग्राम परसौली (बाराबंकी) में सवर्णों द्वारा हरिजनों को कुओं से पानी न लेने दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	90—91
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के संबंध में सूचना की मांग सत्रकाल के दौरान राज्यपाल द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अध्यादेश जारी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	91
श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के समय किये गये व्यवहार की जांच के लिए गठित समिति के कार्य काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	91—103
गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-	

विद्यालय तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु वैध पाये गये नामों की सूचना	103—104
उत्तराखंड में श्री केदार नाथ तथा बद्रीनाथ आदि मंदिरों की उचित व्यवस्था हेतु उनकी मौजूदा प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	104—133
शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध एक स्वायत्तशासी संस्था को सुपुर्द किये जाने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	133—136
प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांट कर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग के संबंध में संकल्प (जारी)	136—137
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	137
प्रदेश में ओला वृष्टि से हुई जन-धन की क्षति के संबंध में वक्तव्य	137—142
पत्रावलियां	143—158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 15 मार्च, 1984 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डल, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 340

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिज्वी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्दिशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रु, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला द्विवेदी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गौरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)

गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
धम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दारा सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
ननद राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)

प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर-काशी)
बाबूराम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला" श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपीसंह कैन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरांज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राजकिशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
रजपाल सिंह, श्री मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)

राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह श्री (सुल्तानपुर)
रामसिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणिजी)
लल्ल् सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा0 (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
विरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)

शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानंद नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हीरद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेम चन्द निमेष, श्री मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 15 मार्च, 1984 ई0

नगर भूमि सीमा रोपण कार्यालय, लखनऊ की अनुपलब्ध पत्रावलियां

**1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि संयुक्त निदेशक, भूमि सीमा रोपण शहरी क्षेत्र कार्यालय लखनऊ से सीमा से अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी 8000 फाइलें गायब होने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसमें क्या जांच एवं कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)

जी हां । जांच कराये जाने पर सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ के कार्यालय की 8232 पत्रावलियां अनुपलब्ध पाई गयी हैं । सम्बन्धित कर्मचारियों के दायित्व निर्धारण एवं अनुपलब्ध पत्रावलियों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है । लखनऊ के इस कार्यालय से 8232 फाइलें जो पुराने राजा महाराजाओं, उद्योगपतियों, जमींदारों और तालुकेदारों से संबंधित थी उनकी साजिश से और बड़े-बड़े अधिकारियों की साजिश से करोड़ों रुपये की भूमि की पत्रावलियां गायब हो गयीं और आज तक उस पर कोई कार्यवाही ऐसी नहीं हुई जिससे इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होता । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम अधिकारी एक बहादुर हरिजन श्री संतबली सिद्धार्थ जिन्होंने पहली बार इस मामले को खोला क्या उनकी हत्या का प्रयास किया गया ? क्या उन पर हमला किया गया ? क्या उनको निरन्तर हत्या की धमकियां दी गयीं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि उन लोगों को विभाग में बचाया जा रहा है और वहां के निदेशक श्री पी0 एम0 एल0 श्रीवास्तव, जो 90 फीसदी अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको बचा रहे हैं ? इस अधिकारी की जान खतरे में है ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि करोड़ों रुपये के इस घोटाले के भंडाफोड़ होने के बाद उन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने यह फैसला लिया है, वाकई में यह मामला बहुत गम्भीर है और मैं तो माननीय सदस्य को जिन्होंने यह प्रश्न उठाया उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वे यह बात हमारी नोटिस में लाये हैं । मैंने निश्चय किया है कि इसकी जानकारी करने के लिए सी0 आई0 डी0 विभाग को शीघ्र सुपुर्द किया जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी बड़ी कृपा होगी हमें नियम-56

में अपनी बात कहने का मौका दूंगा। मैंने उसका नोटिस दिया हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए कि सिद्धार्थ जी ने इस्तीफा दिया हैं उससे प्रशासनिक जगत में हलचल मची हैं, निदेशक, श्रीवास्तव जांच में सब कुछ कर सकते हैं तो क्या वह आश्वासन देंगे कि निदेशक, श्रीवास्तव को तत्काल हटायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जो बातें कही गयी हैं और जो श्री सिद्धार्थ ने दो पत्र लिखे हैं उनको बताना चाहता हूं। उस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने बताया हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी जान खतरे में हैं तो इस सम्बन्ध में श्री संतबली सिद्धार्थ ने श्री पी0 एम0 एल0 श्रीवास्तव को पत्र लिखा हैं 25-2-84 को जिसमें लिखा हैं दिनांक 23-2-84 को विधान सभा में माननीय विधायक श्री श्याम लाल वाजपेयी ने मेरे सम्बन्ध में यह कहा हैं कि मुझे जांच करते समय बाहरी गुण्डों और बाबूओं ने पीटा हैं यह बात एकदम असत्य हैं।

दिनांक 20-11-83 को मैं बसन्त बल्लभ झील्डियाल, आई0 ए0 एस0, संयुक्त सचिव के यहां से सरकारी बात करके रैदास मंदिर के पास से लौट रहा था तो श्री मसलहुद्दीन सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, मेंटिनेंस, पी0 डब्लू0 डी0 की कार से मेरी जीप को टक्कर लगी जिसमें मुझे चोट आयी थी और इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना अलीगंज में लिखायी थी। मेरे साथ इसके अतिरिक्त और कोई दुर्घटना नहीं हुई और न ही मेरे कार्यालय के कर्मचारियों अथवा अवांछनीय तत्वों ने मारपीट ही की। दुर्घटना का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे कार्यालय की अनुपलब्ध पत्रावलियों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। मैंने थाना हजरतगंज में अपने ऊपर संकट की आशंका की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करायी हैं।

मान्यवर, दूसरी बात श्रीवास्तव के बारे में कही गयी हैं, तो इससे जाहिर होता हैं कि श्रीवास्तव में और उनमें कोई खास बात नहीं हैं। जब मामले की जांच होगी, मैं तुरन्त मामले को जांच के लिये हैन्ड-ओवर कर रहा हूं और यदि श्रीवास्तव दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री सिद्धार्थ, जो बाराबंकी जनपद के निवासी हैं, एक चरित्रवान पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं, उन्होंने पहली बार साहस किया और विभाग में जांच शुरू किया। मान्यवर, इस लखनऊ नगर के राजे महराजे और संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाबू और शहर के गुण्डों ने मिलकर उसको कार्यालय में मारा। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन बाबुओं और कर्मचारियों पर अब तक आपने क्या कार्यवाही किया हैं जबकि फाइलें गायब होने का मामला 2 साल से चल रहा हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने पत्र को पढ़कर सुना दिया जिसमें लिखा हैं कि मारा नहीं हैं और जो कार की दुर्घटना हुई हैं उसका भी पत्रावलियों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इसीलिये मा0 सदस्य का प्रश्न ही इससे पैदा नहीं होता हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

जांच शुरू किया इसलिये उनको पीटा गया और आप कह रहे हैं कि उससे संबंध नहीं है, तो यह भ्रांति है।

श्री बलराम सिंह यादव—

जो पत्र उनका आया है उसकी बात मानी जाये या आपकी सुनी हुई बात मानी जाये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने किससे पूछ कर प्रश्न किया और मंत्री जी आपने किससे पूछकर उत्तर दिया ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री जी ने यह कहा कि इस सारे प्रकरण में सी0 आई0 डी0 की जांच करायेंगे लेकिन इसका एक अहम पहलू यह है कि बड़े-बड़े अधिकारी, पुराने तालुकेदार, इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से मिलकर षड़यंत्र किया है और इस घोटाले को किया है। क्या मंत्री जी को मालूम है कि 2 साल पहले फाइलें गायब होने का मामला हजरतगंज में थाने में लिखाया गया था जिसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया चूंकि डी0 आई0 जी0 का साला फंस रहा था। तो ऐसी स्थिति में सी0 आई0 डी0 से जांच से पूर्व जो आज वहां कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको तत्काल वहां से स्थानान्तरण करके जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, अधिकांश लोगों का स्थानान्तरण वहां से हो गया है। जहां तक इस मामले को बेनकाब करने की बात है तो मैंने आश्वासन दे दिया है कि सी0 आई0 डी0 से इस सम्पूर्ण मामले की जांच शीघ्रातिशीघ्र करा दी जायेगी।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला शासन के संज्ञान में कब आया और तब से आज तक शासन ने क्या कार्यवाही किया है ?

दूसरी बात श्रीवास्तव जो डाइरेक्टर हैं जिनके कारण यह सारा मामला उलझता जा रहा है, उनको हटाने में क्या कठिनाई है, ताकि सही जांच हो सके ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मंत्री जी ने अभी कहा कि वहां से कुछ अधिकारियों को स्थानान्तरण कर दिया गया है, तो मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ अधिकारी वहां पर रोके गये हैं, वह इसलिए रोके गये हैं कि जो खराब काम हुआ है, उसको वह ठीक कर लें और फाइलें ठीक कर लें ? उन सबका स्थानान्तरण एक साथ क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात यह

है कि सीलिंग कानून के पीछे नीयत यह थी कि फालतू जमीन जिन लोगों के पास है उनसे निकालकर वह निर्बल और दुर्बल वर्ग के लोगों को दे दी जाए, पर इस तरह से वह सारी व्यवस्था चौपट कर दी गई है, मैं अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सहारनपुर में जो सीलिंग की जमीन थी वह वहां के अधिकारियों और बड़े लोगों की मिलीभगत से छूट दे कर फालतू जमीन नहीं निकल सकी है, तो क्या मंत्री जी इसके साथ-साथ सहारनपुर में भी विशेष जांच और सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे जो सीलिंग की जमीन में घोटाला हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्य लिखकर दे दें, उसकी जांच हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

लिखकर दे दीजिए।

श्री रियासत हुसैन—

मामले की गम्भीरता को देखते हुए जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है इसकी जांच सी0 आई0 डी0 के बजाए सी0 बी0 आई0 को देने में मंत्री जी को क्या परेशानी है, जिससे बाहर के अधिकारी आकर इस मामले में सारी जांच कर लें ? और जो पहले 5 बड़े आदमियों के नाम आपको दिये गये थे, जो इस मामले में इन्वाल्वड हैं, क्या उनके नाम आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मामले की विभागीय जांच हो रही है, अभी उत्तरदायित्व फिक्स नहीं हुआ है, और जब उत्तरदायित्व फिक्स हो जाएगा, तभी यह कहा जा सकता है कि कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियम 56 में भी इसकी सूचना प्राप्त हुई है। अतः नियम 56 की सूचनाओं को भी इस प्रश्न से सम्बन्धित जितने मामले हैं, उन सबको मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ में गोश्त की दुकानें

**2—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी इंदिरा नगर, लखनऊ में प्लाट संख्या सी-399 (चर्च के पास) के समीप 8-10 गोश्त की दुकानें अनधिकृत रूप से स्थित हैं जहां पर काटे गये जानवरों के अवशेष चील-कौवों द्वारा समीपवर्ती घरों में डाले जाते हैं तथा मारे गये जानवरों के खून तथा उनके मल की दुर्गन्ध से आस-पास के घरों में रहना स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त खतरनाक हो गया है ? स्थानीय जनता द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद दुकानदार दुकानों को नहीं हटा रहे हैं ? क्या सरकार इन दूकानों को वहां से अविलम्ब हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां यह अनधिकृत दुकानें हैं, किन्तु इन गोश्त की दुकानों में चिक पड़ी

रहती हैं और ऐसा प्रयास किया जाता हैं कि मांस के टुकड़े इधर उधर न बिखरने पायें। वातावरण के दुर्गन्धमय होने से बचाने के लिये स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान दिया जाता हैं।

इन दुकानों के लिये इन्दिरा नगर योजना के सेक्टर-5 के कोने में स्थित चबूतरों को आवंटित कर दिया गया हैं जिसमें हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जैसा मंत्री जी ने कहा यह अनधिकृत दुकानें हैं। जहां पर यह दुकानें हैं वहां पर ऐसे लोग और घर हैं जो मांसाहारी नहीं हैं, उनको इनके द्वारा गोश्त के फेंके टुकड़ों से बड़ी परेशानी होती हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह अनधिकृत दुकानें हैं और फिर भी आपने कहा हैं कि उस पर चिक लगी रहती हैं, तो आप इन अनधिकृत दुकानों को कितनी देर में हटाने की व्यवस्था करेंगे ? और जिन लोगों ने उन दुकानों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया हैं, क्या आप उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी करने की कृपा करेंगे वहां से हटाने के बावजूद ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में पहले भी उन्हें वहां से हटाने की कार्यवाही की गई किन्तु दो दुकानदारों की संघर्ष समिति हैं और जनप्रतिनिधियों ने इसमें बीच में पड़कर उनको वहां से नहीं हटाने दिया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

झांसी नगर, महोबा नगर तथा चरखारी नगर की पेयजल योजनाएं

*1—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की की कृपा करेंगे कि झांसी नगर, महोबा नगर तथा चरखारी नगर में भयंकर पेय-जल संकट के नियंत्रण हेतु वर्ष 1982-84 के बीच क्या-क्या योजनायें बनाई गयी हैं ? यदि नहीं बनाई गयीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

झांसी नगर में जल संकट के नियंत्रण हेतु वर्ष 1982-84 के बीच निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित तथा विरचित की गयी—

(1) पहूंब बांध से जल पम्प करने तथा दैतियाद्वार जलकल में जल-शोधन संयंत्र के निर्माण की 50 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की 34.787 लाख रुपये की योजना कार्यान्वित की गई।

(2) कुछ मोहल्लों में पाइप लाइन बिछाने की 3.74 लाख रुपये की योजना कार्यान्वित करके तुरन्त राहत दी गयी।

(3) 3 कुओं तथा 7 नलकूपों से जलसंपूर्ति आदि कार्यों की 29.99 लाख रु0 की योजना विरचित करके उस पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया हैं।

(4) संकट ग्रस्त मोहल्लों में 38 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाए गये।

महोबा तथा चरखारी नगरों के लिये समीप में कोई मितव्ययी स्रोत न होने के कारण योजना अभी तक नहीं बन पायी।

पिथौरागढ़ जिले के कतिपय विकास खंडों के अन्तर्गतत उचित दर की दुकानों द्वारा चावल का वितरण

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के विकास खण्ड धारचूला, कलाघाट तथा मुंसियारी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जो चावल प्रति यूनिट 15 किलो दिया जाता था, वह अब घटाकर दो किलो प्रति यूनिट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री जैराज गौतम)—

पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला तथा मुन्सियारी विकास खण्डों में 4 किलो प्रति माह प्रति यूनिट तथा झूलाघाट विकास खंड में 2 किलो प्रति माह प्रति यूनिट के हिसाब से चावल का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से कराया जा रहा है।

आवश्यकता से कम चावल का आवंटन प्राप्त होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित 8 किलो चावल प्रतिमाह प्रति यूनिट के हिसाब से वर्तमान में देना सम्भव नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी यह सरकार कहती है कि प्रदेश में हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे, लेकिन कम खिला-खिला-कर मारने की नियत इनकी साफ है क्यों कि एक ही जगह दो ब्लाकों में एक जगह 4 किलो चावल और दूसरी जगह एक किलो दिया जा रहा है, जबकि 8 किलो में भी पूरा नहीं पड़ता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि आखिर मुन्सियारी और झूलाघाट यूनिट में अन्तर के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, जहां पर 4 किलो चावल दिया जाता है, उनमें ज्यादातर पिछड़े और जनजाति के लोग ही रहते हैं और जहां पर दो किलो चावल दिये जा रहे हैं, वहां पर इतने गरीब लोग नहीं रहते हैं और यह कोटा तो यहां से जिलाधिकारी को चला जाता है, जो वहां की परिस्थितियों के अनुसार वह बंटवाते हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मा0 अध्यक्ष जी जैसा कि सभी जानते हैं कि पूर्वान्चल में खाद्यानों की बहुत कमी रहती है क्योंकि वहां पर अनाज कम पैदा होता है। मुन्सियारी में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर ज्यादातर जनजाति और गरीब लोग रहते हैं, लेकिन हमारी जानकारी यह है कि झूलाघाट में भी इसी प्रकार के लोग रहते हैं जिन्हें अब दो किलो चावल दिये जा रहे हैं परन्तु उन्हें पहले 8 किलो देते थे क्योंकि पूर्वान्चल में अधिक चावल ही खाये जाते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां की परिस्थितियों को देखते हुए जितना चावल अब मुन्सियारी में दे रहे हैं क्या उतना ही चावल झूलाघाट में भी देंगे ?

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या-2 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की रूचि पर लिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आबादी के परसेन्टेज के हिसाब से खाद्यान को एलाट किया जाता है, इस हिसाब से वहां का परसेंटेज 0.4 प्रतिशत आता है, इसलिये वहां पर 4 किलो प्रति यूनिट दिया जा रहा है । परन्तु यह जिलाधिकारी पर निर्भर है कि वह अपने यहां की स्थिति को देखते हुए कि कहां पर ज्यादा जनजाति के लोग हैं, कहां पर गरीब लोग अधिक हैं, उसी के अनुसार 2 किलो या 4 किलो वह बंटवाते हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने जो प्रतिशत का हिसाब बताया है उसी के सन्दर्भ में शासन से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी पूरे प्रदेश के हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र में जो चीजें वह लेते हैं जैसे जड़ी बूटियों, शिलाजीत, लासा, लकड़ी और चूने का पत्थर आदि क्या इनका भी कभी प्रतिशत निकाला है । अगर वहां से यह चीजें यहां आती हैं और वहां पर जो चीजें पैदा नहीं होती अनाज वगैरह तो क्या माननीय मंत्री जी यह 25 साल पहले वाली व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं कि लोग अपने जानवरों पर तिब्बत जायें और वहां से चावल आदि लायें ।

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में अनाज भेजते समय उन्हें बराबर अनाज दिये जाने का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है, यह चौधरी चरण सिंह वाली बात हमारे ऊपर लागू नहीं की जायेगी और हमें जिस तरह से अनाज मिलता रहा है, उसी तरह से मिलता रहना चाहिये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, पहाड़ों में अनाज 4 प्रतिशत जा रहा है जबकि होना चाहिए 4 प्रतिशत 25 हजार मैट्रिक टन चावल हमें मिलता है जबकि हमको चाहिए 75 हजार मैट्रिक टन । जब हमारे पास कोटा पूरा नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं ?

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने जैसाकि अभी अपने उत्तर में कहा कि प्रतिशत के हिसाब से हम उसको कैसे दें । मान्यवर, पर्वतीय अंचल में चावल होता नहीं है । यदि सरकार की नीति यही है तो फिर वहां पर चावल जाना ही नहीं चाहिए । वहां की अवस्था को देखते हुए, उनकी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या मंत्री जी वहां के चावल के कोटे को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, कोटा इसका बढ़ाया गया है नवम्बर और दिसम्बर में । पहले हम 925 मैट्रिक टन भेजते थे जब कि अब 1,000 मैट्रिक टन भेजा जाता है ।

श्री राम कुमार भार्गव—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि अगर वहां के लोगों को जीवित रखना है, वहां के लोगों का मुख्य खाना चावल ही है तो मुंसियारी और धारचूला के लिये चावल के कोटे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इसका बराबर प्रयास किया जा रहा है और कई प्रपत्र भी भेजे गये हैं, सचिव और मुख्य मंत्री की तरफ से भी

पत्र गये हैं लेकिन हमको ज्यादा चावल नहीं मिल पा रहा है। इधर, उधर के कांटे से हमने पहाड़ों को चावल दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि आप वहां चावल कितना भेजते हैं और कितना नहीं। प्रश्न एकदम सीधा है परन्तु उत्तर से पक्षपात बरते जाने की गन्ध आ रही है। कहीं एक किलो और कहीं चार किलो ये चावल दे रहे हैं और एक जगह पर दो किलो दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी एजेन्सी है जिसने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को दे दी है कि यहां अनजाति कम हैं और यहां गरीब कम हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, वहां के जिलाधिकारियों की रिपोर्ट है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर ऐसा नहीं है कि जिससे संतोष हो सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 4 किलो और दो किलो दिये जाने का रेट कब से लगाया गया है। क्या सरकार वहां की जरूरत को ध्यान में रखकर वहां पर प्रति यूनिट कोटा बढ़ाने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, यह 4 और 2 किलो पहाड़ों पर कब से है इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी, फिलहाल अभी वहां पर चावल की मात्रा बढ़ाने की कोई बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि पहाड़ों में चावल पैदा नहीं होता है और न गेहूं ही पैदा होता है तो सरकार को क्या कठिनाई है कि सरकार सम्पूर्ण जिम्मेदारी वहां के अनाज की सप्लाई करने से कतराती क्यों है, इसका क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, सरकार जिम्मेदारी लेने से कतराती नहीं है। जिम्मेदारी से उनको राशन भेजा जा रहा है।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, इस प्रश्न पर कई सप्लीमेंटरी हुई हैं। पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न का अभाव है, जो वस्तुएं वहां पर पैदा होती हैं, उनको वहां के लोग मैदानी भाग में भेज देते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां की जो आबादी है जहां पर खाद्यान्न नहीं होता है, तो क्या उनको प्लेन से चावल खरीद कर सब्सीडाइज्ड रेट में पूरी तौर पर 4 या 6 किलो जितनी उनकी आवश्यकता है, सप्लाई करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य का ख्याल है कि चावल यहां से खरीदा जाता है और पर्वतीय क्षेत्र को भेजा जाता है, चावल जो है वह केन्द्र से मिलता है और हम केन्द्र सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार कोटा बढ़ाने के लिये तैयार नहीं होती है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, पर्वतीय अंचल में लोग भूखों मर रहे हैं, उनको चावल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यह सरकार उनको चावल

भेजने की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। सरकार की इस पर्वतीय विरोधी नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

यह सरकार पहाड़ी इलाकों को खाद्यान्न नहीं पहुंचा रही हैं, वहां के लोग भूखों मर रहे हैं। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी सदन त्याग कर चले गये।)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, चावल की ही बात नहीं है, सारे खाद्यान्नों की पूर्ति पर्वतीय अंचलों में नहीं की जा रही है, सरकार की इस नीति के कारण चावल वहां पर नहीं पहुंच रहा है। पर्वतीय अंचलों के लोगों की भावना के साथ में अपने को जोड़ते हुए शासन की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(डाक्टर शिवानन्द नौटियाल भी सदन त्याग कर चले गये।)

[दिनांक 15 मार्च, 1984 ई0 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फर्रुखाबाद जिले के रस्तोगी मोहल्ला की पाइप लाइन

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर की घनी बस्ती रस्तोगी मोहल्ला फर्रुखाबाद में पाइप लाइन बदलने के विषय में प्रश्नकर्ता ने 3-7-83 को पत्र संख्या 243/का/83 द्वारा जिलाधिकारी फतेहगढ़ को लिखा था ? यदि हां, तो जल निगम द्वारा इस मोहल्ले में कब तक पाइप लाइन बदल दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, रस्तोगी मोहल्ला, फर्रुखाबाद में मार्च, 1984 तक पाइप लाइन डाले जाने की आशा है।

*2—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[दिनांक 23-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित]

बस्ती जिले की शोहरतगढ़ एवं बढ़नी टाउन एरिया में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण

*3—श्रीमती कमला साहनी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के शोहरतगढ़, बढ़नी टाउन एरिया में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था ? अब तक पेयजल वितरण न होने का क्या कारण है ? जनता को पेयजल कब तक उपलब्ध होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बस्ती जनपद के शोहरतगढ़ टाउन एरिया में एक नलकूप का निर्माण फरवरी 1979 में आरम्भ हुआ था जो पूर्ण हो चुका है। दूसरे नलकूप के निर्माण में स्थल परिवर्तन के कारण व्यवधान हो गया जिसके कारण इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

मई, 1984 तक एक नलकूप से सीधे पम्पिंग द्वारा पेयजल जनता को उपलब्ध करा दिये जाने की संम्भावना है।

बस्ती जनपद के बढ़नी टाउन एरिया में एक नलकूप के निर्माण का कार्य दिसम्बर, 1978 में आरम्भ किया गया था जो फरवरी, 1983 में पूर्ण कर लिया गया था है। दूसरे नलकूप के निर्माण का कार्य जनवरी 1979 में आरम्भ किया गया था परन्तु इसके स्थल के सम्बन्ध में कुछ भूम होने के कारण निर्माण कार्य में व्यवधान हुआ है। इस नलकूप का निर्माण अक्तूबर 1984 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

एक नलकूप से मार्च, 1983 से सीधे पम्पिंग द्वारा पेयजल जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रीमती कमला साहनी—

मैं जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि स्थल के सम्बन्ध में कुछ भूम होने के कारण निर्माण कार्य में व्यवधान हुआ। दोनों के बारे में कहा गया है कि भूम हो गया, तो क्या इसी तरह से यह पेयजल विभाग भूमित होता रहेगा या पेयजल की व्यवस्था भी की जायेगी और उसे उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने बताया है कि एक नलकूप तैयार हो गया है और उससे सीधे पम्पिंग करके पानी सप्लाई किया जायेगा, यह मैं आश्वासन देता हूं। दूसरे में नेपाल का बार्डर होने के नाते भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार से स्वीकृत्ति लेनी थी और इस कारण उसमें विलम्ब हुआ।

श्रीमती कमला साहनी—

शोहरतगढ़ नैपाल बार्डर पर नहीं है वह 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बार्डर पर कैसे कहते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वह मैंने बढ़नी के बारे में कहा है।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि यह नो मैंस लैंड है। इधर हिन्दुस्तान और उधर नेपाल है। तो कैसा विवाद उत्पन्न हो गया है, क्या मामला है यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसके संबंध में भारत सरकार से आज्ञा लेनी थी तो भारत सरकार से आज्ञा लेने में विलम्ब हुआ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसाकि माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि बढ़नी में रेलवे के पास एक टंकी जल निगम की बनी हुई है और यह बहुत पहले तैयार हो गयी थी तो इस टंकी से पानी न सप्लाई करके दूसरी टंकी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। शोहरतगढ़ में मैंने देखा है कि वहां पर बहुत पहले ट्यूबवेल बनकर तैयार है तो उसका पानी शोहरतगढ़ में न सप्लाई करके अलग टंकी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। एक एक टंकी दोनों एरिया में पर्याप्त हैं। क्या इनसे दूसरी टाउन एरियाज को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसका फैसला श्रीमती कमला साहनी और पाण्डेय जी कर लें तो अच्छा रहेगा।

*4—श्री नन्द किशोर सिंह—

[दिनांक 23-2-84 को अतारांकित प्रश्नसंख्या 140 द्वारा उत्तरित।]

कानपुर के तिरपाल वाले मैदान में जल भराव

*5—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी हैं कि श्री हीरामन पुरवा जनपद कानपुर में लगभग एक साल (82-83) से तिरपाल वाले मैदान और आस-पास की गलियों में 2-2 फिट पानी भरा हुआ हैं और वहां रहने वालों के रास्ते बन्द पड़े हैं, परन्तु वहां पर सीवरेज का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ ? यदि हां तो क्या इस वर्ष कोई कार्य किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रशासक, कानपुर महापालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार तिरपाल वाले मैदान और आसपास के क्षेत्र में गंदा पानी नहीं भरा हैं। छठी पंचवर्षीय योजना काल में सीवर कार्यों के लिए धन की कमी के कारण सीवर का कोई नया कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

नत्थी 'ग' के अन्तर्गत मेरा प्रश्न संख्या-5 हैं, मान्यवर, उसे ले लें। मैं उस समय था नहीं।

श्री अध्यक्ष—

श्री रेवती रमण सिंह उस समय सदन में नहीं थे, उनका प्रश्न संख्या 5 हैं, जो नगर विकास मंत्री से संबंधित हैं, इसको पहले ले लिया जाय।

श्री रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को यह मालूम हैं कि बरसात में इन तमाम स्थानों जैसे तिरपाल वाले मैदान में और आस-पास के मोहल्लों में पानी भरा रहता हैं, जिससे वहां के लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता हैं और गन्दगी भी फैलती हैं जिससे तरह तरह के संक्रामक रोग फैलते हैं ? विश्व बैंक से कानपुर नगर महापालिका के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि सीवर लाइन ठीक करने के लिये और रोड ठीक करने के लिये दी गयी हैं। मैं जानना यह चाहता हूं कि कितनी धनराशि दी गयी हैं और क्या उसमें यह कार्य नहीं किया जा सकेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कानपुर के लिये 309 लाख रुपये की एक योजना बनायी गयी हैं। इसमें कानपुर में जो सीवर कार्य प्रस्तावित हैं, वे इस प्रकार हैं—

1—अहातों के बाहरी क्षेत्र में सीवर व्यवस्था . .	60 लाख रु0
2—सीवर संयोजन कार्य . .	133 लाख रु0
3—कैनाल पटरी के साथ सीवर बिछाना . .	56 लाख रु0
4—सीसामऊ नाले को जाजमऊ ट्रंक सीवर से जोड़ना . .	30 लाख रु0
5—पुराने कानपुर के अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन तथा गुप्तार घाट नये पंपिंग स्टेशन का निर्माण . .	30 लाख रु0

ऐसी योजना बनायी गयी हैं। इसका कार्यान्वयन सम्भवतः छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ही हो जायगा।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा हैं कि छठी पंच वर्षीय योजना

में कार्य कराना सम्भव नहीं होगा, अभी यह कह रहे हैं कि छठी पंच वर्षीय योजना में कार्य पूरा हो जायगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 309 लाख रु0 छठी योजना में खर्च हो जायगा और उसके अन्तर्गत यह काम भी पूरा हो जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि सीवर व्यवस्था के लिये, पूरे प्रदेश के लिये, 18 करोड़ रुपया छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मिला है। सिर्फ कानपुर की अपनी मांग, जिनकी योजना पूरी सीवर व्यवस्था को ठीक करने की है, 15 करोड़ रुपये की है। इन परिस्थितियों में हर जगह काम नहीं हो सकता है। जो योजना बैंक की है यह 309 लाख रु0 की है, यह पैसा इस योजना पर ही खर्च होगा लेकिन आपने जो समस्या सामने रखी है उसको भी पूरा करने का प्रयास करूंगा, कोई न कोई रास्ता निकलेगा।

श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हीरामनपुरवा में ही विगत 6 माह के अन्दर सीपेज और सीवर की पाइप-लाइन टूट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल दहलवी—

अभी कुछ समय पहले माननीय राजीव गांधी ने कानपुर का पैदल भ्रमण किया था और कई स्थान उनको दिखाये गये थे, सड़कें दिखायी गयी थीं, जहां पानी भरा था और बदबू आ रही थी। उनको चलने में भी परेशानी आयी। ऐसे स्थानों में जो प्रश्नगत स्थान हैं हीरामन पुरवा क्या राजीव जी वहां भी गये थे, ? यदि हां, तो क्या उसको ठीक करने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिये थे।

श्री बलराम सिंह यादव—

राजीव गांधी ने सरप्राइज विजिट कानपुर शहर की कुछ बस्तियों का किया था लेकिन इस बात की निश्चित जानकारी नहीं है कि वे किस बस्ती में गये थे किस में नहीं गये थे। मैं स्वयं 40-45 बस्तियों में घूमा हूं और "ऐक्शन प्लान" तैयार कराया है 90 दिन का, अधिकारियों को निर्देश दिया है, जो भी साधन उपलब्ध हैं उसके अन्दर यथासम्भव जो भी मदद की जा सकती है सफाई आदि की व्यवस्था के लिये, वह की जा रही है।

*6—श्री जयदीप सिंह बरार—

[दिनांक 23-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या—2 द्वारा उत्तरित]

कानपुर, जरीब चौंकी से ग्वाल टोली तक रेलवे लाइन की भूमि पर सड़क निर्माण की मांग

*7—श्री भूधर नारायण मिश्र—(अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित जरीब चौंकी से लेकर ग्वाल टोली तक रेलवे लाइन की भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से लिए जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कानपुर स्थित जरीब चौंकी से ग्वाल टोली तक रेलवे साइडिंग की भूमि पर सड़क बनाने की योजना तैयार की गई थी जिसके लिये भूमि प्राप्त करने हेतु समय-समय पर रेलवे प्रशासन से प्रयास किया गया परन्तु इस भूमि के मूल्य के दर के संबंध में निर्णय न हो सकने के कारण यह भूमि विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हो सकी ।

स्वास्थ्य विभाग के समूह 'ग' के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*8—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अर्द्ध0 शा0 प0 सं0 16/3/80, कार्मिक 2 लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 1983 के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के वर्ष 83-84 में समूह 'ग' के कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिला एवं मण्डल से बाहर न करने का निर्देश था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग में समूह 'ग' के कर्मचारियों का स्थानान्तरण मण्डल से बाहर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा जुलाई, 1983 के अंतिम सप्ताह में संयुक्त निदेशक मलेरिया, उ0 प्र0 को कोई पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और उन कर्मचारियों को पुनः उनके अपने ज़िले में उपरोक्त शासनादेशानुसार वापस कब तक किया जायेगा ?

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हीर सिंह)—

जी हां ।

जी हां समूह "ग" के कतिपय कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर मण्डल से बाहर भी किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर पुनर्विचारोपरान्त पत्र में इंगित प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का स्थानान्तरण पूर्ण सूचना प्राप्त करने तक के लिये निदेशालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब शासन ने एक निर्णय ले लिया है कि यह जो "ग" श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका स्थानान्तरण मंडल के बाहर नहीं किया जा सकता है । तो कौन से ऐसे प्रशासनिक कारण हैं जिससे उन्हें मंडल से बाहर स्थानान्तरित किया गया ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हीर सिंह)—

मान्यवर, इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि उच्चाधिकारियों के व्यक्तिगत स्वार्थ या बदले की भावना से कुछ "ग" श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण मंडल से बाहर कर दिया गया है जिससे विभागीय निर्देशों की अवहेलना हुयी है । यदि हां तो इस प्रकार से विभागीय आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हीर सिंह—

मान्यवर, इसमें आदेशों का खंडन या अवहेलना नहीं की गयी है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिले के बाहर कर दिया गया हैं। एक विधायिका के पति को प्रशासनिक अधिकारी मंत्री जी द्वारा गोरखपुर सिविल अस्पताल में बना दिया गया हैं। इसीलिये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण बाहर कर दिया गया हैं और उनके साथ अन्याय किया गया हैं।

श्री लोकपति—

इनका कहना हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको जिले के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप इस पर पुनः विचार करेंगे और बाहर नहीं भेजेंगे ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, ऐसी कोई बात नहीं हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बाहर नहीं भेजा जाय। मानवीय दृष्टिकोण से शासन का प्रयास रहता हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके जनपद में ही गृह स्थान से दूर रखा जाय। अगर कोई प्रशासनिक कार्यवाही करनी पड़ती हैं तो जनपद के बाहर ट्रांसफर किया जाता हैं और मंडल के बाहर भी कर दिया जाता हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इसको मैं अपनी जानकारी के अनुसार थोड़ा सा साफ कर दूं। माननीय सदस्या श्रीमती किशोरी शुक्ला के पति अस्पताल में इक्सटेंसन एजूकेटर के पद पर रहते हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्रीमती किशोरी शुक्ला के पति के विरुद्ध कुछ अन्य पार्टी के लोगों ने शिकायत किया हैं, जिससे संबंधित शिकायती पत्र मंत्री जी को भी आया होगा। इस भावना से यह पता चलता हैं कि दोनों माननीय सदस्यों के बीच तनाव हैं, जो अपने-अपने रिस्तेदार व पति के संरक्षण के संबंध में हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य हैं कि इसी रंजिश से श्रीमती गौरी देवी, माननीय सदस्या के रिश्तेदार जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको जिले से बाहर भेजा गया हैं ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

श्री लोकपति—

प्रश्न को मान्यवर, आप स्वयं देख लें कि चार भागों में इन्होंने बांटा हैं क्या सरकार बतायेगी कि अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 16/3/80 कार्मिक 2-लखनऊ, दिनांक 12 अप्रैल, 1983 के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के वर्ष 1983-84 में समूह 'ग' के कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिला एवं मण्डल से बाहर न करने का निर्देश था ? तो इन्होंने स्वीकार किया कि जी हां। तो फिर मंडल और जिले से बाहर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने का क्या कारण हैं ? मान्यवर, प्रश्न के चौथे भाग में इन्होंने स्वीकार किया हैं कि प्रश्नगत पत्र पर पुनर्विचारोपरान्त पत्र में इंगित प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्थानान्तरण पूर्ण सूचना प्राप्त करने तक के लिए निदेशालय द्वारा स्थगित कर दिया गया हैं, फिर बीच में जांच के दौरान स्थानान्तरण किये जाने का क्या कारण हैं ? मान्यवर, कौन सी सूचना सही हैं ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, जी जो उत्तर हैं, वह प्रश्न से संबंधित हैं जो उत्तर दिया गया हैं, वह

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, जिसमें यह प्रश्न हुआ था कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके जनपद के बाहर किया जाता है या नहीं किया जाता है ? तो उस पर उत्तर था कि मानवीय दृष्टिकोण से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके गृह जनपद के बाहर नहीं किया जाता, अपने ही जनपद में रखा जाता है मगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो उनको गृह जनपद और गृह मंडल के बाहर भी रखा जाता है ।

श्री मित्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रशासनिक आवश्यकतायें और कठिनाई पैदा हो गयी कि जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद और मंडल के बाहर किया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात को स्वयं जानते हैं कि गोरखपुर जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है । कई बार उन्होंने जांच भी कराया है और काफी तथ्य प्रकाश में आये हैं । इन छोटे कर्मचारियों को केवल इसीलिए हटाया जा रहा है कि यह लोग भ्रष्टाचार का राज न खोलने पायें, वैसे इन छोटे कर्मचारियों की अपनी यूनियन है और इससे भी नाराज होकर जिला स्तर के अधिकारियों ने निदेशालय से स्थानान्तरण करवाया है । गोरखपुर अस्पताल के तीन स्टोरों को और कागजात को अगर आज ही मंत्री जी सीज करा कर सारे मामले की उच्च स्तरीय और गहरी जांच करायें, तो कम से कम 50 हजार रुपये का गबन प्रकाश में आयेगा । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है, तो उसकी वह प्रशासनिक जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करें । स्थानान्तरण कोई दण्ड नहीं है, इसीलिए स्थानान्तरण निरस्त करने का आश्वासन देंगे ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों या यूनियन के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण जिले या मंडल के बाहर हुआ है, उसको निरस्त कर और यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है, तो उसकी प्रशासनिक जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति—

श्रीमन् उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस समय स्थानान्तरण रोक दिया गया है, जांच हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह तो स्थानान्तरण रोकने की बात माननीय मंत्री जी ने उसके लिए किया है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप अपने स्थान पर बैठें ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा बैठ गये)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी ने केवल एक कर्मचारी की बात कही है । मेरा कहना है कि अनेकों कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ है, गोरखपुर का है, उसका स्थानान्तरण गढ़वाल कर दिया, उन्नाव भेज दिया गया तो इस प्रकार के जो तमाम कर्मचारी हैं, उनका स्थानान्तरण निरस्त कर उसकी जांच करवायेंगे ? क्या माननीय मंत्री जी

उनका स्थानान्तरण निरस्त कर उनकी जांच करवायेंगे ? क्या माननीय मंत्री जी उनके स्थानान्तरण निरस्त करने का आश्वासन देंगे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि आपके पूरे प्रदेश के सफाखानों में भ्रष्टाचार होने का मुख्य कारण यह है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 15 सालों से वहां जमे हैं, उनका स्थानान्तरण आप नहीं कर पाये । क्या कोई निर्धारित अवधि चाहे पांच साल हो छः साल हो मुकर्रर करेंगे कि एक सफाखाने में इस ग्रेड का आदमी इतने दिन रहेगा और उसका सख्ती से पालन कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी बात कह रहे हैं ।

श्री लोकपति—

इस सुझाव से मैं, सहमत हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी एक रस्साकसी हो रही है । एक माननीय सदस्या के पति और एक माननीय सदस्या के रिश्तेदार का मामला है । माननीय मंत्री जी अपने दल के नाते मजबूत पड़ रहे हैं । मेरे पास एक पत्र है जो चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को लिखा गया है । इस पर नगर जनता पार्टी, कांग्रेस (स) और जन सेवी संस्थाओं के हस्ताक्षर हैं । यह श्री शिवशंकर शुक्ल को हटाने से संबंधित है । जब से सत्र शुरू हुआ, विधायिका के रिस्तेदार की शिकायत की गई, उसका स्थानान्तरण स्थगित है । मैं इस पत्र को आपके पास भेज रहा हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी दोनों माननीय सदस्या को बुलाकर जो आपस में मतभेद हैं, उसको सुलझा दें और इस रस्साकसी को समाप्त करायें और पत्र का अवलोकन करें, जो मैं आपके माध्यम से भेज रहा हूं ।

श्री लोकपति—

मान्यवर, आप ही दोनों माननीय सदस्या को बुला लें ।

श्री अध्यक्ष—

इन्हें कहिये ये बुला लें ।

उ0 प्र0 खाद्य एवं रसद राजपत्रित अधिकारी संघ का ज्ञापन

*9—श्री मोहन सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ उ0 प्र0 खाद्य एवं रसद राजपत्रित अधिकारी सेवा संघ लखनऊ का कोई ज्ञापन दि0 7 जुलाई, 1983 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जैराज गौतम—

जी हां । उ0 प्र0 खाद्य एवं रसद राजपत्रित अधिकारी संघ का अहस्ताक्षरित एवं दिनांक रहित ज्ञापन प्राप्त हुआ था । ज्ञापन में उल्लिखित मांगों में 3 आंशिक रूप से स्वीकार हो चुकी हैं । एक मांग पर वांछित व्यवस्था पहले से ही थी । 3 मांगें विचाराधीन हैं तथा 5 मांगें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अहस्ताक्षरित ज्ञापन इसीलिये दिया गया हैं कि उनके संघ को विधिवत शासन ने मान्यता नहीं दी हैं। लेकिन राजपत्रित अधिकारियों की समस्याओं को रखा हैं जो उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और उनका निराकरण आवश्यक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी तीन मांगे हैं जिनको स्वीकार किया गया हैं और 5 कौन सी ऐसी हैं जिनको न स्वीकार करना शासन के लिये आवश्यक हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य का तीन आंशिक माँगों का प्रश्न हैं। पहली मांग उनकी यह थी कि सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को रु0 850-1720 का वेतनमान दिया जाए। वेतन आयोग ने जिलापूर्ति अधिकारी के सभी पदों के लिये रु0 850-1720 के वेतनमान की संस्तुति की थी किन्तु शासकीय संकल्प यह हुआ कि जो अधिकारी रु0 550-1200 के वेतनमान में हों, उन्हें रु0 850-1720 का तथा जो अधिकारी रु0 450-950 के वेतनमान में हों, उन्हें रु0 770-1600 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाए। तद्नुसार ही ये आदेश निर्गत किये गये हैं कि जिलापूर्ति अधिकारी के 31 पदों पर रु0 770-1600 का एवं 25 पदों पर रु0 850-1720 का वेतनमान अनुमन्य होगा तथा जो अधिकारी रु0 650-1300 के पुराने वेतनमान में वेतन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें रु0 1000-1900 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

दूसरी मांग यह थी कि ज्येष्ठता सूची बनवाकर स्थायीकरण तुरंत किया जाय यदि ज्येष्ठता सूची बनने में समय लेंगे तो वर्ष 1976 में प्रकाशित ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही तदर्थ पदोन्नतियां कर दी जाएं। इसमें यह कार्यवाही की गई। विभागीय अधिकारियों का लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन होने के पश्चात् ही पारस्परिक ज्येष्ठता सूची तैयार करना सम्भव होगा। किन्तु सीधी भर्ती के नियमित नियुक्त जिलापूर्ति अधिकारियों का स्थायीकरण कर दिया गया हैं। निर्विवाद ज्येष्ठता वाले जिला पूर्ति अधिकारियों की सहायक खाद्य आयुक्त के पद पर प्रोन्नति की जा चुकी हैं।

तीसरी मांग ओ0 सी0 (आपूर्ति) की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इसमें जून, 1983 में यह आदेश भेज दिया गया हैं कि जहां अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति तैनात नहीं हैं, उस जनपद में जिलापूर्ति अधिकारी से आपूर्ति विभाग का कार्य सम्पन्न करायें। किसी अन्य अधिकारी को आफिसर इंचार्ज नियुक्त न करें। यह भी सुझाव जिलाधिकारी को दिया गया हैं कि यदि आवश्यक समझें तो किसी अतिरिक्त जिलाधिकारी को आपूर्ति कार्य से सम्बद्ध कर सकते हैं। इसके बाद जो मान्य नहीं हैं कहें तो उसको पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं उसकी मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहन सिंह—

इन मांगों में क्या एक मांग ऐसी भी हैं कि जहां कहीं भी अपर जिलाअधिकारी (आपूर्ति) के पद हैं, उनको समाप्त किया जाय क्योंकि जिलापूर्ति अधिकारी को प्रोन्नत करके क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया हैं। हमारी

जानकारी के अनुसार ए0 डी0 एम0 सप्लाई के पद जहां हैं वहीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं। उन दोनों में अनुभव के आधार पर यह देखा जाता है कि आपस में कसमकस और शीत युद्ध चलने लगता है और राजनीति का सिलसिला जारी हो जाता है। जो उनकी मांग है कि ए0 डी0 एम0 के पद को समाप्त किया जाय, क्या शासन इस पर विचार करेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसको शासन ने अस्वीकार किया है।

मुरादाबाद के सीमेन्ट डीलर श्री अमीचन्द्र की गोदाम पर पकड़ी गयी सीमेन्ट

*10—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 19-6-82 को 4 बजे शाम श्री अमीचन्द्र सीमेंट डीलर, काजी सराय जनपद मुरादाबाद के गोदाम पर एक ट्रक जिसमें 234 बोरी सीमेन्ट लदा था, खाद्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया जिसकी प्रथम रिपोर्ट कोतवाली, मुरादाबाद में उसी दिन लिखवायी गयी ? क्या यह सही है कि वह सीमेंट बी0 डी0 ओ0 छजलेट, श्री मेहरोत्रा ने ए0 डी0 एम0 (एस) द्वारा परमिट से हासिल करने के बाद भेजा था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जैराज गौतम—

दिनांक 19-6-82 को खाद्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 234 बोरी सीमेंट श्री अमीचन्द्र सीमेंट विक्रेता के गोदाम एवं उस गोदाम के निकट ट्रक तथा हथठेले से बरामद की गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन थाने में लिखायी गयी, परन्तु यह सीमेंट बी0 डी0 ओ0, छजलेट ने ए0 डी0 एम0 (एस0) से परमिट प्राप्त करके नहीं भेजी थी।

पुलिस द्वारा की गयी विवेचना के फलस्वरूप ये तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 19-6-82 को पकड़ी गयी सीमेंट मेसर्स बृज कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, भगवानपुर मुरादाबाद की थी जो उन्हें शासन तथा जिलापूर्ति कार्यालय, मुरादाबाद द्वारा गोदाम में रखा दी थी। इस गोदाम को गयी थी। उक्त फर्म ने यह सीमेंट मेसर्स एस0 एन0 मिश्रा राइस मिल, अगवानपुर के गोदाम में रखा दी थी। इस गोदाम को खाली करने के उद्देश्य से उक्त फर्म ने प्रश्नगत सीमेंट को नये गोदाम में स्थानान्तरित करने के लिए भेजी गई थी जो दिनांक 19-6-82 को पकड़ी गयी। विवेचना के फलस्वरूप कोई अपराध न बनने के कारण पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 9-2-84 को भेज दी गई है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, एक ही बात का उत्तर बता दें जो नया गोदाम बताया है शिफ्ट करने के लिए कहा है उस गोदाम की लोकेशन क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लोकेशन की सूचना की आवश्यकता है।

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के स्टोर से औषधि की चोरी

*11—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के स्टोर से रु0 21,000 रु0 की मूल्य की औषधि चोरी का मामला

वर्ष 1981-82 में प्रकाश में आया है" ? यदि हां, तो मामले की जांच रिपोर्ट क्या है" और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है" ?

श्री हीर सिंह—

जी हां । चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21-2-1982 को थाना कोतवाली फैजाबाद में दर्ज करायी गयी । पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई । जांच के पश्चात् न तो चोरी के माल का पता लग पाया और न ही अभियुक्त का पता लग सका । फलस्वरूप पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी और इस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात् मामले की विभागीय जांच में भी किसी कर्मचारी का दोष प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी यह तो कड़ा खा गये फल कहां से लगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 21,000 रु0 की दवाओं की चोरी हुई । इसमें पुलिस में रिपोर्ट को किसने अंकित कराया है" इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है" ?

श्री हीर सिंह—

मान्यवर, रिपोर्ट फार्मासिस्ट सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा की गयी है" दरोगा कामता प्रसाद ओझा इस मामले की जांच कर रहे है" ।

श्री मित्रसेन—

रिपोर्ट क्या किसी चिकित्सालय के अधिकारी या कर्मचारी पर की गयी है" ? विभागीय अधिकारी कौन है" ? किसने जांच की है" ? तथा रिपोर्ट में नामजद किसको किया गया है" ?

श्री हीर सिंह—

रिपोर्ट नामजद नहीं है" ।

श्री मित्रसेन—

पुलिस ने फाइनल लगा दिया । विभाग से जांच करायी गयी तो इन्होंने विभाग में किससे जांच करायी है" उस अधिकारी ने, जिसने रिपोर्ट की है" उसका बयान लिया है" ?

श्री हीर सिंह—

जांच करवाई है" और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की है" ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के प्रश्न से संबंधित मुझे यह कहना है" कि पिछले सत्र में भी मैंने इस मामले को उठाया था जिसको यादव जी ने उठाया है" । उसमें कहा था कि मामले की छानबीन की गई । चौकीदार जो स्टोर पर था उसने बयान भी दिया कि अमुक व्यक्ति ने स्टोर से चोरी की है" और स्टाफ नर्स ने लिखकर दिया फलां स्टोर कीपर ने चोरी की है" । मान्यवर, इस सारे मामले की जांच दबाई जा रही है" । इसमें कई हजार का घोटाला है" जिसने चोरी की थी उसको फिर उसी स्टोर पर लगा दिया गया तो इसमें कुछ गड़बड़ जांच करायेंगे ।

श्री लोकपति—

संबंधित मामले की जांच किससे कराने को कहा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

सी0 आई0 डी0 से ।

श्री मित्रसेन—

विभाग में जांच किसने की ? जो रिपोर्ट के गवाह हैं उनसे बयान लिया गया यदि हां तो उनके बयान क्या हैं ?

श्री लोकपति—

ज्वाइंट डाइरेक्टर ने विभागीय जांच की । पुलिस की जांच में कुछ नहीं निकला । न्यायालय में मामला था । न्यायालय ने दाखिल खारिज कर दिया—विभागीय जांच में कोई खास रिपोर्ट नहीं आई तब भी एहतियाती तौर पर फार्मेसिस्ट का और चौकीदार का ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

प्रदेश में चुंगी के स्थान पर प्रवेश शुल्क किये जाने की मांग

*12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में चुंगी की जगह प्रवेश शुल्क लगाये जाने का मामला शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी तथा कब से लागू किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या-12 श्री नन्द किशोर सिंह की रुचि पर लिया गया ।

श्री धम्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है यह, मान्यवर यह नीतिगत प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल चुंगी की जो प्रथा चलायी जा रही है उसमें भारी चोरी होती है, अनेकों भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए शासन के सामने क्या दिक्कत है कि चुंगी के स्थान पर प्रवेश शुल्क लगाने में अगर शासन प्रवेश शुल्क नहीं लगाना चाहता है तो स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शासन ने प्रवेश शुल्क लगाने का निर्णय नहीं लिया है, जो प्रचलित व्यवस्था है उसी को जारी रखना चाहती है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके पहले वाले मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि शासन चुंगी के स्थान पर प्रवेश शुल्क लगाने जा रही है, चुंगी में लूट मची हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है । व्यापारियों ने घेराव डाला तो कहा गया कि प्रवेश शुल्क लगाने की सोच रहे हैं, तो क्या प्रवेश शुल्क लगाया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय सदस्य दुबारा प्रश्न कर दें ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

आपसे पहले जो मंत्री जी थे उन्होंने व्यापारियों से कहा कि प्रवेश शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न नहीं उठता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चुंगी की जगह पर प्रवेश शुल्क लगाने के बारे में सोचेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रकार का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रवेश शुल्क और चुंगी में क्या फर्क है ? इस प्रश्न में पूछा गया है कि चुंगी की जगह पर प्रवेश शुल्क लगाने का विचार करेंगी तो इनमें फर्क क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, प्रवेश शुल्क लगाने का हमारा कोई विचार नहीं है । मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूं कि इनमें क्या फर्क है ? यह तो आप राजेन्द्र प्रसाद गुप्त जी से पूछिये, जिन्होंने प्रश्न किया है ।

लखनऊ, विकास प्राधिकरण में विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति

*13—श्री प्रदीप कुमार यादव—

(अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक विधि अधिकारी का ऐसा पद है जिस पर पी0 सी0 एस0 (जुडिशियल) अधिकारी ही नियुक्त होता रहा है ? यदि हां तो क्या यह भी सही है कि उक्त पद पर न्यायिक संवर्ग का अधिकारी न नियुक्त कर किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ विकास प्राधिकरण में विधि अधिकारी का एक पद था जिसे प्राधिकरण द्वारा बाद में मुख्य विधि सलाहकार के पद में उच्चतर वेतन में परिवर्तित कर दिया गया था । विधि अधिकारी के पद पर न्यायिक सेवा के दो अधिकारियों ने कार्य किया । फिर उस पर एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया गया जो न्यायिक सेवा के अधिकारी नहीं थे । न्यायिक सेवा के अधिकारी के कार्यमुक्त होने पर विधि कार्य की देख-भाल के लिये विधि अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता थी । यह केवल काम चलाऊ स्थानापन्न व्यवस्था थी ।

*14—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[दिनांक 23-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित ।]

जौनपुर जल निगम के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति एवं बहाली

*15—श्री भीखालाल—(अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, जौनपुर के निगम के 5 कर्मचारियों को बिना

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

किसी आरोप-पत्र के दिए मार्च, 1983 में सेवा से पृथक कर दिया है ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की सेवाएं कितने-कितने वर्षों की थीं और उनको पृथक करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

इन पांच कर्मचारियों की सेवा अवधि निम्न प्रकार थी:—

(1) 15 वर्ष

(2) 3 वर्ष 10 माह

(3) 2 वर्ष 3 माह

(4) 2 वर्ष 4 माह

(5) 1 वर्ष 9 माह

उनको पृथक् करने का कारण उनके द्वारा घोर अनुशासनहीनता तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आपत्तिजनक एवं उत्तेजना पूर्ण आचरण एवं दुर्व्यवहार करना था, किन्तु बाद को इन पांचों कर्मचारियों को सेवा में ले लिया गया है ।

*16—श्री विद्या सागर नौटियाल—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

साधन सहकारी समिति, बिजौरा एवं रमवापुर, जिला बस्ती से लिया गया कथित फर्जी ऋण

*17—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—(अनुपस्थित)

क्या सहकारिता मंत्री को प्रश्न कर्त्ता ने 11 फरवरी, 82 को एक विस्तृत पत्र जो साधन सहकारी समिति बिजौरा, सा0 सह0 समिति रमवापुर, जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम सफियापुर, रोहवां बुजुर्ग, परसौहिया तिवारी, मनिकवरा के 50-60 काश्तकारों के नाम से फर्जी धन ऋण के रूप में लेने के संबंध में है, लिखा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और जांच के उपरान्त क्या तथ्य प्रकाश में आए ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चू पाठक)—

इसकी जांच करायी गयी । जांच से सम्बन्धित सदस्यों पर लगा हुआ ऋण फर्जी नहीं पाया गया । जांच आख्या माननीय विधायक मेरे कार्यालय कक्ष में आकर देख सकते हैं ।

लखनऊ, जवाहर भवन में खाद्य विभाग के अधिकारी संघ की कथित मीटिंग एवं पत्रिका के प्रकाशन हेतु लिया गया निर्णय

*18—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि 14अक्तूबर, 1983 को लखनऊ स्थित जवाहर भवन में खाद्य विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के संघ ने एक मीटिंग की थी ? यदि हां, तो क्या मीटिंग में विभागीय पत्रिका के प्रकाशन हेतु विज्ञापन द्वारा एक लाख पचास हजार रुपया एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था ? यदि यह सत्य है, तो क्या कोई पत्रिका का प्रकाशन किया गया तथा चन्दा देने वालों को कोई रसीद दी गयी ? यदि हां, तो क्या पत्रिका में विज्ञापन देने वालों के विज्ञापन छापे गये ?यदि नहीं तो क्या शासन वसूल किये गये धन का पूरा ब्योरा आदरणीय सदन को देने की कृपा करेंगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जैराज गौतम—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ स्थित जवाहर भवन में खाद्य विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के संघ की दिनांक 14 अक्तूबर, 1983 को कोई मीटिंग नहीं हुई।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर बड़ी निराशा हुई। मान्यवर मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद सिंह जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञात नहीं है कि खाद्य विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के संघ की दिनांक 14 अक्तूबर 1983 को कोई मीटिंग हुई, तो अपनी बात के समर्थन में मान्यवर एक खत उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद राजपत्रित अधिकारी सेवा संघ, लखनऊ (मान्यताप्राप्त) का एक परिपत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका पत्रांक संख्या 19 ए/83 दिनांक 22 सितम्बर, 1983 है और जो श्री एस0 के0 सिंह, महामंत्री द्वारा जारी किया गया है। इसका निष्कर्ष यह है कि, मैं पढ़े देता हूं :—

"सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कार्यकारिणी द्वारा यह लिया गया कि संघ की स्मारिका के लिये विज्ञापन हेतु अभियान चलाया जाय जिसमें समस्त कवाल टाउन एवं मेरठ, बरेली, गोरखपुर से कम से कम 10-10 हजार रुपया विज्ञापन हेतु एकत्रित हो एवं देहरादून, सहारनपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद से कम से कम 5-5 हजार रुपया तथा नैनीताल को छोड़कर समस्त पहाड़ी जिलों से एक-एक हजार रुपया तथा अन्य समस्त जिलों नैनीताल सहित से कम से कम 2-2 हजार रुपया एकत्रित हो। इस अभियान का संचालन समस्त सहायक खाद्य आयुक्त करेंगे एवं कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भी व्यक्तिगत तौर से सम्पर्क कर निश्चित लक्ष्य के अनुरूप धन लेकर आगामी बैठक में उपस्थित हों।"

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार यह मीटिंग हुई। इस मान्यताप्राप्त संघ के महामंत्री का जो परिपत्र है, यह मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको माननीय मंत्री जी देख लें। इसमें मान्यवर पैसा वसूल हुआ, जनता से वसूली की गयी, व्यापारियों से वसूली की गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई स्मारिका छपी, या नहीं लाखों रुपया चन्दे में आया, वह कहां गया, अगर स्मारिका छपी तो उसमें विज्ञापन छपे या नहीं ? यह मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्पूर्ण मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराएंगे और जांच के तथ्यों के अनुसार दोषी अधिकारियों को दण्ड देने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह 14 अक्तूबर, 1983 का है कि 14 अक्तूबर, 1983 को मीटिंग हुई या नहीं। इस सम्बन्ध में सूचना यह है कि 14 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हुई। माननीय सदस्य किसी और तारीख को बताएं कि उस दिन मीटिंग हुयी थी तो सूचना के अनुसार जांच करवा लेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, यह जो उ0 प्र0 खाद्य तथा रसद राजपत्रित अधिकारी सेवा संघ के जो महामंत्री हैं,

उनके हस्ताक्षर से जो परिपत्र जारी हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी उसी के आधार पर जांच करायेंगे और जिन व्यक्तियों से स्पष्ट रूप से पैसा मांगा है विज्ञापन के लिये, पैसा वसूला गया है। तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह स्मारिका छपी या नहीं और अगर छपी तो उसमें विज्ञापन छपे या नहीं और जो पैसा वसूला गया उसका क्या हिसाब है ? पैसा जनता से वसूला गया, क्या माननीय मंत्री जी इस परिपत्र के अनुसार, जो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को भेज रहा हूं, जांच कराकर इस माननीय सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य किस तारीख को मीटिंग हुई, वह परिपत्र दे दें, तो जांच करवा लूंगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

ठीक है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वह परिपत्र माननीय मंत्री जी को भिजवा रहा हूं।

एस0 एफ0 सी0 के क्रय केन्द्र सहकारी नगर, बुलन्दशहर में फर्जी अपहरण एवं थाने में अंकित एफ0 आई0 आर0

*19—श्री किरनपाल सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि एस0 एफ0 सी0 के सहकारी नगर गेहूं क्रय केन्द्र, जनपद बुलन्दशहर से एक लाख चालीस हजार एक सौ सत्तर रुपए का 21-5-83 को एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसकी एफ0 आई0 आर0 15-5-83 को दर्ज करा दी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जैराज गौतम—

जी हां। दिनांक 21-5-83 को जनपद बुलन्दशहर में एस0 एफ0 सी0 के क्रय केन्द्र सहकारी नगर (बुलन्दशहर क्रय केन्द्र सं0 2) पर रु0 1,40, 164.00 का फर्जी आहरण केन्द्र पर नियुक्त क्रय स्टाफ द्वारा किया गया था। यह घपला केन्द्र पर नियुक्त केन्द्र प्रभारी श्री राजवीर सिंह तथा लेखा लिपिक श्री टेक चन्द्र सिंह की मिली-भगत से हुआ था। घपले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24-5-83 व 25-5-83 की दरमियानी रात को थाना चांदपुर जिला बुलन्दशहर में जिला प्रबन्धक, बुलन्दशहर द्वारा लिखाई गई थी। उपलब्ध अद्यावधिक सूचना के अनुसार श्री टेक चन्द्र सिंह गिरफ्तार कर लिये गये हैं। श्री राजवीर सिंह दिनांक 23-5 83 से फरार हैं तथा पुलिस द्वारा तफतीश जारी है।

श्री किरन पाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि संबंधित केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, एक आदमी फरार है और एक के खिलाफ चार्जशीट आ गई है। बाकी जो लोग इस केस से संबंधित थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। फाइनल रिपोर्ट नहीं लगायी गयी है।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, यह डेढ़ लाख रुपया का बहुत बड़ा घोटाला है और कई लोगों की मिली-भगत से यह हुआ है। माननीय मंत्री जी जिन व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि वे फरार हैं, ऐसा नहीं है। असल में वे फर्जी आदमी थे। उनकी हत्या

जिन्होंने डेढ़ लाख रुपया लिया हैं, इनके द्वारा कर दी गयी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान मे एक तथ्य और लाना चाहता हूं कि राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एकाउन्टेन्ट ने एक आदमी फर्जी भर्ती कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे गायब कर उसका मरडर कर दिया गया और उस आदमी का फर्जी चेक काटा गया। इस प्रकार वे लोग तमाम पैसा हजम कर गये। और साथ ही साथ संबंधित फाइल को भी गायब कर दिया गया। जब फाइल की तलाशी की बात आई तो, उसे भी इन लोगों की मिली-भगत से गायब कर दिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की जो फाइल वहां से गायब हुई हैं, उसके बारे में बतायेंगे कि अभी तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि इसकी पूरी जांच हो चुकी हैं। एक आदमी के खिलाफ चार्ज-शीट आ गयी हैं और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम राजबीर हैं, वह एबस्कांण्ड कर रहा हैं। जिनकी इसमें मिली-भगत थी, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी हैं। फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी हैं। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फर्जी आदमी भर्ती कर, उसका बाद में मर्डर कर दिया गया हैं, इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं हैं।

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)—

मान्यवर, दिनांक 15-5-1983 को यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अभी तक एक आदमी गिरफ्तार हुआ हैं और एक फरार हैं। जो आदमी फरार हैं, उसका वारन्ट जारी किया गया होगा। उसके विरुद्ध 87 और 88 की कार्यवाही की गई हैं ?

दूसरी बात यह हैं कि इतना बड़ा गबन हुआ, इस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? जो व्यक्ति फरार हैं, उसके प्रापर्टी की कुड़की की गयी हैं कि नहीं ताकि वह उपस्थित होने को बाध्य हो सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जो आदमी एबस्कांण्ड कर रहा हैं, उसकी प्रापर्टी का अटेचमेंट किया गया हैं या नहीं, इसकी सूचना हमारे पास नहीं हैं। इसमें सूचना एकत्र करने की जरूरत हैं।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से माननीय मंत्री जी को एक सही बात बता रहा था और साथ ही साथ इस केस में उनके विभाग की मदद भी कर रहा था। डेढ़ लाख रूपये का घोटाला किया गया एक फर्जी आदमी भर्ती करके उसका फर्जी चेक काटा गया। बाद में उस आदमी को मार दिया गया और चेक अपने जेब में रख लिया गया। बाद में कुछ लोगों की मिली भगत से संबंधित फाइल को गायब कर दिया गया और उनकी मिली भगत की वजह से कोई सही तथ्य भी सामने में नहीं आ रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस केस की सी0 आई0 डी0 से जांच करवायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, पहले भी मैंने अर्ज किया कि फाइनल रिपोर्ट नहीं लगायी गयी

है। एक आदमी के खिलाफ चार्ज-शीट लगा दी गयी है। जिन लोगों ने फर्जी चेक को विड्रा किया था। उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। एक आदमी एंबस्काण्ड कर रहा है। बाकी लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, और जिसका उन्होंने यहां पर दो-दो बार जिक्र भी किया, क्या आप इसकी जांच कराने पर विचार करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, अगर माननीय अध्यक्ष चाहेंगे, तो किसी और माध्यम से जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपको निर्णय करना है। वह तो आपको लिखकर दे देंगे कि इसकी जांच करायी जाय।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत किया कि इस केस से संबंधित जो फाइल है, वह विभाग में खोयी बतायी गयी है, यह बात उन्होंने कही। तो, क्या आपकी जानकारी है कि वह फाईल विभाग में मौजूद है, इस गबन से संबंधित जो है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है। फाइल का इसमें जिक्र नहीं था। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो फाइल को मंगा-कर डिस्कस कर लेंगे।

श्री मोती लाल दहलवी—

जैसा कि माननीय किरन पाल सिंह जी ने उद्घाटित किया कि उस फर्जी आदमी के मामले को छिपाने के लिये उस आदमी की हत्या कर दी गयी है, वह आदमी है नहीं और यह माननीय मंत्री जी उसको फरार दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ अभी तक बताया है, मान्यवर उससे बिल्कुल साफ है कि इस मामले को छिपाया जा रहा है। न तो आपके पास फाइल है, फाइल विभाग में है नहीं और इसके अलावा किसी भी पूरक प्रश्न का मान्यवर न तो यथोचित उत्तर ही दिया जा सका है माननीय मंत्री जी द्वारा। तो, मान्यवर जैसा कि आपने निर्देशित किया उस पीठ से, मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह मामला बहुत गंभीर मालूम पड़ता है, तो क्या इस सब मामले की और जो माननीय किरन पाल सिंह जी ने कहा कि जिस आदमी के नाम से यह घपला दिखाया गया है, वह फर्जी है और उसकी हत्या कर दी गयी है, तो इन सब बिन्दुओं की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने में इनको क्या आपत्ति है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि जो शख्स फरार है, वह गलत है। मान्यवर, या तो इसे माननीय सदस्य लिख कर दें या पुलिस की रिपोर्ट में लिख कर हो कि यह मर्डर हो चुका है। तब ही उसके फरार का प्रश्न नहीं होगा। और अगर वह फर्जी है और वह फरार नहीं है, तो इसमें संदिग्ध बात है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी करा ली जाय, वे लिख कर दे दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि एक आदमी फरार है, उन्होंने अनूपूरक प्रश्न के उत्तर में

बताया कि 82-83 की कार्यवाही की जानकारी नहीं है। मान्यवर, जब पत्रावली आयी होगी, प्रश्न आया होगा, तो माननीय मंत्री जी एक आदमी फरार है, एक साल से फरार है, मेरा निश्चित रूप से यह कहना है कि 1982-83 में कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय मंत्री जी उसको छिपा रहे हैं या उनसे छिपवाया जा रहा है। 1982-83 की कार्यवाही हुई नहीं, यह निश्चित जानकारी है। तो, उन अधिकारियों के खिलाफ जो इन तथ्यों को छिपाने के लिये प्रयास कर रहे हैं, गलत बयानी करा रहे हैं, उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास सरकार का नहीं है। मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि सी0 आई0 डी0 से इसकी इन्क्वायरी करा लूंगा। मैं भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश में नहीं हूं।

बद्रीनाथ पुरी को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका के सृजन की कथित घोषणा

*20—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बद्रीनाथ पुरी को नगरपालिका की प्रथम श्रेणी की न0 पा0 घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या वहां कमेटी का निर्गाण हो गया है ? क्या यह सच है कि बद्रीनाथ नगरपालिका के समस्त अधिकार बद्रीनाथ मंदिर कमेटी को सौंप दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या 20 लेने पर एवं डाक्टर शिवानन्द नौटियाल के अनुपस्थित होने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, इसमें रीच है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, इसमें मेरी भी रीच है।

(माननीय सदस्य की प्रार्थना नियम 40 के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न)

नगर महापालिका, लखनऊ के चिकित्साधिकारी विहीन चिकित्सालय

*1—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा संचालित तीन चिकित्सालयों एवं एक प्रसूति केन्द्र में विगत डेढ़ वर्ष से चिकित्सा अधिकारी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा संचालित तीन प्रसूति केन्द्रों एवं एक डिसपेन्सरी में गत डेढ़ वर्षों से कोई चिकित्साधिकारी नहीं है।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा संचालित चिकित्सालयों में दवाओं के

द,रत्ययोग एवं दवाओं के क्रय में अनियमितता बरतने के आरोप में कतिपय चिकित्साधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था तथा एक महिला चिकित्साधिकारी अवकाश प्राप्त कर चुकी हैं। परिणाम स्वरूप पद रिक्त चल रहे थे। अब शासन ने दो महिला वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को निचले संवर्ग से पदोन्नति कर नगर महापालिका लखनऊ में तैनात किये जाने के आदेश दिनांक 22-2-1984 को जारी कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त, एक महिला चिकित्साधिकारी को सेवा में बहाल करने के आदेश भी दिनांक 22-2-1984 को निर्गत किये जा चुके हैं।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में आवासीय योजनाओं के भवनों का चिन्हांकन हिन्दी में किये जाने की मांग

1—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात हैं कि पंच महापालिकाओं समेत प्रदेश भर की सभी आवास विकास योजनाओं के अन्तर्गत बन रहे भवनों का चिन्हांकन आंग्ल भाषा में किया गया हैं ? यदि हां, तो इन्हें देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा में परिवर्तित कर भविष्य में पूर्ण-रूपेण हिन्दी भाषा में ही चिन्हांकन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, अधिकांशतः ऐसा हुआ हैं. परन्तु भविष्य में आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भवनों का चिन्हांकन देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा में किया जायगा।

पूर्व निर्मित एवं पूर्वकाल में चिन्हांकित भवनों में यथासाध्य परिवर्तन भी कर दिये जायेंगे।

मवैया, लखनऊ, रेलवे क्रासिंग की मछली मण्डी की भूमि

2—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिल रोड मवैया, लखनऊ में रेलवे क्रासिंग के पास पड़ी नजूल की जमीन पर गत 10-12 वर्षों से नाजायज तरीके से अनधिकृत भूमि पर मछली मण्डी लगती हैं ? यदि हां, तो क्या इसका कोई शुल्क वसूला जाता हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत भूमि नजूल नहीं हैं बल्कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की हैं जिस पर अनधिकृत रूप से मछली मण्डी लगती हैं।

प्रश्नगत जमीन अस्थायी पट्टे पर श्री दया सिंह वेदी को पन्द्रह रुपये मासिक किराये पर आवंटित हैं जिसे निरस्त किये जाने की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन हैं।

मिल रोड, मवैया के हैदर कैनाल के पुल पर अवैध दुकानों का निर्माण

3—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिल रोड मवैया, लखनऊ स्थित हैदर कैनाल के पुल की दोनों ओर बनी रेलिंग को तोड़ कर वहां पर नाजायज रूप से दुकान एवं मकान बना लिए हैं जिससे आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न हो रही हैं ? क्या मन्त्री जी पुल के दोनों किनारों के अनधिकृत अतिक्रमण को

अविलम्ब हटाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मिल रोड मवैया स्थित हैदर कैनाल के पुल की दोनों ओर बनी रेलिंग को तोड़ कर वहां पर 17 व्यक्तियों ने अवैध रूप से नजूल भूमि पर दुकानें बना लिये हैं जिनमें से 12 व्यक्तियों को बेदखल करने हेतु विहित प्राधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है एवं शेष 5 व्यक्तियों के बारे में रेलवे विभाग से जांच की जा रही है ।

तहसील उतरौला, जिला गोण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की मांग

4—श्री मसरूर जाफरी, श्री माता प्रसाद पाण्डे, श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला तह0, जनपद गोण्डा के मुख्यालय के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो केवल पांच शैय्या का है, के उच्चीकरण करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने की योजना जिला सेक्टर की योजना हो जाने के कारण, जब तक जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा इस केन्द्र को उच्चीकृत करने हेतु प्रस्ताव पारित कर उसके लिये आवश्यक धन आवंटित नहीं कर दिया जाता तब तक उक्त प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

जौनपुर जिले के मुर्तजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण

5—श्री प्रभूनारायण सिंह—

वर्ष 1983 के द्वितीय सत्र के 2रे गु0प्र0 के प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 146 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण एवं स्थानान्तरण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या इस भवन के शीघ्र निर्माण की अपेक्षा शासन से की जाय ?

श्री लोकपति—

मुर्तजाबाद, जिला जौनपुर के अधूरे भवन को पूरा करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वहां स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव जिला चिकित्सा सलाहकार समिति, जौनपुर से प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही सम्यक् कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ में एशियन सरकस एवं ग्राण्ड सरकस द्वारा शो का आरम्भ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ की सीमा के भीतर नवम्बर, 1983 में चालू रहे दो सरकसों 1—एशियन सरकस तथा 2—ग्राण्ड सरकस ने किस-किस तिथि से अपने-अपने शो प्रारम्भ किए तथा नगर महापालिका, लखनऊ से गन्दगी तथा संक्रामक रोग न फैलने पावे इसके लिए नो-आब्जेक्शन प्रमाण-पत्र किस तिथि को प्राप्त किए ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर महापालिका, लखनऊ की सीमा के भीतर एशियन सरकस ने दिनांक

24-10-83 तथा न्यू ग्राण्ड सरकस ने दिनांक 10-11-83 से अपने-अपने शो आरम्भ किये । उपरोक्त सरकसों द्वारा नगरमहापालिका, लखनऊ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किये गये ।

वाराणसी जिले की भदऊ आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

7—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदऊ आवासीय योजना, वाराणसी के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प के पीछे पश्चिम तीन मकान बनाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसको योजना से अलग बनाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधीन भदऊ आवासीय योजना में पेट्रोल पम्प के पीछे पश्चिम तीन मकान नहीं, अपितु चार मकान बनाए जा रहे हैं । इन मकानों के निर्माण का प्राविधान योजना तथा विन्यास मानचित्र के अनुरूप ही है और उसी के अन्तर्गत इनका निर्माण हो रहा है । इस योजना में पहले जनता की अधिक मकानों की मांग नहीं थी । जब मांग बढ़ी तब विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा इन मकानों का निर्माण प्रारम्भ करवाया गया । इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जिले की क्षेत्र समिति जलालपुर में सहकारी कृषि समितियों का प्रतिनिधित्व

8—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत 13-12-83 को कौन कौन सी सहकारी कृषि समितियां कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान क्षेत्र समिति जलालपुर, जौनपुर में उक्त कृषि समितियों में से मात्र दो से ही प्रतिनिधित्व कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बरखा पाठक—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत 13-12-83 को निम्नांकित 11 सहकारी कृषि समितियां कार्यरत हैं—

1—भड़हरी कला

2—भड़हरी खुर्द

3—खालिसपुर खुर्द

4—सरैयां

5—हरीपुर

6—हरीपुर घनश्यामपुर

7—हरीपुर रामनरायन का पुरा

8—आदर्श प्रधानपुर

9—नहरौरा

10—कुशियां

11—लखमीपुर

उक्त सभी 11 समितियों से प्रतिनिधित्व क्षेत्र समिति जलालपुर में कराया गया है ।

फर्रुखाबाद जिले में आवास विकास परिषद् की आवास योजना

9—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास

परिषद् द्वारा फर्रुखाबाद में निर्मित की जाने वाली आवास योजना में आवंटन हेतु अनेक वर्ष पूर्व पंजीकरण किया गया था, जिसमें लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन की धनराशि जमा की गयी ? यदि हां, तो इस आवास योजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। अभी अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर आवास विकास परिषद् का कब्जा प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। निकट भविष्य में कब्जा प्राप्त हो जाने पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

जल निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का नियमित करण और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा

10—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लेने के लिए कौन सी नीति निर्धारित की गयी है व वर्तमान समय में तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे कुल कितने कार्य-प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारी हैं तथा उन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में जल निगम ने निर्णय लिया है कि 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से निरन्तर कार्यरत ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को जो आगे सेवा में बनाये रखने योग्य पाये जायेंगे, नियमित कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में कर दिया जायगा। दिनांक 31-5-83 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारी 3,145 हैं। नियमितीकरण हेतु आवश्यक नियमावली बनाई जा रही है, जिसके बाद ही कार्य प्रभारित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

11—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में कार्य-प्रभारी व नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा पदोन्नति हेतु किस-किस श्रेणी के (जाति के) लोगों के लिये कितने-कितने प्रतिशत का आरक्षण कोटा निश्चित किया गया है व क्या अब तक की, की गयी पदोन्नतियां उक्त के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्तियां अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार की जाती हैं। नियमित अधिष्ठान में नियुक्तियां चतुर्थ श्रेणी में सामान्यतः साक्षात्कार एवं अन्य वर्गों में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर की जाती हैं। पदोन्नति हेतु निम्न श्रेणी (जाति) के लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है :—

जाति	विभिन्न वर्गों की सेवाओं में पदोन्नति हेतु आरक्षण का प्रतिशत।		
	वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3
1—अनुसूचित जाति	18	18	18
2—अनुसूचित जनजाति	2	2	2

*टिप्पणी—जब तक 18 प्रतिशत कोटा पूरा नहीं हो जाता है तब तक 25 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

अब तक की गयी दो पदोन्नतियों में अभ्यर्थियों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता की सीमाओं के अन्तर्गत उपरोक्त आरक्षण का पालन नियमानुसार किया गया है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति पर लगायी गयी रोक

12—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में सिविल सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नतिओं पर लोक सेवा अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कोई रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त आदेश पर स्टे लेने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ने क्या उच्च न्यायालय में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि लोक सेवा अधिकरण ने कोई स्थगन आदेश नहीं पारित किया है ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नतियां कब से शुरू की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जी नहीं इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जी नहीं ।

सहायक अभियंताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है । उसको अन्तिम रूप देने के पश्चात सहायक अभियंताओं की पदोन्नति संभव हो सकेगी ।

इलाहाबाद के मलेरिया इंस्पेक्टरों के स्थानान्तरण की मांग

13—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के मलेरिया विभाग में मलेरिया इंस्पेक्टर एवं सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर 5 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं ? उनका स्थानान्तरण अन्यत्र न किए जाने का क्या कारण है ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं तथा उन्हें तत्काल स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां, जनहित में इन्हें अभी तक इलाहाबाद में रखा गया है ऐसे चार व्यक्ति हैं ।

जी नहीं ।

सामान्य परिस्थितियों में मध्य सत्र में स्थानान्तरण किए जाने की शासन की नीति नहीं है ।

14—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने का प्राविधान

15—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबन सीलिंग एक्ट 1976 की धारा 8 (4) के अन्तर्गत अरबन जमीन को अतिरिक्त घोषित करने का प्राविधान है ? क्या उसी अधिनियम की धारा 21(1) के

अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की हुई भूमि को भूमि धारण करने की छूट सक्षम प्राधिकारियों को दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-8 (4) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक रिक्त भूमि को अतिरिक्त घोषित किए जाने का प्राविधान है।

उक्त अधिनियम की धारा 21(1) में दुर्बल वर्ग हेतु आवासीय एककों के निर्माण के लिए भू-धारकों को सीमाधिक्य रिक्त भूमि धारित करने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

भूतपूर्व काशी नरेश, वाराणसी के नदेसर पैलेस की अतिरिक्त भूमि का आधेटन

16—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि धारा 21(1) में छूट देने का अधिकार अरबन सीलिंग निदेशालय, उ0 प्र0 एवं शासन को ही है ? यदि हां, तो भू0 पू0 काशी नरेश उनके परिवार एवं संस्था को नदेसर पैलेस की अतिरिक्त भूमि जो धारा 8(4) के अन्तर्गत 30-7-79 को अतिरिक्त घोषित की गयी थी, सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी श्री के0 पी0 श्रीवास्तव ने कैसे और क्यों छूट दी ? क्या भू-धारकों ने सक्षम प्राधिकारी, नगर वाराणसी को छूट देने हेतु कोई प्रार्थनापत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 (1) में नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय, उ0 प्र0 एवं शासन को छूट देने का अधिकार नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 21 (1) के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्ग हेतु आवासीय एककों के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमाधिक्य रिक्त भूमि धारण करने की अनुज्ञा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इसी प्राविधान के अन्तर्गत श्री के0 पी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी द्वारा भूतपूर्व काशी नरेश उनके परिवार तथा संस्था को नदेसर पैलेस स्थित कतिपय सीमाधिक्य रिक्त भूमि को धारण किये जाने की अनुज्ञा दी गयी।

भूधारकों द्वारा इस हेतु अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न* हैं।

सक्षम प्राधिकारी नगर क्षेत्र एवं सक्षम प्राधिकारी उपान्त क्षेत्र, वाराणसी के यहां लम्बित मामले

17—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी नगर व सक्षम प्राधिकारी, उपान्त वाराणसी के यहां कितने मामले अलग-अलग अरबन सीलिंग ऐक्ट 1976 की धारा 8 (4) के अन्तर्गत 12-12-83 को विचाराधीन हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की

*(छापी नहीं गयी।)

धारा 8 (4) के अन्तर्गत दिनांक 12-12-83 को समक्ष प्राधिकारी नगर क्षेत्र एवं सक्षम प्राधिकारी, उपान्त क्षेत्र, वाराणासी के यहां लम्बित मामलों की संख्या निम्नवत् हैं :—

1—सक्षम प्राधिकारी, नगर क्षेत्र—409

2—सक्षम प्राधिकारी उपान्त क्षेत्र—1387

आगरा जिले के जगनेर देहात द्वारा आकट्राय टैक्स की वसूली

18—श्री बदन सिंह

क्या नगर विकास मन्त्री की जानकारी हैं कि आगरा जनपद की जगनेर नगर समिति का एक हिस्सा (गंज वार्ड का हिस्सा) सन् 1972 में उससे अलग करके 3 कि0 मि0 दूर जलालपुर ग्राम सभा में शामिल कर दिया गया था ? यदि हां, तो इसको उस ग्राम में शामिल करने का औचित्य क्या था ? क्या यह भी सच हैं कि ग्राम समाज जलालपुर में शामिल होने पर भी वहां जगनेर देहात में चुंगी वसूल की जा रही हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जगनेर देहात में केवल आकट्राय टैक्स वसूल किया जा रहा हैं ।

राज्य बीमा चिकित्सालय, आगरा में रिक्त अधीक्षक का पद

19—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी हैं कि आगरा में 100 शैय्याओं का इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स हास्पिटल (ई0 एस0 आई0) आगरा सन् 1981 में निर्मित हो गया हैं ? यदि हां, तो उस अस्पताल में अभी तक कोई सुपरिंटेंडेंट क्यों नहीं नियुक्त किया गया हैं ?

श्री लोकपति—

100 शैय्या वाले कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, आगरा का मुख्य भवन वर्ष 1981 में निर्मित हो गया था, परन्तु उसका कुछ भाग वर्ष 1982 में निर्मित होकर चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित किया गया । फलतः चिकित्सालय का वाह्य विभाग 1-6-82 को तथा आन्तरिक विभाग 1-1-83 को चालू किया गया ।

उक्त चिकित्सालय के लिये स्पेस्लिस्ट इन मेडिसिन कम अधीक्षक का पद सृजित हैं । परन्तु उक्त पद अभी तक भरा नहीं जा सका हैं । अतः इस चिकित्सालय में तैनात स्पेस्लिस्ट इन सर्जरी दिनांक 12-1-83 से अधीक्षक का कार्य भी देख रहे हैं ।

नगरपालिका साण्डी, हरदोई के अधिशासी अधिकारी के तैनाती सम्बन्धी आदेश

20—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगरपालिका साण्डी, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी के स्थानान्तरण के पश्चात् उनके स्थान पर अभी तक किसी अधिशासी अधिकारी को कार्यभार ग्रहण न कराने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार स्थानीय निकायों के निर्वाचन से पूर्व व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगरपालिका सांडी में अधिशासी अधिकारी के तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, साण्डी, हरदोई की नवाबगंज नौशहरा एवं राय टोला-काजीटोला मार्ग के मरम्मत की मांग

21—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका साण्डी की मुख्य सड़कें बस स्टेशन नवाबगंज से नौशहरा होती हुई गर्रा नदी तक मो0 राय टोला जाने वाली एवं श्री श्रीकृष्ण नेता के मकान से होती हुई चुंगी चौकी, काजीटोला तक सड़क जर्जर बेकार पड़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार नगर के दोनों मुख्य मार्गों हेतु विशेष सड़क अनुदान देकर निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। नगरपालिका की किसी विशिष्ट सड़क की मरम्मत हेतु सामान्यतः शासन द्वारा कोई विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर, शुकुल बाजार, सौंना सहकारी ऋण समिति की स्थापना एवं लाभांश

22—श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सौंवना, सहकारी साधन समिति खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर की स्थापना कब की गयी है तथा सदस्यों की कुल पूंजी कितनी है? समिति की स्थापना से आज तक लाभांश सदस्यों को न दिए जाने का क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक—

इस जनपद में सावना सहकारी साधन समिति नाम की किसी समिति की स्थापना नहीं की गई थी। विकास खण्ड बाजार शुकुल, जिला सुलतानपुर में सोना सहकारी ऋण समिति की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी।

स्वाश्रयी समिति बनाने के लिए पुनर्गठन के पश्चात वरसण्डा समिति में इसका विलयन करके सन् 1976 में साधन सहकारी समिति लि0, वरसण्डा की स्थापना की गयी। साधन सहकारी समिति लि0, वरसण्डा के सदस्यों की 30-6-83 तक पूंजी 72,151 रुपये है। समिति में लाभ न होने के कारण लाभांश का वितरण नहीं किया गया।

डा0 पी0 एल0 शुक्ला, प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सेवा काल में वृद्धि

23—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 पी0 एल0 शुक्ला प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध निदेशक, चिकित्सा शिक्षा ने उनके द्वारा किए गये गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासनिक शिथिलता के रिमार्क्स दिए थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डा0 पी0 एल0 शुक्ला प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, गोरखपुर 58 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अगले आदेशों तक उन्हें कार्य करने का आदेश दिया गया है?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

डा0 पी0 एल0 शुक्ला दिनांक 30-6-1983 को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर चुके हैं ।

इन्हें जनहित में शासन के अगले आदेशों तक कार्यरत रहने दिया गया है ।

24—श्री बलबीर सिंह—

[करण सं0 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

25—श्री बलबीर सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरी बाजार, गोरखपुर के कम्पाउण्डर श्री खुरशीद अहमद के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

26—श्री बलवीर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें स्व0 श्री रवीन्द्र किशोर शाही, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28-8-82 जिसमें श्री राज नारायण सिंह, ग्राम व पो0 लालपुर, जिला गोरखपुर द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरी बाजार के कम्पाउण्डर श्री खुरशीद अहमद द्वारा सरकारी दवाइयों का दुरुपयोग करने के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, मिला ? यदि हां, तो अभी तक उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी व्यक्ति को दंडित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति—

दिनांक 28-8-82 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

27—श्री बलबीर सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

नगरपालिका शाहजहांपुर द्वारा सोडियम लैंप फिटिंग की खरीद

28—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर में वर्ष 83 में कितने सोडियम लैम्प खरीदे गये, उनकी कीमत प्रति लैम्प क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त लैम्प ठीक हालत में काम कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगरपालिका, शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 1983 में 20 सोडियम लैम्प फिटिंग खरीदी गई जिनकी प्रत्येक की कीमत रु0 2959-18 है । सभी लैम्प ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर की मलिन बस्तियों के सुधार हेतु विचाराधीन योजना

29—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद शाहजहांपुर में शहरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों को सुधारने की वर्ष 84 में कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

शाहजहांपुर नगर की नेवादा, अजीज गंज, लोधीपुर तथा ककरा खुर्द बस्तियों के सुधार हेतु रु0 5 लाख की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

नगरपालिका, शाहजहांपुर द्वारा सोडियम लैम्प फिटिंग की खरीद एवं मांगा गया टेण्डर

30—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर वर्ष 1983 में 30 नवम्बर, 1983 तक सोडियम लैम्प किस कम्पनी से खरीदे गये ? क्या उनका कोई टेंडर मांगा गया ? यदि हां, तो किस कम्पनी का टेंडर स्वीकृत हुआ ? यदि टेंडर नहीं मांगा गया तो उसका कारण क्या था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला मैजिस्ट्रेट से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर पालिका, शाहजहांपुर द्वारा प्रश्नगत अवधि में सोडियम लैम्प फिटिंग मेसर्स जी0 ई0 सी0 (जेनलेक) प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर से क्रय किये गये इसके लिए स्थानीय समाचार पत्र के द्वारा टेण्डर आमंत्रित किए गए । किन्तु कोई टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ । अतः उक्त कम्पनी से, जो सोडियम लैम्प फिटिंग के उत्पादक हैं, कोटेशन लेकर सामान क्रय किया गया ।

आजमगढ़, जौनपुर टाउन एरिया में डाली गयी पाइप लाइन एवं श्री शंकर भूषण तिवारी का शिकायती-पत्र

31—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की जौनपुर टाउन एरिया में पाइप लाइनों के बिछाने में असावधानी के कारण श्री शंकर भूषण तिवारी के मकान के क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत वर्ष 1982 में जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुई तथा इसकी जांच परगनाधिकारी, सगड़ी, आजमगढ़ द्वारा की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

उक्त जांच अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, आजमगढ़ द्वारा की गई तथा यह पाया गया कि शिकायतकर्ता के मकान में जो दरारें हैं वह जल निगम द्वारा तीन वर्ष पूर्व बिछायी गयी पाइप लाइन के कारण नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ के श्री जय सिंह यादव, विकास अधिकारी की अनियमित नियुक्ति

32—श्री राम लाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ में नियुक्त श्री जयसिंह यादव, विकास अधिकारी की सेवाएं अवैधानिक एवं नियम विपरीत हैं तथा इनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए वर्ष 1983 में निबन्धक, सहकारिता विभाग, लखनऊ तथा उप निबन्धक, सहकारिता, इलाहाबाद ने लिखा था ? यदि हां, तो क्या इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

श्री जयसिंह यादव की विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा की गयी नियुक्ति अनियमित होने के कारण बैंक द्वारा श्री यादव को उक्त पद से उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

नगर महापालिका, गोरखपुर में हरिजन कर्मचारियों का आरक्षण कोटा

33—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी हैं कि नगर महापालिका, गोरखपुर में इस समय राजपत्रित एवं अराजपत्रित, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर कुल कितने लोग इस समय कार्यरत हैं, इनमें से अराजपत्रित पदों पर हरिजनों का प्रतिशत क्या हैं ? यदि आरक्षण से कम हैं तो इसे कब पूरा किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर महापालिका में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कोई पद राजपत्रित नही हैं। दोनों श्रेणियों में, सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर, कुल 571 कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें हरिजनों का प्रतिशत दस हैं। हरिजनों के आरक्षण कोटे की पूर्ति भविष्य में रिक्तियां होने पर नियमानुसार की जायेगी।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का नियमितीकरण

34—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी हैं कि वर्ष 78 से पूर्व आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं का नियमितीकरण शासन स्तर से ही किया जा चुका हैं ? यदि हां, तो वर्ष 78 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की की गयी तदर्थ नियुक्ति के 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी शासन द्वारा अपने स्तर से अब तक नियमितीकरण न किए जाने का क्या कारण हैं और शासन द्वारा उनका नियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

दिनांक 1-1-77 के पूर्व तदर्थ नियुक्त 211 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का नियमितीकरण शासन द्वारा किया गया हैं तथा 35 चिकित्साधिकारी जो वर्ष 78 से पूर्व तथा 1-1-77 के बाद नियुक्त हुये के विषय में शासन विचार कर रही हैं। 1-1-77 के उपरान्त दिसम्बर, 1978 तक की गई तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

पीलीभीत गुलड़िया भण्डारा टाउन एरिया का सृजन एवं सड़क अनुदान तथा भवन

35—श्री बिहारी लाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जनपद में गुलड़िया भण्डारा (मझौला) टाउन एरिया कब घोषित हुआ था ? अब तक इस टाउन एरिया को क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत टाउन एरिया दिनांक 2 मई, 1979 को सृजित की गयी थी।

टाउन एरिया द्वारा सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराया गया हैं। पेयजल के लिए उ0 प्र0 जल निगम को भूमि हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

36—श्री बिहारी लाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टउन एरिया गुलड़िया भण्डारा (मझौला) में नगर विकास मन्त्री द्वारा आज तक कितने रुपए की रोड ग्राण्ट दी

गयी और कितने रुपए अनुदान दिए गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत टाउन एरिया को अब तक कुल रूपया 2,14,250-00 सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया एवं अन्य कोई अनुदान के रूप में धनराशि नहीं दी गयी ।

37—श्री बिहारी लाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गुलड़िया भण्डार (मझौला) टाउन एरिया घोषित होने के बाद अब तक टाउन एरिया भवन न बनने का क्या कारण है ? भवन कब तक बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

टाउन एरिया अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण कार्यालय भवन का निर्माण नहीं करा सकी है ।

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आल्मोड़ा जिले के ग्राम सिमल्टी की पेयजल योजना

38—श्री बिहारी लाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सिमल्टी, पो0 आ0 सत्यू , ब्लाक जलना में पेयजल की कोई योजना कार्यान्वित की गई थी ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है एवं उक्त योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ? क्या ग्राम सिमल्टी में पेयजल पर्याप्त मात्रा में वर्तमान में उपलब्ध किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम सिमल्टी, पी0 ओ0 सत्यू, विकास खण्ड लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा को जलना ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में पेयजल से लाभान्वित किया गया था । उक्त योजना से 29 गांव लाभान्वित हुए . आपसी विवाद होने के कारण पाइप लाईन में ग्रामवासियों द्वारा कभी-कभी तोड़-फोड़ कर देने के कारण ग्राम सिमल्टी में पानी बन्द हो जाता है । वर्तमान में ग्राम सिमल्टी में पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है ।

राजेन्द्र नगर, आई0 टी0 कालोनी, लखनऊ में लगाये गये वाटर मीटर

39—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका के अंतर्गत कार्यरत जल संस्थान में राजेन्द्र नगर वार्ड में स्थित आई0 टी0 कालोनी के किराए के भवनों में अलग से वाटर-मीटर लगाए गये हैं ? यदि हां, तो किराए के भवनों पर अलग से वाटर-मीटर लगाने का आधार क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । जल संस्थान लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र नगर वार्ड स्थित आई0 टी0 कालोनी में उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 69 के अन्तर्गत मीटर लगाये जा रहे हैं ।

देवरिया, विकास खण्ड, भाटपार रानी को सिमेन्ट की आपूर्ति

40—श्री हीरवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया अन्तर्गत

ब्लाक भाटपार रानी में दिनांक 1-6-83 से 15-10-83 के अन्तर्गत कितनी बोरी सीमेंट आपूर्ति की गयी तथा संबंधित बी0 डी0 ओ0 द्वारा उक्त अवधि में किन-किन व्यक्तियों को कितनी सीमेंट दी गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला देवरिया के अन्तर्गत ब्लाक भाटपार रानी में दिनांक 1-6-83 से 15-10-83 तक की अवधि में 1000 बोरी लेवी सीमेंट की आपूर्ति की गई। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त लेवी सीमेंट का वितरण 100 व्यक्तियों को परमिटों पर किया गया। जिन-जिन व्यक्तियों को जितनी-जितनी सीमेन्ट के परमिट जारी किये गये, उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये न्तथी 'क' आगे पृष्ठ 143) पर)

देवरिया जिले को पाम आयल एवं रेपसीड आयल की आपूर्ति

41—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1983 से दिसम्बर 1983 तक जनपद देवरिया में पाम एवं रेपसीड आयल की आपूर्ति कितनी मिली है और उनका वितरण किन सस्ते गल्ले की दूकानों को किया गया है ? इस वितरण का मानक क्या माना गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद देवरिया में जून, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक 4500 टिन पाम आयल तथा 1943 टिन रेपसीड आयल की आपूर्ति हुई है और उनका वितरण सस्ते गल्ले की दूकानों से किया गया। जिन दूकानों से वितरण किया गया उनकी सूची संलग्न है। जून, 1983 से सितम्बर, 1983 तक इनके वितरण का मानक दोनों प्रकार के तेलों की मिलाकर एक टिन (16.5) किलोग्राम की मात्रा में प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह था। 20 सितम्बर, 1983 से वितरण का उक्त मानक 5 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह कर दिया गया है।

इटावा जिले की दिबियापुर, टाउन एरिया में जल भराव की समस्या

42—श्री धनीराम वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा की दिबियापुर टाउन एरिया में बरसाती एवं गन्दे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सम्पूर्ण वर्ष गन्दा पानी और वर्षा का पानी हरिजन बस्ती व रेलवे कालोनी में भरा रहता है तथा वहां के निवासी नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिशीघ्र गन्दे पानी की निकास की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर क्षेत्र समिति, दिबियापुर (इटावा) की रेलवे कालोनी में जलभराव की समस्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आँयातिवां सड़क को ऊंचा कर देने के कारण उत्पन्न हो गयी है। उक्त विभाग से जल निकासी की व्यवस्था करने का अनुरोध नगर क्षेत्र समिति द्वारा किया गया है। हरिजन बस्ती की जल निकासी हेतु समिति द्वारा नालियों का निर्माण कराया जा रहा है।

छापी नहीं गयी।

स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिया गया सैनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स का प्रशिक्षण

43—श्री सूबेदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 71-72 में विभाग के कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वच्छता निरीक्षक (सैनेटरी इंस्पेक्टर्स) पद का प्रशिक्षण दिया गया था तथा उनमें से कितने लोगों को सैनेटरी इन्स्पेक्टर्स पदों पर नियुक्त कर दिया गया है तथा शेष को कब तक सैनेटरी इंस्पेक्टर बनाए जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1971-72 में किसी भी स्वास्थ्य निरीक्षक को स्वच्छता निरीक्षक पद का प्रशिक्षण नहीं दिया गया, वरन् उक्त वर्ष में 67 स्वास्थ्य निरीक्षकों को एक वर्षीय सेवा-कालीन सैनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स का प्रशिक्षण अवश्य प्रदान किया गया था जो स्वास्थ्य निरीक्षक पद हेतु एक निर्धारित अर्हता पर है ।

उपर्युक्त 67 स्वास्थ्य निरीक्षकों में से 37 स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । क्योंकि स्वास्थ्य निरीक्षकों को बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता योजना के अधीन "स्वास्थ्य पर्यवेक्षक" के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है ।

नजीबाबाद, बिजनौर में पेयजल हेतु नलकूपों का निर्माण

44—श्री रतीराम सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर नजीबाबाद, जिला बिजनौर की जनता को गम्भीर पेयजल समस्या के निवारण हेतु नगरपालिका नजीबाबाद, जिला बिजनौर के जलकल विभाग में दो नलकूपों का निर्माण वर्ष 1979 में पुनर्गठन योजनान्तर्गत तथा दो नलकूपों का निर्माण वर्ष 1982 में त्वरित राहत योजनान्तर्गत किया गया था तथा संचालन हेतु जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रस्तावित 14 पम्प अटेन्डेन्ट के पदों का सृजन शासन द्वारा अभी तक न किये जाने का क्या कारण है ? लम्बे समय से पर्याप्त स्टाफ के अभाव में नव निर्मित नलकूपों का संचालन सुचारु रूप से न किये जाने के कारण नगर की जनता समुचित पेयजल सप्लाई से वंचित है ? यदि हां तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

नगर नजीबाबाद में दो नये नलकूपों का निर्माण वर्ष 1979 में तथा दो नये नलकूपों का निर्माण वर्ष 1982 में किया था । किन्तु इनके संचालन हेतु पम्प अटेन्डेन्ट के 14 पदों के सृजन का प्रस्ताव नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया ।

नये नलकूपों के संचालन का काम पालिका द्वारा अपने वर्त्तमान स्टाफ तथा 9 दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों से लिया जा रहा है और नगर की जनता समुचित पेयजल आपूर्ति से वंचित नहीं है ।

नगरपालिका, मथुरा के क्षेत्र के विस्तार संबंधी प्रस्ताव

45—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जिलाधिकारी, मथुरा का एक प्रस्ताव मथुरा शहर की कुछ कालोनियों को मथुरा नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में लाने के लिये पत्रांक सं0 43/1—25—1, दिनांक 13-4-1983 से

गया हुआ है ? यदि हां, तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं और शासन उन्हें कब तक नगरपालिका, के क्षेत्राधिकार में ले लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

परन्तु प्रस्ताव अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है ।

जौनपुर जिले के ग्राम गौरा में हैण्ड पम्प का निर्माण

46—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जिला जौनपुर में माह दिसम्बर, 1983 तक कितने हैण्ड पम्प लगाये गये तथा क्या उक्त ग्राम में हैण्ड पम्प हरिजन बस्ती में न लगाकर ग्राम प्रधान ने अपने घर पर लगवा लिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाकर हैण्डपम्प को उचित स्थान पर लगवाने तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद जौनपुर के बदलापुर विकास खण्ड के ग्राम गौरा में दिसम्बर, 1983 तक 2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ।

शासन के निर्देशों के अनुसार हैण्ड पम्पों के स्थानों का चयन ग्राम प्रधान की सहमति से किया गया है । ग्राम प्रधान द्वारा बताये गये स्थलों के अनुरूप एक हैण्ड पम्प उक्त ग्राम की हरिजन बस्ती में एवं दूसरा सवर्ण बस्ती में लगाया गया है । कोई भी हैण्ड पम्प ग्राम प्रधान के घर पर नहीं लगा है ।

अतएव किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजेन्द्र नगर, लखनऊ स्थित विकास प्राधिकरण की कालोनियों की बिक्री का प्रस्ताव

47—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर के राजेन्द्र नगर वार्ड में 1950 में लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों के लिए भारत सरकार से कर्ज लेकर कालोनी बनवाई और इस सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-5-83 को और रिमाइण्डर तारीख 11-7-83 को मिला है ? यदि हां, तो अन्य रिफ्यूजी कालोनियों की भांति इस कालोनी को नो-लास-नो प्राफिट आधार पर क्यों नहीं बेचा गया ? क्या शासन में तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण में बेचने के लिए प्रतिवेदन आए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय हुआ ? कब तक क्वार्टर्स में रहने वालों को नो-लास नो-प्राफिट के आधार पर बेच दिए जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

(1) जी हां, ।

(2) लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस कालोनी के भवनों से संबंधित पुराने अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि ये भवन आवन्टियों को क्यों नहीं बेचे गये ।

(3) इन भवनो को बेचे जाने के सम्बन्ध में कुछ पत्र आये हैं ।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण की कई अन्य कालोनियों के भवनों के साथ ही, इस कालोनी के भवन भी उनके आवन्टियों को बेचने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जिला सहकारी बैंक हरदोई में श्री श्रीनाथ गुप्ता की नियुक्ति

48—श्रीमती कमला दुबे—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के द्वारा दिनांक 27-9-83 को निबन्धक व दिनांक 3-10-83 को अतिरिक्त निबन्धक (अधिकोषण) एवं दिनांक 17—11—1983 को जिलाधिकारी/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई एवं दिनांक 17-11-83 को सदस्य, सचिव, राज्य संवर्ग प्राधिकारी, लखनऊ को पत्र लिखकर जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई में श्री श्रीनाथ गुप्ता को अनियमित नियुक्ति के संबंध में सूचित कराया गया ? इन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां

प्रेषित पत्रों में तत्कालीन सचिव, जिला सहकारी बैंक, हरदोई द्वारा श्री श्रीनाथ गुप्ता को वर्ग-1 के पद पर अनियमित ढंग से योगदान कराने का उल्लेख किया गया था। श्री गुप्ता को प्रशासक जिला सहकारी बैंक द्वारा 26-4-1983 को निबंधक के आदेशों के अनुपालन में नियुक्त किया गया था नियुक्ति के समय वर्ग-1 का उक्त पद सृजित नहीं था, परन्तु निबंधक द्वारा उक्त पद के सृजन का आदेश दिनांक 22-12-83 को पूर्वगामी प्रभाव से श्री गुप्ता की नियुक्ति की तिथि अर्थात् 26-4-1983 से कर दिया गया था। वर्ग-1 के पद पर श्री गुप्ता सेवा मण्डल से नियमित व अनुमोदित हैं।

नगर पालिका साण्डी जिला हरदोई, के सफाई नायक, स्व0 श्री आत्माराम दीक्षित के पुत्र की नियुक्ति की मांग

49—श्री खैरूल बशर—

द्वितीय सत्र 1983 के 1ले गु0 के अता0 प्र0 सं0 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सम्बन्ध में अब तक जिला अधिकारी, हरदोई ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपालिका साण्डी में प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता के अनुसार कोई पद रिक्त न होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

डा0 एस0 के0 मुकर्जी, तत्कालीन आर्थो-पैडिक सर्जन, फतेहगढ़ की सेवा समाप्ति एवं अवशेष वेतन का भुगतान

50—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 एस0 के0 मुकर्जी, तत्कालीन आर्थो-पैडिक सर्जन, फतेहगढ़ के टरमीनेशन काल का वेतन भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि डा0 मुकर्जी, को यू0 पी0 पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल—2, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 19-1-82 के द्वारा टरमीनेशन काल में सर्विस कांटीन्यू मानी है ? यदि हां, तो क्या डा0 मुकर्जी में उपरोक्त एरियर

भुगतान न होने व अनेक बार विभाग द्वारा अल्पकाल में स्थानान्तरण किए जाने के फलस्वरूप नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया है ? क्या सरकार उपरोक्त डाक्टर के एरियर का भुगतान तत्काल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति—

जी हां, यू0 पी0 सर्विस ट्रिब्यूनल-2, लखनऊ ने अपने आदेश में डा0 एस0 के0 मुकर्जी के टर्मिनेशन काल को सेवाकाल माना है। ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के आधार पर डा0 मुकर्जी के टर्मिनेशन काल का वेतन भुगतान किये जाने के लिये उनके द्वारा उक्त अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस द्वारा अर्जित की गई धनराशि के विवरण ज्ञात किये जा रहे हैं ताकि उक्त धनराशि का समायोजन किया जा सके। डा0 मुकर्जी के बकाया देयों का भुगतान नियमों के अन्तर्गत औपचारिकतायें पूरी होने के बाद किया जाना संभव होगा। डा0 मुकर्जी ने अपना सशर्त त्याग-पत्र दिया है।

नगरपालिका शाहजहांपुर से संबंधित जांच रिपोर्ट

51—सिकन्दर अली खां—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 2रे गुरु0 हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0-110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक स्थानीय निकाय की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

संदर्भगत जांच में नगरपालिका शाहजहांपुर के कतिपय अधिकारी सड़क अनुदान की धनराशि के दुर्विनियोग के दोषी पाए गए।

52—श्री धरमपाल—

[दिनांक 12-3-84 को अता0 प्र0 सं0 164 द्वारा उत्तरित]

शाहजहांपुर, जिला अस्पताल के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत कथित धनराशि

53—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल के भवन निर्माण (विस्तार) हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कब और उसका उपयोग अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा में फर्जी ऋण का वितरण

54—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा से संबंधित फर्जी तौर पर बैल, भैंस, डनलप गाड़ी आदि निकालने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता के शिकायती पत्र दिनांक 19-9-1983 जिसके प्राप्त की सूचना अपने पत्रांक 2222—एस0 एम0 सी0/1983 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 1983 द्वारा किया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। शिकायती पत्र की जांच कराई गई। जांच में फर्जी ऋण वितरण

का मामला प्रकाश में आया। दोषी कर्मचारी श्री जगदीश मिश्र, व्यवस्थापक पंचायत उद्योग, महराजगंज तथा सचिव समिति श्री संत प्रसाद को निलम्बित कर दिया गया हैं। श्री राम प्यारे के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हैं।

इलाहाबाद, ग्राम बराह में जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण और तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, श्री डी0 पी0 सिंघल का स्पष्टीकरण एवं गलत बयानी

55—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद ग्राम बराह में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकी की नींव में कार्यालय ज्ञाप संख्या 629/डब्लू0 अवर जलाशय दिनांक 16-5-1977 में निहित आदेशों का उल्लंघन कर कच्ची मिट्टी डाली गयी थी ? यदि हां ? तो क्या इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित कर चार्जशीट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, प्रारम्भिक जांच के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 629/डब्ल्यू0 अवर जलाशय दिनांक 16-5-1977 में निहित आदेशों के अनुसार कच्ची मिट्टी डालने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता द्वारा किन परिस्थीतियों में नहीं किया गया इसके लिये पुनः विस्तृत जांच के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं।

56—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में श्री डी0 पी0 सिंघल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने अपने दिनांक 14-8-1982 के स्पष्टीकरण में यह गलत बयानी की कि उनके कार्यकाल में ग्राम बराह कला तथा नेवाडिया जनपद इलाहाबाद के टैंकों की खुदाई का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस गलत बयानी के लिए जिम्मेदार श्री सिंघल के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत मामले में पुनः विस्तृत जांच किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं।

इलाहाबाद जिले के ग्राम नेवाडिया में जल निगम द्वारा टंकी के निर्माण की जांच और जांच रिपोर्ट की मांग

57—फिरंगी प्रसाद विशारद—

द्वितीय सत्र 1983 के 2रे गु0 के अता0 प्र0 सं0-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवाडिया, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में टंकी गिरने के संबंध में नियुक्त जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी ? क्या यह सही हैं कि प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये अधीक्षण अभियन्ता को अंतिम रिपोर्ट में निर्दोष पाया गया हैं ? यदि हां, तो उनकी ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी हैं तथा उनकी पदोन्नति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं, कोई जांच समिति नहीं नियुक्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जल निगम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जांच

आख्या के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। इस बारे में स्थिति यह है, जैसा कि द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में अवगत कराया गया था कि प्रारम्भिक जांच आख्या की विवेचना के उपरान्त केवल एक ही अधीक्षण अभियन्ता को दोषी पाया गया, अतएव केवल एक अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित किया गया और दंडित किया गया किन्तु अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में इन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिये गये दण्ड के विरुद्ध, अपील किये जाने पर निदेशक मंडल ने इन्हें दिये गये दण्ड को समाप्त करने और अवर जलाशय के ध्वस्त होने के मामले का पुनः परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया है।

संबंधित अधीक्षण अभियन्ता की ज्येष्ठता इस जांच के कारण प्रभावित नहीं हुई थी। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, चयन का मापदण्ड ज्येष्ठता न होकर श्रेष्ठता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा इन्हें पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त मामले में प्रारम्भिक तथा अंतिम जांच एक ही माध्यम द्वारा कराई गई अथवा अलग-अलग माध्यम द्वारा ? क्या उन रिपोर्टों की प्रतियां मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रारम्भिक जांच तथा अन्तिम अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी जांच अलग अलग अधिकारियों द्वारा करायी गयी थी। इन्हें सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

मथुरा वृन्दावन, विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों की जांच

59—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 को प्रश्नकर्त्ता का एक शिकायती पत्र मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों के निर्माण में घटिया किस्म की निर्माण सामग्री के प्रयोग करने के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उक्त सामग्री की जांच किस प्रयोगशाला में कराई तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास-प्राधिकरण द्वारा कराई गई। जांच करने से पाया गया कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों का निर्माण कार्य की विशिष्टियों के अनुरूप ही कराया गया है और भवनों के निर्माण में घटिया किस्म की निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसकी प्राविधिक जांच करायी जा रही है।

पेपर मिल कालोनी, लखनऊ के क्वार्टर नं0 डी0 1/1 का आवंटन

60—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि क्वार्टर नं0 डी-1/1 पेपर मिल कालोनी लखनऊ श्री चन्द्रशेखर के नाम आवंटन है ? इसके बारे में उनको एक पत्र विधायक श्री यदुनाथ सिंह का तारीख 7-7-1983

को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जी कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री चन्द्रशेखर को यह भवन इस आधार पर आवंटित किया गया था कि उनके पास शहर में दूसरा कोई भवन नहीं है तथा श्री चन्द्रशेखर ने सहकारी कर्ज लेकर अपना निजी मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या इस भवन को श्री चन्द्रशेखर ने खाली कर दिया है ? यदि नहीं, तो खाली कराने के लिए ल0 वि0 प्रा0 ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि यह भवन श्री जंग बहादुर मिश्र को दिनांक 31-1-1968 से आवंटित है ।

61—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दि0 2-3-84 को अता0 प्र0 सं0 75 द्वारा उत्तरित]

62—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

63—श्री सरदार सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

दारुलशफा, लखनऊ स्थित डिस्पेंसरियों द्वारा दवाइयों का वितरण

64—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर 1983 के बीच विधान सभा व विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के सदस्यों हेतु 1 जनवरी 1983 से 31 दिसम्बर 1983 तक उनके सम्मुख अंकित धनराशि की दवाइयां वितरित की गयीं ।

एलोपैथिक	रु0	23,52,350—00
आयुर्वेद एवं यूनानी	रु0	8,86,882—65
होम्योपैथिक	रु0	1,51,235—00

पांच हजार रुपये या उससे अधिक की होम्योपैथिक औषधि किसी भी विधायक ने प्राप्त नहीं की । एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि के सम्बन्ध में विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं ।

टिहरी गढ़वाल की ग्राम सभा दानकोट किमाणा के ग्राम प्रधान का जल निगम को प्रेषित पत्र

65—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ग्राम सभा दानकोट किमाणा टिहरी गढ़वाल द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम टिहरी, को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र संख्या 534 दिनांक 2-5-81 जो तारीख 7-5-1981 को पोस्टमैन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, टिहरी

के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, को उक्त अधिकारी के अधिकृत कार्यालय कर्मचारी द्वारा लेने से इन्कार कर दिया गया और डाकघर ने "लेने से इन्कार" टिप्पणी लगाकर वह पत्र प्रेषक को लौटा दिया ? क्या इस विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 मार्च, 1983 को मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो वह कार्यवाही क्या है और इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

टिहरी गढ़वाल में जल निगम के तीन कार्यालय हैं :—

1—निर्माण शाखा, टिहरी

2—द्वितीय निर्माण शाखा, टिहरी तथा

3—अस्थायी प्रकल्प शाखा, टिहरी ।

इस प्रकार जल निगम, टिहरी के नाम का कोई कार्यालय वहां नहीं है । जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रधान, ग्रामसभा, दानकोट का कोई भी पत्र टिहरी स्थित जल निगम के उक्त तीन कार्यालयों में से किसी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ और न किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे लेने से इन्कार किया गया है ।

जी हां । उक्त पत्र जल निगम कार्यालय में प्राप्त हुआ था । पत्र लेने से किसी के द्वारा इन्कार नहीं किया गया । अतः किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले की सहकारी समिति गागापुर के सचिव, श्री गंगाराम के विरुद्ध शिकायती पत्र

66—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के कार्यालय 40, विधान भवन से पत्र सं0-584/14-11-1983 द्वारा कोई विस्तृत पत्र विकास क्षेत्र भवनापुर, जनपद बस्ती की तत्कालिक सहकारी समिति गागापुर के सचिव, गंगा राम द्वारा कास्तकारों के नाम फर्जी कर्जा निकाल कर गबन कर लेने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सहकारिता पुलिस द्वारा जांच कराने और उन्हें निलंबित करने की कार्यवाही अब तक न करने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । इसकी जांच विभागीय अधिकारी द्वारा कराई गई । जांच में गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । अतः पुलिस से जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया ।

शाहजहांपुर की टाउन एरिया खुटार द्वारा खड़ंजा का निर्माण एवं शिकायती पत्र

67—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया खुटार द्वारा जून अथवा जुलाई, 1981 के आस-पास जो खड़ंजे का निर्माण दिखाकर लगभग रु0 18000 (अट्ठारह हजार रुपये) का भुगतान ठेकेदार के नाम से किया गया था इस सम्बन्ध में श्री अशोक शर्मा, महामंत्री जनपद जनवादी पार्टी (निवासी तिलहर) द्वारा कोई शिकायती पत्र जुलाई, 1983

में अथवा उसके आस पास आयुक्त बरेली मंडल एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त होने पर ही भुगतान किया गया था। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित दुकानें

68—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में सहकारिता विभाग की ओर से कहां-कहां कितनी-कितनी चीनी/मिट्टी तेल आदि की दुकानें चलाई जा रही हैं ? इनके बिक्री विवरण किस अधिकारी व विभाग द्वारा जांचे जाते हैं ? क्या यह सच है कि इस जनपद के लगभग सभी सहकारी संस्थाओं की आवश्यक वस्तु वितरण की दुकानों पर यह सामान न बिकवाकर काला बाजारी में बिक रहा है जिससे जनता में भारी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या कोआपरेटिव दुकानदारों के बिक्री विवरणों (गत एक वर्ष) की जांच किसी अत्यन्त निष्ठावान विभागीय अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से करायी जा सकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में सहकारिता विभाग की ओर से 146 विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 157 दुकानों (सूची संलग्न है) के माध्यम से चीनी/मिट्टी तेल व अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। इन दुकानों के बिक्री विवरणों की जांच सहकारिता विभाग के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति व राजस्व विभाग के अधिकारी भी यथा-समय निरीक्षण करते हैं।

यह सत्य नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण इन दुकानों से न कराकर कालाबाजारी में बिक रहा है तथा जनता में असन्तोष व्याप्त होने की बात भी निराधार है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कोआपरेटिव दुकानदारों के बिक्री विवरणों की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर की सदर तहसील में दीपावली के अवसर पर सचल दुकानों द्वारा चीनी का कथित वितरण

69—श्री मुईद अहमद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद में वर्ष 1983 की दीपावली के अवसर पर सदर तहसील छोड़ कर अन्य तहसीलों में सचल दुकानों के माध्यम से चीनी वितरण की गयी ? यदि हां, तो सदर तहसील को इस व्यवस्था से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वर्ष 1983 में दिपावली के अवसर पर जनपद की अन्य तहसीलों के साथ ही साथ सदर तहसील में भी सचल दुकानों के माध्यम से चीनी वितरण की व्यवस्था

(छापी नहीं गई)

की गयी थी। सदर तहसील में यह कार्य जिस संस्था को सौंपा गया था वह किन्हीं कारणोंवश इस कार्य को नहीं कर सकी।

सहारनपुर, पिलखानी डिस्टलरी के पानी के नमूने की जांच

70—श्री राम स्वरूप निम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में स्थित पिलखानी शराब फैक्ट्री के गन्दे पानी के भराव से आस पास पीने का पानी भी गन्दा हो गया है जिससे महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है ? क्या उक्त फैक्ट्री ने गन्दे पानी को नाला बनाकर निकाले जाने के लिये कोई प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

पिलखानी डिस्टलरी के पानी के नमूने की जांच वर्ष 1983 में हुई थी जिसमें प्रदूषण की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई इस पानी से कोई बीमारी फैलने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। है। पुनः इस पानी के नमूने की जांच की जा रही है। फैक्ट्री के इस गन्दे पानी की निकासी के लिये नाला बनाने और एक ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाये जाने के लिये फैक्ट्री के जनरल मैनेजर द्वारा यू0 पी0 पोल्यूसन बोर्ड, गाजियाबाद से प्रस्ताव बनवाकर यू0 पी0 पोल्यूसन कन्ट्रोल बोर्ड को भेजा जा चुका है। ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जमीन की भी व्यवस्था हो चुकी है।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन के सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवा शर्तें राजकीय कर्मचारियों के समान किये जाने की मांग

71—श्री मित्रसेन यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवा शर्तें अन्य विभागीय राजकीय कर्मचारियों के समान नहीं हैं ? यदि हां, तो राजकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सुविधा इन्हें कब तक मिल सकेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ में कार्यरत सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवायें राजकीय न होने के कारण इनकी सेवा शर्तें अन्य विभागीय राजकीय कर्मचारियों के समान नहीं हैं। सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवायें सहकारी संघ प्राधिकारी के अधीन हैं जिनके ऊपर सहकारी संघ प्राधिकारी (व्यवसायिक) विनियम, 1976 लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में लेप्रोस्कोपिक विधि से किये गये नसबन्दी आपरेशन एवं प्रेरक शुल्क/फालोअप शुल्क का भुगतान

72—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेलिस्कोपिक विधि से की गई नसबन्दी में कार्यकर्ताओं को प्रेरक शुल्क 10 रुपये एवं फालोअप एक रुपया देने का निर्देश है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का भुगतान 17-3-1982 से सितम्बर, 1982 तक गोरखपुर जनपद में नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति—

जी हां। कतिपय जानकारी के अभाव में प्रश्नगत अवधि में जनपद गोरखपुर

में लेप्रास्कोपिक विधि से किये गये नसबन्दी आपरेशनों में प्रेरक शुल्क एवं फालोअप शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सका था। भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं।

मैनपुरी जिले की साधन सहकारी समिति के भवन का निर्माण

73—श्री शिवमंगल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की अरांव विकास खण्ड में न्याय पंचायत कारीखेड़ा ग्राम में साधन सहकारी समिति के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था तथा आधा निर्माण कार्य होने के बाद इसे बंद कर दिया गया है ? इसे पूर्ण कराया जायेगा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस निर्माण कार्य पर कितना खर्च हुआ एवं इस धन का कौन जिम्मेदार होगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड अरांव की साधन सहकारी समिति कारीखेड़ा के गोदाम का निर्माण प्रारम्भ में ग्राम कारीखेड़ा में स्वयं समिति द्वारा शुरू किया गया। लगभग कुर्सी स्तर तक कार्य होने पर निर्माण स्थल के विवाद के कारण गोदाम के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया था।

कारीखेड़ा में प्रारम्भ किये गये गोदाम को पूर्ण कराये जाने की कोई योजना नहीं है। अब समिति के प्रस्ताव तथा निर्माण स्थल के विवाद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार गोदाम के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

कारी खेड़ा गोदाम के निर्माण पर अब तक कुल लगभग 12,000 रु0 का व्यय हुआ है, जिसके लिये समिति स्वयं ही उत्तरदायी है।

एस0 बी0 डी0 अस्पताल, सहारनपुर के सी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध श्रीमती बचन देवी, पत्नी श्री दया राम वर्मा का शिकायती पत्र

74—श्री खैरूल बशर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-7-77 को श्रीमती बचन देवी वर्मा पत्नी श्री दयाराम वर्मा, एस0 बी0 डी0 अस्पताल, सहारनपुर तथा जिलाधिकारी सहारनपुर को उक्त अस्पताल के सी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां, प्रार्थना पत्र दिनांक 4-7-1977 नहीं अपितु दिनांक 5-7-1977 का था। पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों को जांचोपरान्त निराधार पाया। अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

75—श्री खैरूल बशर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दयाराम, स्थायी लेबोरेटरी सहायक, एस0 बी0 डी0 अस्पताल, सहारनपुर का 28-6-1977 से 15-11-81 तक का पूर्ण वेतन 15185 रु0 के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाराम

की पत्नी श्रीमती वचन देवी वर्मा ने स्वास्थ्य निदेशक को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

श्री दयाराम लैब अटेन्डेन्ट की पत्नी श्रीमती वचन देवी वर्मा का कोई प्रार्थना पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

नगर पालिका, साण्डी, हरदोई के कर्मचारियों का निलम्बन

76—श्री खैरूल बशर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न0 पा0 साण्डी, हरदोई में कितने कर्मचारी 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1983 तक निलम्बित किये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि निलम्बित कर्मचारियों के जीवन यापन हेतु उनके भविष्य निधि से धन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सात कर्मचारी निलम्बित किये गये।

जी हां।

उक्त किसी कर्मचारी द्वारा नियमानुसार भविष्य निधि से धन दिये जाने की मांग न करने के कारण ही भविष्य निधि से धन नहीं दिया गया।

सहारनपुर नगर में सीलिंग की भूमि

77—श्री राम स्वरूप निम—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में दिनांक 31-12-1983 तक कुल सीलिंग की शहरी भूमि कितने-कितने हेक्टेयर है तथा उसका जिन हरिजनों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें आवंटित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सहारनपुर नगर बस्ती में दिनांक 31-12-1983 तक कुल 2,77,697 वर्ग मीटर सीमाधिक्य रिक्त भूमि पर शासन द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत रिक्त भूमि का आवंटन शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

बरेली विकास प्राधिकरण के टोवरी नाथ मन्दिर के निकट आवासीय योजना

78—श्री भीखालाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टोवरी मन्दिर कालोनी, नैनीताल रोड, बरेली को सीवर व पानी की सुविधा से वंचित रक्खा गया है, जबकि उसके निकटवर्ती टोवरी कालोनी में सीवर व पानी की लाइन डाली जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर महापालिका बरेली के क्षेत्र में श्री टोवरी मंदिर कालोनी नाम से मान्यताप्राप्त कोई कालोनी नहीं है। श्री टोवरी नाथ मंदिर के निकट बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा एक आवासीय योजना का विकास किया गया है जिसमें नियमानुसार

सीवर व पानी की सुविधा का प्राविधान किया गया हैं ।

जल निगम, मुख्यालय की स्टाफ कार द्वारा की गयी यात्राएं

79—श्री बनवारी राम—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम मुख्यालय में वर्ष 1983 में स्टाफ कारों द्वारा प्रतिमाह प्रति कार लगभग तीन हजार किलोमीटर की यात्राएं की गयी ? यदि हां, तो केवल स्थानीय यात्राओं में इतनी दूरी का क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

जल निगम मुख्यालय में वर्ष 1983 में किसी भी स्टाफ कार द्वारा किसी भी माह में तीन हजार किलोमीटर की स्थानीय यात्राएं नहीं की गयी हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

80—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फैजाबाद क्षेत्र के आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा वेतन का वितरण

81—श्री बनवारी राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि फैजाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा गत 3 वर्षों (वर्ष 1981 से अब तक) में किन-किन तारीखों में वेतन वितरित किया गया ? माह की पहली तारीख को वेतन वितरित न किये जाने का क्या कारण था ?

श्री लोकपति—

सूचनाएं संलग्न हैं ।

बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान होने के कारण पहली तारीख को वेतन मिलना कठिन हो जाता हैं ।

वाराणसी, भदोही के चौरी बाजार के लिये पेयजल की योजना

82—श्री बनवारी राम—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी, वि0 खं0 भदोही में चौरी बाजार की जनसंख्या 25 हजार के लगभग हैं जहां पर पानी पीने की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाया करती हैं ? क्या चौरी बाजार पेयजल योजना के अन्तर्गत आसपास के गांवों में पानी पीने की सुविधा की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद वाराणसी में विकास खण्ड भदोही में चौरी बाजार चौरी खास ग्राम के अन्तर्गत आता हैं एवं चौरी खास ग्राम की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 273 हैं । चौरी बाजार में जल निगम द्वारा किसी पेयजल योजना का निर्माण नहीं किया गया हैं । यहां के निवासी कुएं और निजी हैण्ड पम्पों से पानी प्राप्त करते हैं । ग्रीष्म ऋतु में जल का स्तर नीचे हो जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता हैं ।

---

†नोट—छापी नहीं गई ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार चौरी बाजार के आस-पास के समस्याग्रस्त गांव जो 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार समस्याग्रस्त घोषित किये गये हैं, उनमें मार्च, 1985 तक इंडिया मार्क—11 हैंड पम्प लगाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं जिसके लिये कार्य प्रगति पर हैं। चौरी बाजार खास ग्राम जिसमें चौरी बाजार आता हैं, 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर समस्याग्रस्त श्रेणी में नहीं आता हैं।

मलिन बस्ती की परिभाषा और कानपुर के फजलगंज (हाता प्रेम नारायण शुक्ल) का अधिग्रहण

83—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मलिन बस्ती की परिभाषा क्या हैं और किसी क्षेत्र को मलिन बस्ती घोषित करने के पूर्व कौन कौन सी प्रक्रियायें पूरी की जाती हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मलिन बस्ती की परिभाषा उक्त प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र(सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में दी गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

3—(1) यदि सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हो या अन्य रीति से उसके पास हो, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाये कि उस क्षेत्र में अधिकतर भवन—

(क) जीर्णावस्था, अतिसंकुलता, ऐसे भवनों के दोषपूर्ण विन्यास या प्ररचना, पथों की संकीर्णता या उनके दोषपूर्ण विन्यास वातायन, प्रकाश या स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव या इनमें से एकाधिक दोष होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार के लिये हानिकारक हैं, या

(ख) मानव निवास के लिये अन्यथा किसी प्रकार से अनुपयुक्त हैं ;

तो वह (सक्षम प्राधिकारी) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर ऐसे क्षेत्र को मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित कर सकता हैं।

(2) यह अवधारित करने में कि कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त हैं या नहीं, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा :—

(क) आवश्यक मरम्मत की मात्रा

(ख) स्थायित्व

(ग) नमी की मात्रा

(घ) प्राकृतिक प्रकाश और वायु की उपलब्धता

(ङ) जल सम्भरण

(च) शौचालय, जल निकासी तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रबन्ध,

(छ) भोजन का संग्रह रखने, भोजन तैयार करने और पकाने तथा क्षेप्य पदार्थ और जल के निस्तारण करने की सुविधायें :

और यदि भवन उपर्युक्त किसी एक या अधिक खातों में इतना दोषपूर्ण हो कि उस दशा में वह अध्यासन के निमित यथोचित रीति से उपयुक्त न हो तो वह पूर्वोक्त रूप से अनुपयुक्त समझा जायेगा।

किसी क्षेत्र की मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित करने के पूर्व उस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कराया

जाता हैं और यह देखा जाता हैं कि उपर्युक्त परिभाषा में दर्शायी गयी परिस्थितियां उक्त क्षेत्र में विद्यमान हैं ।

84—श्री मोतीलाल दहलवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के अंतर्गत हाता नं0122/230, फजलगंज (हाता प्रेम नारायण शुक्ल) को मलिन बस्ती घोषित करने तथा 3 सितम्बर, 1982 को अधिग्रहीत कर लेने के उपरान्त इस हाता को मलिन बस्ती से हटा देने के क्या कारण हैं और मलिन बस्ती घोषित करने से अधिग्रहण करने तक इस पर सरकार का कितना धन खर्च हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हाता संख्या 122/230, फजलगंज (हाता प्रेम नारायण शुक्ल) के अधिग्रहण के उपरान्त हाता स्वामी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी थी । अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही का विधिक परीक्षण करने पर उसमें त्रुटि पाई गई थी । अतः अधिग्रहण की अधिसूचना निरस्त कर दी गई । साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण को पुनः अधिग्रहण की कार्यवाही करने को लिखा गया । इस हाते के अधिग्रहण पर हुआ व्यय बताना संभव नहीं हैं क्योंकि हाते का सर्वेक्षण उन कर्मचारियों द्वारा किया गया था जो प्राधिकरण का अन्य कार्य भी करते हैं ।

85—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात हैं कि 5 जुलाई, 1983 के आस-पास महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में विद्युत केबिल जल जाने के कारण मेडिकल कालेज, झांसी को भारी क्षति उठानी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या शासन ने विद्युत केबिल जल जाने के कारणों की जांच कराई हैं तथा अभी तक जनरेटर न खरीदने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति—

दिनांक 5 जुलाई, 1983 की रात्रि में मेडिकल कालेज, झांसी के आपरेशन थियेटर के समीप विद्युत केबिल जल गया था, जिसकी मरम्मत पर रु0 530.86 का व्यय हुआ हैं । केबिल जलने के कारणों की जांच करायी गयी हैं । आपरेशन थियेटर ब्लाक में जनरेटर कार्य कर रहा हैं ।

86—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में वर्ष 1982 से अगस्त, 1983 तक तत्कालीन अधीक्षक द्वारा कितने धन की औषधियां तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सामग्री किन-किन कम्पनियों से खरीदी गयी ? क्या वह कम्पनियां उ0 प्र0 शासन से पंजीकृत हैं ? यदि नहीं तो क्रय करने का क्या आधार था ? क्या इसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

श्री लोकपति—

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में वर्ष 1982 से अगस्त, 1983 तक तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 15,59,631.40 रु0 की औषधियां तथा 2,58,019.59 रु0 की चिकित्सा संबंधी

अन्य सामग्री खरीदी गयी । सूची अध्यक्ष, विधान सभा के सचिवालय कक्ष में रख दी जायेगी । माननीय सदस्य वांछित विवरण कृपया वहां देख लें । सूची बहुत बड़ी है ।

अधिकांश दवाइयां सरकारी कम्पनियों से या ई0 एस0 आई0 रेट कान्ट्रेक्ट पर या डी0 जी0 एस0 डी0 से अनुबंधित दरों पर खरीदी गई । शेष दवाइयां हास्पिटल रेट के अनुसार खरीदी गई । चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सामग्री भी रेट कन्ट्रेक्ट, सरकारी फर्मों से तथा क्वास कोटेशन के आधार पर क्रय की गयी । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई एवं फूलपुर का उच्चीकरण

87—श्री अबुल कलाम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में प्रा0 स्वा0 केन्द्र पवई तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र फूलपुर का उच्चीकरण हुआ है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसको अंतिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ? और कब तक अस्पताल उच्चीकरण का कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

श्री लोकपति—

जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पवई तथा फूलपुर, जिला आजमगढ़ के उच्चीकरण हेतु भवनों के निर्माण की स्वीकृति सितंबर, 1979 में प्रदान की गयी थी । भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अब प्राप्त हो गयी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । सभी आवासिक तथा अनावासिक भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर उनमें उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर दी जायेगी ।

साधन सहकारी समिति, चन्दापुर, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं चुनाव का स्थगन

88—श्री राम चरण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 3-12-1983 को श्री नक्कू सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पत्र के साथ चन्दापुर साधन सहकारी समिति वि0 खं0 नरायनपुर चुनार मिर्जापुर के अनियमितताओं के कारण चुनाव रोकने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक—

संबंधित मामले में प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 3-12-1983 प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि उनका पत्र दिनांक 12-9-1983 प्राप्त हुआ है, जिसके साथ श्री नक्कू सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद मिर्जापुर का शिकायती पत्र दिनांक 10-9-1983 संलग्न था । शिकायती पत्र में उल्लिखित अनियमितताएं अभिलेखों के अनुसार सही पायी गयीं । समिति के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो इस समय न्यायालय में चल रहा है । सितम्बर, 1983 में आरंभ होने वाले सभी सहकारी समितियों के चुनाव निबंधक द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिये गये थे । तदनुसार साधन सहकारी समिति लि0, चन्दापुर का भी चुनाव स्थगित है ।

सचिव, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, अहरौंरा, मिर्जापुर का शीतगृह के निर्माण हेतु पत्र

89—श्री राम चरण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 3-12-1983 को श्री बनारसी राम गुप्त, सचिव, अहरौंरा, सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0 अहरौंरा, मिर्जापुर का पत्र निर्बल सहकारी शीतगृह के पुनर्स्थापन एवं जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त शासकीय सहायता दिये जाने के संबंध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और जीर्णोद्धार कब तक कराया जायेगा?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । सहकारी समिति निबंधक के स्तर से अभियन्ताओं के एक दल द्वारा ध्वस्त शीतगृह का निरीक्षण कराया गया । उक्त दल की आख्या के अनुसार तकनीकी दृष्टिकोण से ध्वस्त शीतगृह का पुर्निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया । उक्त दल ने यह संस्तुति की है कि किसी अन्य स्थान पर शीतगृह का निर्माण कराया जाय । नये स्थान पर निर्माण के लिए समिति से प्रस्ताव मांगा गया है ।

तकमील-उत्तिब कालेज, लखनऊ में लड़कों का प्रवेश एवं ली गयी उर्दू विषय की परीक्षा

90—श्री अबुल कलाम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकमील-उत्तिब कालेज, लखनऊ में पिछले दो सालों में कुल कितने नये लड़कों का दाखिला किया गया है और कितने लड़के उसमें (परीक्षा में) शामिल हुए थे तथा परीक्षा लेने वालों की उर्दू की कौन सी योग्यता थी ?

श्री लोकपति—

तकमील-उत्तिब कालेज, लखनऊ में वर्ष 1982 में चार तथा 1983 में चार लड़कों ने प्रवेश लिया ।

यूनानी कालेजों में प्रवेश हेतु (वर्ष 1982 में 82 तथा वर्ष 1983 में 153) लड़के सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । अन्य विषयों की तरह उर्दू परीक्षा के लिये भी प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर के अध्यापकों द्वारा बनाये जाते हैं ।

ग्राम चकरपानपुर, आजमगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

91—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चकरपानपुर, जनपद आजमगढ़ में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना विभाग द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ।

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

रामपुर के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसिस्टों के नाम

92—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में कितने वैध मेडिकल स्टोर्स हैं और उनके सर्टीफिकेट किन-किन नामों से अर्थात किन फार्मेसिस्टों के नामों से दिये गये हैं ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

93—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कुबेर भंडारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए उ0 प्र0 शासन ने पूर्व चयनित सूची के आधार पर उनकी एडहाक नियुक्ति हिल (पहाड़ों के रिक्त स्थानों) पर कर दी है ? यदि नहीं, तो ऐसे त्वरित कार्यक्रम के लिये विलम्ब के क्या कारण हैं ? और कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति—

पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की तदर्थ नियुक्तियां करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

आजमगढ़ जिले में आवास विकास परिषद् की गृहस्थान योजनायें

94—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् की कोई योजना जनपद आजमगढ़ में लागू है ? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन क्षेत्र चुना गया है तथा 31-12-83 तक उसकी क्या प्रगति हुई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, दो योजनायें हैं:—

1—दोहरीघाट रोड गृहस्थान योजना, आजमगढ़ ।

2—फैजाबाद रोड पर स्थित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ़ ।

चुना गया क्षेत्र :

दोहरीघाट रोड गृहस्थान योजना, आजमगढ़ में ग्राम शिवली, परगना निजामाबाद, तहसील व जिला आजमगढ़ की भूमि समाविष्ट हैं ।

फैजाबाद रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ़ में ग्राम दीवपार हरोपट्टी व करतारपुर, परगना निजामाबाद, तहसील व जिला आजमगढ़ की भूमि समाविष्ट हैं ।

दिनांक 31-12-1983 तक की प्रगति—

दोहरीघाट रोड पर गृहस्थान योजना, आजमगढ़ में समाविष्ट भूमि का कब्जा समस्त विधिक कार्यवाही परिषद् द्वारा पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त हो चुका है जिस पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना है । इस भूमि पर हरिजन भू-स्वामियों से कुछ विवाद भी चल रहा है ।

फैजाबाद रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ़ के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई परिषद् द्वारा गठित नियोजन समिति द्वारा निकट भविष्य में किया जाना है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहानागंज आजमगढ़ में चिकित्साधारी की नियुक्ति की मांग

95—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जहानागंज, जनपद आजमगढ में प्रश्नकर्ता विधायक ने एक वरिष्ठ डाक्टर की नियुक्ति हेतु उनसे अनेक बार सितम्बर, अक्टूबर, 1983 में लिखित रूप से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र में डाक्टर की अब तक नियुक्ति न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहानागंज, जनपद आजमगढ़ में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी का पद स्वीकृत होने के कारण वहां पर वरिष्ठ डाक्टर की नियुक्ति सम्भव नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ से कहा गया है कि वे उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थानीय व्यवस्था पर एक डाक्टर की व्यवस्था कर दें।

आजमगढ़ के विकास खण्ड, बिलरियागंज के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों को चावल का आवंटन

96—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज वि0 खं0 में कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं? इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग कितनी जनसंख्या निर्धारित है? वर्ष 1982—1983 में अलग-अलग महीने में कितना-कितना चावल किस-किस दुकान से जनता को उपलब्ध कराया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज वि0 खण्ड में कुल 17 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। इनमें से वर्ष 82-83 में प्रत्येक दुकान पर निर्धारित जनसंख्या व अलग-अलग महीनों में वितरण की गयी चावल की मात्रा का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 145 पर।)

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों को चावल का आवंटन

97—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग महीनों में कितना-कितना चावल किस-किस दुकान से जनता को उपलब्ध कराया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंण्ड में बीस सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। अगस्त, 1983 से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में चावल का वितरण नहीं कराया गया है। आजमगढ़ विकास खण्ड के दो नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत तीन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा अगस्त, 1983 से अलग-अलग महीनों में वितरित किये गये चावल का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 147 पर।)

आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खण्ड के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दूकानों को चावल का आवंटन

98—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खंड में कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं? इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग कितनी जनसंख्या निर्धारित है? वर्ष 82-83 में अलग-अलग महीनों में कितना-कितना चावल किस-किस दुकान से जनता को उपलब्ध कराया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में कुल 17 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। प्रत्येक दुकान पर सम्बद्ध जनसंख्या

एवं उनके द्वारा वर्ष 1982-83 में प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया गया चावल का विवरण संलग्न है"।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 148 पर)

साधन सहकारी समिति, कलाखुरी, बुलन्दशहर की स्पेशल आडिट रिपोर्ट एवं प्रशासक श्री वीरेन्द्र सिंह एवं सचिव के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

99—श्री छत्तर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में साधन सहकारी समिति लि0, कलाखुरी, वि0 खं0 अरनियां में श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रशासक के कार्यकाल में 1981-82 की स्पेशल आडिट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.50 लाख रुपये धन का गवन किया है? क्या विभाग ने पुलिस में प्रशासक व सचिव के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार रुपया 150.70 पैसे का गबन एवं दो लाख आठ हजार छः सौ दस रुपया इकतालिस पैसे की गंभीर अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं। विकास क्षेत्र,अरनियां के सहायक विकास अधिकारी (सह0) द्वारा पुलिस में दिनांक 17-1-84 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रशासक एवं सचिव के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है"।

100—श्री छत्तर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री शोभा राम शर्मा, विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रशासक द्वारा 32 हजार रु0 का घोटाला समिति के खाद व्यवसाय में किया गया? क्या विभाग ने समिति के एकाउन्टेन्ट, श्री अजीत सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही की और नहीं तो क्यों? क्या वीरेन्द्र सिंह को समिति के प्रशासक पद से हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

श्री शोभा राम शर्मा, विकास अधिकारी जिला सहकारी बैंक, बुलन्दशहर को जांच के समय समिति के पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए थे और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर 32 हजार रुपये के घोटाले की संभावना व्यक्त की गयी थी। अब समिति के पूर्ण अभिलेखों से खाद व्यवसाय की जांच की गयी है" और किसी प्रकार का कोई गबन प्रकाश में नहीं आया है"। फलस्वरूप समिति के एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं वीरेन्द्र सिंह को समिति के प्रशासक पद से हटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है"।

नगर महापालिका, लखनऊ की ऐशबाग रोड स्थित आई0 टी0 कालोनी के पार्क के लिये माली की व्यवस्था

101—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 7वें गुरु के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 50 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आई0 टी0 कालोनी स्थित पार्क में माली रखा गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं रखा गया और अब कब तक रखा जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

माली की व्यवस्था कर दी गई है"। प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले की सहकारी समितियों को चीनी एवं मिट्टी के तेल का आवंटन

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में अप्रैल, 83 से सितम्बर, 83 तक सहकारी समितियों को प्रत्येक माह आवंटित किये गये मिट्टी के तेल और चीनी के कोटे को किस माह में किस सहकारी समिति ने नहीं उठाया ? ऐसा क्यों हुआ और संबंधित समितियों अथवा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद बरेली में अप्रैल, 83 से सितम्बर, 83 तक जिन-जिन सहकारी समितियों ने संबंधित माह में आवंटित मिट्टी के तेल और चीनी के कोटे को नहीं उठाया उसका विवरण संलग्न है ।

उपरोक्त माहों में मिट्टी का तेल तथा चीनी का कोटा न उठाने का कारण सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का अपने विभाग के ऋण वसूली में लगे रहना है । कोटा न उठाने के सम्बन्ध में समय-समय पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की बैठकें करके यह सुनिश्चित कराया गया कि समितियां अपना कोटा समय से उठायें ।

लखनऊ—कुर्सी रोड को चौड़ा करने की योजना एवं भूमि का अर्जन

103—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्न-कर्ता के पत्र दिनांक 12-9-83, जिसे मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 1-10-83 को अनु0-2 सं0 8445/सी0 एम0—2/83 द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया है, के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कथित पत्र पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की आख्या मांगी गयी । प्राधिकरण ने बताया है कि लखनऊ मास्टर प्लान में कुर्सी रोड की चौड़ाई 150 फीट रखी गयी है और प्राधिकरण द्वारा इस सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है । अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना कुर्सी रोड के पश्चिम की ओर स्थित है और इस योजना के अधीन वर्ष 1962 में विज्ञप्तियां जारी की गई थीं जिसके अन्तर्गत कुर्सी रोड का अधिकतर हिस्सा सम्मिलित है एवं अर्जन की समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । प्रस्तावित योजना में किसी धार्मिक स्थल जैसे मन्दिर, मस्जिद, मजार आदि को शामिल नहीं किया गया है । माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

जिला अस्पताल रामपुर के सर्जन का स्थानान्तरण

104—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जिला अस्पताल रामपुर में कार्य कर रहे सर्जन को पिछले बीस सालों से चौथी बार स्थानान्तरण करके लाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार स्थानान्तरण कर खुली जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—छापा नहीं गया ।

श्री लोकपति—

जिला अस्पताल, रामपुर में अगस्त, 1980 से सम्प्रति कार्यरत सर्जन को विगत में भी निम्नलिखित अवधि में उक्त अस्पताल में तैनात किया गया था—

(1) जुलाई, 1965 से मार्च, 1969 तक (साधारण ग्रेड के पद पर)।

(2) अगस्त, 1974 से दिसम्बर, 1978 तक (सीनियर स्केल के पद पर)।

उक्त तैनाती जनहित में की गई। 1984 में वार्षिक स्थानान्तरण के समय इन्हें अन्यत्र तैनात करने पर विचार किया जावेगा।

जालौन जिले के नदी गांव के स्व0 धर्मजीत सिंह का मृत्यु पूर्व बयान

105—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 8 नवम्बर, 1983 को नदी गांव (जालौन) के मरणासन्न सूबेदार धर्मजीत सिंह (भारतीय सेना) के आग्रह के बाद भी नदी गांव के चिकित्साधिकारी द्वारा उनके मरणपूर्व बयान न लिखे जाने की जो शिकायत की थी, उसकी जांच किसने और कब की तथा क्या निष्कर्ष रहा और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

प्रश्नकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई। पुलिस में दायर एफ0 आई0 आर0 के आधार पर परगना मजिस्ट्रेट से जांच करायी गई। मृतक का मृत्यु पूर्व बयान न लेने के सम्बन्ध में प्राथमिक केन्द्र नदी गांव के चिकित्साधीकारी को दोषी नहीं पाया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद राय, सेल्स मैन, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, आजमगढ़ की सेवा समाप्ति

106—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जनार्दन प्रसाद राय, सेल्समैन, केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, आजमगढ़ की सेवा अनियमित तरीके से वर्ष 1978 में समाप्त कर दी गई जिसके लिये इनका प्रत्यावेदन विभागीय अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जनार्दन राय, सेल्समैन, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, आजमगढ़ की सेवा अनियमित तरीके से नहीं वरन् धनापहरण के आरोप के कारण वर्ष 1978 में समाप्त कर दी गयी थी। श्री राय का कोई प्रत्यावेदन न तो प्राप्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अतः अन्तिम निर्णय का कोई प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों, फार्मेसिस्टों के रिक्त पद एवं उनका स्थानान्तरण

107—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों/फार्मेसिस्टों की कमी कब से चली आ रही है और रिक्तियों को भरने की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं तथा कब तक इस कमी को दूर किया जा सकेगा ?

श्री लोकपति—

पर्वतीय क्षेत्रों में एलोपैथिक चिकित्सकों /फार्मेसिस्टों की कमी गत कई वर्षों

से चली आ रही हैं। रिक्तियों को भरने की दिशा में शासन द्वारा प्रोन्नतियां /लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्तियां तथा तदर्थ नियुक्तियों द्वारा प्रयास किए गये। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा पद विज्ञप्ति कर दिये गये हैं। फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नये प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को नियुक्ति के लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

108—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1981 से अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में कुल कितने डाक्टरों/फार्मेसिस्टों को नियुक्ति की गई और कितनों का स्थानान्तरण मैदानी क्षेत्रों में किया गया है तथा अब कुल कितने पद रिक्त हैं और इन पर नियुक्तियां कब तक सम्भव हैं ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981 से अब तक पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 369 साधारण ग्रेड के चिकित्साधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई। जनवरी, 1981 से 28-1-1984 तक 464 फार्मेसिस्टों को पर्वतीय जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति हेतु निर्देशित किया गया। साधारण ग्रेड के 308 चिकित्साधिकारियों तथा 234 फार्मेसिस्टों को मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरण किया गया। अब लगभग 450 साधारण ग्रेड के चिकित्साधिकारियों के पद तथा लगभग 30 फार्मेसिस्टों के पद रिक्त हैं। साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद भरने के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा पद विज्ञप्त कर दिये गये हैं तथा

फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नये प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को नियुक्ति के लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

109—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

[5वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पौड़ी गढ़वाल के मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उप केन्द्र

110—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन से मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उप केन्द्र हैं जो अपने स्वीकृत स्थानों पर स्थापित नहीं हैं ? इसके क्या कारण हैं ? और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन केन्द्रों को अपने स्वीकृत स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगा ?

श्री लोकपति—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौखरी कमलपुर, दुधारखाल, चौवहाखाल, बाडियो, बानीखाल, संगुरा, सल्डमहादेव, जडाउखाल, एवं भरोलीखाल मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उप केन्द्र स्वीकृत स्थानों पर भवन उपलब्ध न होने के कारण स्थापित नहीं हैं। भवन उपलब्ध होने पर इन केन्द्रों को उनके स्वीकृत स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों के डाक्टर एवं फार्मेसिस्ट विहीन चिकित्सालय

111—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में कितने ऐसे चिकित्सा-

लय हैं जिनमें स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टर नियुक्त नहीं हैं तथा ये रिक्तियां कब से चली आ रही हैं और कितने ऐसे चिकित्सालय हैं जिनमें फार्मेसिस्ट की भी नियुक्ति नहीं हैं ? इस अव्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री लोकपति—

पर्वतीय क्षेत्रों में एलोपैथिक पद्धति के स्पेशल ग्रेड और सीनियर स्केल के लगभग 16 चिकित्सकों के तथा साधारण ग्रेड के लगभग 450 एवं लगभग 22 पद महिला चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त हैं, जिन पर स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टर तैनात नहीं हैं तथा ये रिक्तियां गत कई वर्ष से चली आ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 31 चिकित्सालय ऐसे हैं जहां फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां नहीं हैं। रिक्त पदों को भरने का प्रयास बराबर जारी है अतः अव्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है।

पर्वतीय क्षेत्रों के एम0 सी0 एच0 सेन्टरों में साज-सज्जा, फर्नीचर, दवाईयों की आपूर्ति

112—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित एम0 सी0 एच0 सेन्टरों में क्या-क्या साज-सज्जा, सामग्री फर्नीचर उपकरण एवं दवाइयां आदि देने का प्राविधान हैं ? क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी केन्द्रों में उक्त सुविधा उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक ये सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

गोरखपुर धुधुली की टाउन एरिया बनाने की मांग

113—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि धुधुली, उपनगर, जिला गोरखपुर को टाउन एरिया बनाने सम्बन्धी मामला शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब तक इसकी घोषणा न किये जाने का क्या कारण हैं एवं इसकी घोषणा कब तक हो जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। पूर्ण होते ही घोषणा कर दी जायेगी।

श्री राम स्वरूप गुप्ता निवासी कानपुर का अपने किरायेदार श्री बाबू राम दीक्षित के विरुद्ध शिकायती पत्र

114—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी मुख्य मंत्री एम0/9925/सी0 एम0-2/83, मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2, सचिवालय एनेक्सी भवन, लखनऊ दिनांक 17-11-83 का कोई आवेदन पत्र श्री राम स्वरूप गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कानपुर से सम्बन्धित प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो प्राप्त संलग्न आवेदन पत्र का पूर्ण विवरण क्या हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

श्री राम स्वरूप गुप्ता के कथित पत्र में उनके किरायेदार श्री बाबूराम दीक्षित द्वारा अपने कमरे का फर्श खुले आंगन

में लगभग एक फुट बढ़ाकर बना लिये जाने की शिकायत है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने व फर्श तुड़वाने की व्यवस्था किये जाने का भी उल्लेख है। श्री बाबूराम दीक्षित द्वारा किया गया निर्माण साधारण मरम्मत है जिसके विरुद्ध नियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

मस्जिद पड़ाइन, अमीनाबाद, कच्चा हाता लखनऊ में अनधिकृत निर्माण

115—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कच्चा हाता लखनऊ में अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 5-8-83 को प्रश्नकर्ता द्वारा कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संलग्न आवेदन पत्र का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत आवेदन-पत्र में श्री अतहर हुसैन द्वारा मस्जिद पड़ाइन, अमीनाबाद, कच्चा हाता, लखनऊ में नजूल भूमि पर अनधिकृत मकान व दुकान के निर्माण की शिकायत की गयी है तथा उक्त निर्माण हटाये जाने का अनुरोध किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पक्ष को फरवरी, 1984 में अनधिकृत निर्माण हटाने के लिये 15 दिन की नोटिस दी गयी है। अब विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण गिराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

गुप्ता पेट्रोलियम, हरदोई को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

116—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि गुप्ता पेट्रोलियम हरदोई को मिट्टी का तेल उनके लाइसेन्स की वैधता समाप्त होने के बाद भी दिया गया? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति, धौरा कोइयामदारपुर, उन्नाव में कथित भ्रष्टाचार की जांच

117—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत माह जुलाई, 1982 से जून, 1983 के बीच सचिव साधन सहकारी समिति धौरा कोइयामदारपुर तहसील व ब्लाक हसनगंज जनपद उन्नाव ने उपभोक्ता की दैनिक प्रयोग की वस्तुओं शकर, तेल तथा कपड़ा की बिक्री में काफी गोलमाल करके हजारों रुपये की लूट की है? यदि हां, तो क्या सरकार इस गम्भीर भ्रष्टाचार की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर गबन का मुकदमा उक्त सचिव के विरुद्ध चलायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जांच से ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अस्तु मुकदमा चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वनस्पति घी में चर्बी का कथित मिश्रण

118—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश में वनस्पति घी में चर्बी के मिश्रण के कितने नमूने पकड़े गये और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश में वनस्पति घी के किसी भी नमूने में चर्बी का मिश्रण नहीं पाया गया । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

119—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

चिकित्सा विभाग के सर्वेलेन्स निरीक्षकों का मलेरिया निरीक्षकों के पद हेतु चयन और मुस्लिम मलेरिया निरीक्षकों की पदोन्नति

120—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह वरिष्ठ सर्वेलेन्स निरीक्षक जो वरीयता के आधार पर 1978 में मलेरिया निरीक्षक के पद पर कार्य करने के लिये चयन किये गये थे, स्थायीकरण से क्यों वंचित रह गये हैं, जबकि उनसे कनिष्ठ सर्वेलेन्स निरीक्षक स्थायी कर दिये गये हैं ?

श्री लोकपति—

मामले की जांच कराई जा रही है ।

121—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने मुस्लिम मलेरिया निरीक्षक हैं जो पिछड़ी जाति के हैं ? उनमें से कितनों की पदोन्नतियां उच्च पदों पर वर्ष, 1978 से अब तक की जा चुकी हैं ? उनकी सूची क्या है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मलेरिया निरीक्षक एवं सर्वेलेन्स का वेतनमान

122—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग की संस्तुति पर समान कार्य होते हुए मलेरिया निरीक्षक एवं सीनियर मलेरिया निरीक्षक का वेतनमान समान न होने का क्या कारण है ? मलेरिया निरीक्षक का पद उच्च होते हुए भी सर्वेलेन्स निरीक्षक से कम वेतनमान क्यों है, जबकि वर्ष 1960 से दोनों का वेतनमान समान था ?

श्री लोकपति—

वेतन आयोग की प्रश्नगत संस्तुति बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के सन्दर्भ में की गयी थी । मलेरिया निरीक्षक एवं सीनियर मलेरिया निरीक्षक को उक्त योजना से अलग रखा गया है । अतएव वेतन आयोग की उक्त संस्तुति प्रश्नगत पदों पर लागू नहीं होती । सर्वेलेन्स निरीक्षक को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत "स्वास्थ्य पर्यवेक्षक" के पद पर समायोजित किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसे "स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों" को अनुमन्य वेतनमान दिया गया है ।

गाजियाबाद, विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट्स

123—श्री जनार्दन प्रसाद आंभा, श्री राम गोविन्द तथा गौरी शंकर भैंय्या—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बैलेंसशीट बनाने के लिये चार्टर एकाउन्टेन्ट्स को 42,000 रु0 प्रतिवर्ष दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या बैलेंसशीट पूरी तरह तैयार हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बैलेंसशीट बनाने के लिये किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को कोई धनराशि प्रति वर्ष नहीं दी गयी । बैलेंसशीट अभी तैयार नहीं हुई है ।

प्राधिकरण के लेखे दोहरी लेखा-प्रणाली पर रखे जा रहे हैं । लेकिन वर्ष 1960 से अब तक लेखे अपूर्ण होने के कारण प्राधिकरण के असेट्स तथा लायबिलिटीज को निकालने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है जिसके कारण बैलेंसशीट बनाया जाना सम्भव नहीं हुआ है ।

फजलगंज, कानपुर में प्रेम नारायण शुक्ला के हाते की भूमि का अधिग्रहण

124—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि मलिन बस्ती, 122/230, फजलगंज कानपुर के अधिग्रहण के निर्णय को जबकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन पड़ा हुआ था, फैसला होने के पहले किन कारणों से बदला गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गृह संख्या—122/230 फजलगंज, कानपुर जिसे प्रेम नारायण शुक्ला के हाते के नाम से जाना जाता है को उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम 1962 की धारा— 17(1) व 17 (4) के अधीन अधिगृहीत करके धारा 18(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी, कानपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया था । हाता स्वामी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के उपरान्त अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही की विधिक प्रक्रिया में त्रुटि पायी गयी । त्रुटि के कारण उक्त अधिसूचना निरस्त कर दी गई । साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण को पुनः अधिग्रहण की कार्यवाही करने को लिखा गया ।

मेरठ मण्डल के व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर गेहूं का अवैध निर्यात एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं लाइसेंस का निलम्बन

125—श्री मन्जूर अहमद—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1983 में मेरठ मण्डल के डिवाई, खुर्जा, बरेली, मण्डल के बरेली, शाहजहांपुर, बबराला, आवला, उझानी, बदायूं से किस व्यापारी द्वारा कितना गेहूं प्रदेश सरकार को मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर लेवी में आफर किया गया, कितना गेहूं मार्केटिंग स्टाफ द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा अस्वीकार किये जाने पर कितना गेहूं प्रदेश के बाहर व्यापारियों द्वारा निर्यात किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर संलग्न है ।

†नोट—छापी नहीं गयी ।

126—श्री मन्जूर अहमद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बरेली केन्द्र के व्यापारियों द्वारा उक्त अवधि में गेहूं का अवैध निर्यात किया गया ? इस अवैध निर्यात में किस निरीक्षक ने कितना गेहूं लेवी में आफर किये जाने पर अस्वीकार किया तथा क्या अवैध निर्यात की जानकारी आर0 एफ0 सी0 बरेली को थी, यदि हां, तो किस दिनांक को उन्हें जानकारी प्राप्त हुई तथा किस दिनांक को अवैध निर्यात रोकने के लिये किस स्तर की कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 150 पर ।

127—श्री मन्जूर अहमद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आर0 एफ0 सी), बरेली ने बरेली केन्द्र के निरीक्षकों का स्थानातरण दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को किया था ? यदि हां, तो मार्च, 1984 तक स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण खाद्य मंत्री जी से स्थानान्तरण की पूर्व अनुमति ली गयी थी ? यदि अनुमति ली गयी थी, तो क्या ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां ।

प्रशासनिक आधार पर किये गये प्रश्नगत कर्मचारियों के स्थानान्तरण का जनहित में तत्काल प्रभावी किया जाना अनिवार्य पाया गया था । अपेक्षित अनुमति बाद में प्राप्त की जा चुकी है ।

यू0 पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ बालाकदर रोड, लखनऊ में कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्ति एवं नियमितीकरण

128—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ, लि0, बालाकदर रोड, लखनऊ में तदर्थ नियुक्ति के रूप में तृतीय श्रेणी के कुछ ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी सेवायें तीन वर्ष से ऊपर हो गयी हैं किन्तु उनको नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

कार्य के हित में तृतीय श्रेणी में तदर्थ नियुक्तियां अधिकतम 89 दिन के लिये की जाती हैं । संघ में इस प्रकार के 8 कर्मचारी हैं, जिन्हें तीन वर्षों से अधिक से अधिक 89 दिन के लिये नियुक्त किया जाता रहा है । उत्तर प्रदेश कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 में ऐसे कर्मचारियों की संघ द्वारा नियमित नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः इन्हें नियमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जल निगम के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिकारियों की पोस्टिंग के संबंध में आदेश

129—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि सन् 1977 में शासन ने आदेश दे

कर जल निगम के अधीक्षण अभियन्ता व उनसे उच्च पदाधिकारियों की पोस्टिंग, सर्विस आदि के सम्बन्ध में शासन को अधिकार दिये थे ? क्या यह सत्य है कि अब उन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा उन आदेशों को बदलने का प्रयास हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । प्रश्नगत मामले में जारी किये गये आदेशों को निरस्त करने के लिये जल निगम द्वारा मामला शासन को संदर्भित किया था, जिससे प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके । किन्तु उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है और शासन द्वारा इन आदेशों को बदलने का कोई विचार नहीं है ।

सहारनपुर नगर के अहमद बाग, चन्द्र नगर, लाला हिम्मतबाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

130—श्री राम स्वरूप निम—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के शहर सहारनपुर में अरबन सीलिंग की वर्ष 80 से 83 नवम्बर तक कुल कितनी जमीन थी ? क्या उस जमीन पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अधिकारियों से मिलकर अहमद बाग, चन्द्र नगर, लाला हिम्मत बाग इत्यादि में अवैध कब्जा करके उनकी बिक्री की है ? क्या इनकी जांच कर किये गये अवैध कब्जों को हटा कर हरिजन एवं निर्बल वर्ग के आवासहीन व्यक्तियों को आवंटित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सहारनपुर नगर बस्ती में नवम्बर 83 तक 2,77,697 वर्ग मीटर सीमाधिक्य रिक्त भूमि शासन में निहित हुई जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया ।

उक्त भूमि के किसी भाग पर अवैध कब्जा करके विक्रय नहीं किया गया है किन्तु अवैध निर्माण के कतिपय मामले प्रकाश में आये हैं ।

अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी, सहारनपुर द्वारा दे दिये गये हैं । अधिग्रहीत भूमि का आवंटन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

बाराबंकी के जैदपुर, मोहल्ला चिकना महल के स्व0 राहत अली के मकान एवं चबूतरे पर कथित कब्जा

131—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे वर्मा, एम0 एल0 ए0 का दिसम्बर, 83 का पत्र जो जिला बाराबंकी के कस्बा जैदपुर के मोहल्ला चिकना महल के निवासी स्व0 राहत हुसेन के गिरे हुए मकान के सामने टाउन एरिया ने खड़ंजा बिछाने की योजना के अन्तर्गत उक्त गिरे हुए मकान के चबूतरे को खोदकर समाप्त करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

तथाकथित पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। जिला अधिकारी की सूचना के अनुसार वह उनको प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु प्राप्त सूचनानुसार संदर्भगत मामले में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि श्री राहत अली (राहत हुसैन नहीं) के न तो कोई मकान और न गिरे हुए मकान के खंडहर (चबूतरा) पर सड़क का कोई निर्माण कराया गया है।

जौनपुर की लार्ज साइज सोसाइटी, खेता सराय एवं अर्गूपुर में सुपरवाइजर के रिक्त पद

132—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के लार्ज साइज सोसाइटीज में कितने स्थानों पर सुपरवाइजर के स्थान पर सचिव द्वारा कार्य लिया जा रहा है तथा कितने दिनों से ? क्या ऐसी समितियों में सचिव के स्थान पर सुपरवाइजर की नियुक्ति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक—

प्रशिक्षित सुपरवाइजरों की कमी के कारण जनपद जौनपुर के दो लार्ज साइज सोसाइटीज खेता सराय एवं अर्गूपुर में सुपरवाइजर के स्थान पर सचिव से कार्य लिया जा रहा है।

उक्त दोनों क्षेत्रीय सहकारी समितियों में सुपरवाइजर की तुरन्त नियुक्ति करने के आदेश सहायक निबंधक जौनपुर को दे दिये गये हैं।

आजमगढ़ जिले के दीदारगंज के सुपरवाइजर श्री चन्द्रका सिंह का निलम्बन

133—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रका सिंह, सुपरवाइजर दीदारगंज, तह0 फूलपुर, जनपद आजमगढ़ पांच वर्षों से अधिक से निलंबित हैं तथा उन्हें आज तक आरोप-पत्र नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या आरोप हैं और किस अधिकारी के आदेश से इन्हें निलम्बित किया गया है ? उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

श्री सिंह को उनके द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण तत्कालीन प्रबंध संचालक, जिला सहकारी बैंक लि0, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19-7-1969 को निलम्बित किया गया था।

श्री चन्द्रका सिंह को अन्तरिम रूप से बहाल कर जनपद देवरिया में नियुक्त कर दिया गया है तथा उनके मामले में अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहानागंज, आजमगढ़ में परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन

134—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ ब्लाक जहाना-

गंज में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता को शिक्षित करने हेतु माह दिसम्बर, 82 से माह दिसम्बर, 83 तक कितने शिविरों का आयोजन किया गया ? तथा उनमें कितनी धनराशि का व्यय किया गया ?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहानागंज में प्रश्नगत अवधि में कुल 12 अनुस्थापन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें कुल रुपये 4,800 की धनराशि व्यय हुई ।

सीतापुर, नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बकाये का भुगतान

135—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि0 21 मार्च, 83 में जो कर्मचारीगण स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, सीतापुर की मांगों के सम्बन्ध में हैं, जिनके पाने की सूचना आपके प0 सं0 123/न0 वि0 मं0/83 दि0 2-4-83 द्वारा दी गयी, के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा उनकी मांगे क्या थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

संदर्भित पत्र जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर को जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 20 अप्रैल 1983 को भेज दिया गया था । कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें सन् 72 के एरियर में केवल 9 माह का भुगतान किया गया है और 7 माह के एरियर का भुगतान नहीं किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने पर यह प्रकाश में आया कि केवल 18 कर्मचारियों के 7 माह की एरियर की धनराशि के नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट नहीं क्रय किये गये । ऐसा क्यों हुआ, उसकी जांच की जा रही है ।

वाराणसी जिले के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौरी में व्याप्त कीठनाइयां

136—श्री बनवारी राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में रा0 आ0 चि0, चौरी से पत्रांक 29/83-84 दि0 05-10-83 को चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त चिकित्सालय की कीठनाइयों के सन्दर्भ में एक पत्र क्षेत्रीय आ0 अधिकारी, वाराणसी को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वाराणसी द्वारा अधिकांश कीठनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी एवं मिर्जापुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

137—श्री बनवारी राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर के रा0 आ0 चिकित्सालयों के कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह के प्रथम तिथि को

मिल जाता है ? यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक वेतन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

इन कर्मचारियों का वेतन बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाता है । अंतः वेतन माह के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराना कठिन होता है । प्रथम सप्ताह में वेतन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

वाराणसी एवं मिर्जापुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के रिक्त पद

138—श्री बनवारी राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद वाराणसी एवं मिर्जापुर में जुलाई, 82 से अब तक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त पद पर नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी । यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के रिक्त पदों हेतु अभी चयन किया जाना है । क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौरी, वाराणसी के उच्चीकरण की मांग

139—श्री बनवारी राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में रा0 आ0 चिकित्सालय, चौरी को 25 शैय्या युक्त चिकित्सालय बनाने हेतु मा0 मंत्री जी ने दि0 8-4-81 को घोषणा की है, जिसके सम्बन्ध में निदेशक आयुर्वेदिक उ0 प्र0 ने क्षेत्रीय आ0 अधिकारी, वाराणसी से आवश्यक साज-सज्जा एवं कर्मचारियों की सूची व्यय विवरण की मांग की थी ? उस पर अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने चौरी अस्पताल को 25 शैय्या-युक्त अस्पताल बनाने हेतु आवश्यक व्यय विवरण निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं को भेजा था ।

अस्पतालों के उच्चीकरण की योजना जिला योजना के अन्तर्गत आती है । जिला योजना समिति वाराणसी द्वारा इसके लिये धन का प्रबन्ध करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों का निलम्बन

140—श्री गौरी शंकर भैया—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि मई, 83 में उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में आन्दोलन करने के कारण निलम्बित 23 कर्मचारियों में से केवल 8 कर्मचारियों को ही बहाल किया है ? यदि हां, तो शेष लोगों को पुनः बहाल न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी शेष कर्मचारियों को बहाल करने हेतु विभाग को आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार मई, 83 में

बैंक के कुल 23 कर्मचारी निलम्बित किये गये थे। निलम्बन का कारण मांग के विषय में कथित आन्दोलन नहीं था, अपितु अन्य गंभीर आरोप हैं, जिसमें आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित हैं।

गुणावगुण के आधार पर विचार करके 15 कर्मचारियों को अन्तिम रूप से बहाल कर दिया गया है। तीन कर्मचारियों के निलम्बन के मामले माननीय उच्च न्यायालय में तथा शेष मामले अभी बैंक में विचाराधीन हैं।

गोरखपुर के मोहल्ला उदारपुर स्थित क्षय केन्द्र को हटाने की मांग

141—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर शहर की घनी आबादी वाले आवासीय कालोनी मु0 दाउदपुर में क्षय रोग सम्बन्धी कोई उप केन्द्र खोला गया है जिससे लोगों में असन्तोष और आक्रोश है? यदि हां, तो सामूहिक स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार उसे तुरन्त अन्यत्र हटाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

शहर गोरखपुर में चारुचन्द्र दास ट्रस्ट गोरखपुर स्वैच्छिक संस्था द्वारा गत वर्ष 1966 से चलाये जा रहे क्षय केन्द्र को दिनांक 30-9-83 को जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, गोरखपुर का उपकेन्द्र घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आगरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर सीकरी के डा0 दशमानकर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

142—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के प्रा0 स्वा0 केन्द्र, फतेहपुर सीकरी के प्रभारी डा0 दशमानकर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 9-12-83 को प्रेषित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

जी हां, प्रश्नगत पत्र दिनांक 9 दिसम्बर 1983 मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच में दोषी पाये गये प्रभारी चिकित्साधिकारी, ए0 एन0 एम0 तथा स्वास्थ्य निरीक्षका को चेतावनी दे दी गयी है।

साधन सहकारी समिति कुकरा, नारायनपुर, हरदोई के सचिव, श्री भीमकरन सिंह का स्थानान्तरण एवं सेल्समैन, के विरुद्ध शिकायती-पत्र

143—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति कुकरा, नारायनपुर, वि0 खं0 भरावन, हरदोई के सचिव श्री भीमकरन सिंह ने दिसम्बर,83 में वहां के सेल्समैन श्री राम स्वरूप द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतें उक्त समिति के अन्य अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने व अपनी सुरक्षा तथा ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के बीच से अपना

स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रबन्धक सचिव, जिला सहकारी बैंक, हरदोई व अन्य अधिकारियों को कोई आवेदन-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

श्री भीमकरन सिंह का स्थानान्तरण कर दिया गया है । संबंधित सेल्समैन की सेवायें समाप्त की कार्यवाही करते हुए उसके विरुद्ध धारा 68 के तहत अधिभार की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

गोरखपुर, मेरठ, बरेली की नगर महापालिकाओं को दिया गया अनुदान

144—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, गोरखपुर मेरठ, बरेली को नगर महापालिका घोषित करने के बाद अलग-अलग कितनी अनुदान राशि विकास के लिये अब तक दी गयी ? क्या यह सच है कि मेरठ, बरेली नगर महापालिका को गोरखपुर की अपेक्षा अधिक अनुदान राशि दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

तीनों महापालिकाओं को अनुदान निम्नवत् दिया गया है —

	रु0
1—गोरखपुर	51,65,240
2—मेरठ	69,69,860
3—बरेली	98,32,100

मेरठ एवं बरेली नगर महापालिकाओं को गोरखपुर की अपेक्षा अधिक अनुदान दिया गया ।

अनुदान सड़कों की लम्बाई तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा सम्बन्धित नगर महापालिकाओं द्वारा प्रेषित विशिष्ट परियोजनाओं तथा उनकी लागत के आधार पर स्वीकृत किया जाता है ।

गोरखपुर जिले के महावीर छपरा में चिकित्सालय खोलने की मांग

145—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 83 में संयुक्त निदेशक, गोरखपुर को गोरखपुर जनपद के महावीर-छपरा नामक स्थान पर 30 शैय्या वाला चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर के रुस्तमपुर-कर्जाकपुर मार्ग का निर्माण

146—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत रुस्तमपुर-कर्जाकपुर तथा दाउदपुर-गोपालगंज मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा अप्रैल, 83 में लिखे पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो दाउदपुर-गोपलापुर तथा रुस्तमपुर-

कर्ज कपूर मार्ग कब तक निर्मित करा दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

रुस्तमपुर-कजीकपुर मार्ग के एक अंश का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा ।

सीतापुर जिले के सहकारी सुपरवाइजरों के वेतन का भुगतान

147—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिले के पी0 सी0 यू0 ग्रेड सुपरवाइजरों को अभी तक कई-कई माह का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा वेतन दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

सीतापुर जनपद में कार्यरत समस्त सहकारी पर्यवेक्षकों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, जिनके वेतन का भुगतान वेतन चन्दा समय से जमा न होने के कारण नहीं किया जा सका था ।

पर्वतीय जिलों के लिये स्वीकृत पेयजल योजनाएं

148—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 से अब तक शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितनी पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई हैं और इनके लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है ? इन स्वीकृत पेयजल योजनाओं से कितनी पेयजल योजनाओं का दिसम्बर 1983 तक निर्माण किया गया है और उस पर कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1981 से जनवरी, 1984 तक 1481 पेयजल योजनाओं पर जल निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हैं तथा इन स्वीकृत योजनाओं की लागत 4768 लाख रु0 है । उपरोक्त सभी स्वीकृत योजनाओं पर निर्माण किया गया है तथा इन योजनाओं तथा वर्ष 1981 से पहले आरम्भ की गई योजनाओं पर वर्ष 1981-82, 1982-83 में क्रमशः 1945.00 व 2129 लाख रु0 व्यय हुआ तथा वर्ष 1983-84 में जनवरी के अन्त तक 1793.50 लाख रु0 व्यय हो चुका है ।

मोहल्ला नदेसर, वाराणसी में सीलिंग की भूमि

149—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 188/11/2, 62223/02, 224/03, 225/02, 246/1-42 रकबा 4.10 एकड़ मुहल्ला नदेसर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी की धारा 21 (1) अरबन अमानत, तह0 व जिला वाराणसी की सीमा-गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 (1) के अन्तर्गत आराजी नं0 188/11 व 246, 221, 222, 223, 224, 225 एवं 226 क्षेत्रफल 83712 वर्ग फीट, स्थित मोहल्ला नदेसर, परगना देहात अमानत, तह0 व जिला वाराणसी को सीमाधिक्य रिक्त भूमि भू-धारक द्वारा धारण किए जाने की अनुज्ञा दी गयी है । अनुज्ञा

अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार समाज के दुर्बल वर्ग हेतु आवासीय एककों के निर्माण के लिए प्रदान की गयी हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की छात्र परिचारिकाओं को छात्रावास का आवंटन

150—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्र परिचारिका छात्रावास राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में छात्रावास के आवंटन छात्र परिचारिकाओं को अब तक किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में छात्र परिचारिकाओं के लिये परिचारिका छात्रावास किराये पर लिया गया हैं। इसमें परिचारिकायें नियमित रूप से रह रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर महापालिका द्वारा सड़कों एवं नालियों का निर्माण एवं तारकोल की खरीद

151—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 व 82-83 में गोरखपुर नगर महापालिका द्वारा कुल कितने कि0 मी0 नवीन सड़कों व नालियों का निर्माण व मरम्मत कार्य कराया गया ? उक्त निर्माण व मरम्मत कार्य में लगे तारकोल कहां-कहां से मंगाये गये ? क्या उनका भुगतान कर दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तारकोल मंगाने की जांच होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर नगर महापालिका द्वारा वर्ष 1981-82 में 0.95 कि0 मी0 सड़क तथा 3.32 कि0 मी0 नाली का निर्माण कराया गया तथा 7.59 कि0 मी0 सड़क एवं 13.10 कि0 मी0 नाली की मरम्मत करायी गयी। वर्ष 1982-83 में 0.68 कि0 मी0 सड़क एवं 2.96 कि0 मी0 नाली का निर्माण कराया गया तथा 5.43 कि0 मी0 सड़क एवं 8.31 कि0 मी0 नाली की मरम्मत करायी गयी।

तारकोल का प्रबन्ध स्थानीय स्तर से तथा मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, बम्बई से किया गया।

तारकोल के मूल्य का भुगतान कर दिया गया हैं। चूंकि तारकोल नियमानुसार ही क्रय किया गया हैं तथा उसका भुगतान भी समय से किया गया हैं, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता हैं।

गोरखपुर, रीड्स साहब धर्मशाला स्थित दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

152—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत रीड्स साहब धर्मशाला के सामने बन रही दुकानों की प्रीमियम की धनराशि 27-11-80 को जमा करा ली गई, परन्तु उसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ हैं ? यदि हां, तो दुकानों का निर्माण कराकर इन दुकानों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर नगर में रीड्स साहब धर्मशाला के सामने बन रही दुकानों के प्रीमियम की प्रथम किश्त नवम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 के बीच जमा करायी गयी थी।

दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। दुकानों का आवंटन दुकान लेने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण फिलहाल स्थगित हैं।

नगर महापालिका, गोरखपुर में समायोजित गांवों में सड़कों का निर्माण

153—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 2-3-83 पत्र सं0 4221/ IV /पी0 डब्ल्यू0 डी0 के माध्यम से जो उप सचिव, नगर विकास को संबोधित हैं, नगरमहापालिका, गोरखपुर के अन्तर्गत समायोजित गांवों के समुचित विकास के लिए सड़कों के निर्माण के लिए लिखा हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। नगर महापालिका, गोरखपुर की सीमा के अन्तर्गत आये अतिरिक्त क्षेत्र में सड़कों के सामान्य अनुरक्षण आदि के लिए नियमानुसार देय रु0 2,51,000 की अतिरिक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 1983-84 में साधारण सड़क अनुदान के रूप में अवमुक्त की जा चुकी हैं।

लखनऊ स्थित अलीगंज नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत निर्मित क्वार्टर का श्रीमती कुमुदनी शर्मा, श्रीमती मंजू कोशलम एवं श्रीमती चन्द्रावती को आवंटन

154—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित अलीगंज नगर एवं मार्ग प्रसार योजना अन्तर्गत क्वार्टर संख्या ई-11/907 जो श्रीमती कुमुदनी शर्मा को आवंटित किया गया हैं, बिना नक्शा पास कराये तथा कब्जा दिये हुए अवैध रूप से उसका निर्माण कराया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

अवैध निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी हैं। मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

155—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ महापालिका अन्तर्गत अलीगंज नगर एवं मार्ग प्रसार योजना के अन्तर्गत सेक्टर आई में आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लोगों के लिये निर्मित एक कमरे का आवास गृह संख्या ई-111/804 श्रीमती चन्द्रावती ई-111/805 उनकी बड़ी पुत्रबधू श्रीमती मंजू कोशलम तथा ई-111/806 उनकी दूसरी पुत्रबधू के नाम तथा ई-111/807 उनकी पुत्री श्रीमती कुमुदनी शर्मा के नाम बिना आय का प्रमाण-पत्र दाखिल किये ही आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कारण क्या हैं ? क्या यह सच हैं कि उपरोक्त सभी आवंटियों की मासिक आय निर्धारित

सीमा के चार गुने से भी अधिक हैं ? यदि हां, तो आवास गृह किस आधार पर आवंटित किये गये और आवंटन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

श्रीमती कुमुदनी शर्मा को छोड़कर, अन्य ने पंजीकरण कराने के दिनांक को जो आय अपने प्रार्थना-पत्रों में दिखाई थी, उसके आधार पर निर्बल वर्ग की आय सीमा में होने पर उन्हें भवनों का आवंटन किया गया । श्रीमती कुमुदनी शर्मा ने अपने आवेदन-पत्र में कोई आय नहीं दिखाई थी थी, अतः उनको भवन का कब्जा नहीं दिया गया ।

इन आवंटियों से नियमान्तर्गत आय का प्रमाण-पत्र मांगा जा रहा है । प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों/कैटेलागर का वेतनमान

156—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मेडिकल कालेज के पुस्तकालयाध्यक्षों/कैटेलागर को उ0 प्र0 द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन मान स्वीकृत करते हुए शासनादेश प्रसारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें कौन सा वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक शासनादेश प्रसारित करने की संभावना है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । इनके बारे में कुछ सूचना अभी अपेक्षित है । इन्हें नया वेतनमान शीघ्र स्वीकृत करने की कार्यवाही हो रही है ।

157—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 द्वितीय वेतन आयोग ने प्रदेश के मेडिकल कालेज के पुस्तकालयाध्यक्षों को पांच श्रेणियों में से दो का वेतनमान 1,000-1,900 रुपये प्रदान करने की संस्तुति की है एवं शासन ने इसे स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त वेतनमान अभी तक पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रदान करने हेतु वित्तविभागीय शासनादेश प्रसारित नहीं किये जा सके हैं ? निकट भविष्य में शासनादेश कब तक प्रसारित होने की संभावना है ?

श्री लोकपति—

जी हां । लेकिन साथ ही वेतन आयोग ने इस कोटि के पुस्तकालयाध्यक्षों के लिये न्यूनतम अर्हता किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ लाइब्रेरी साइन्स में डिग्री तथा कुछ अनुभव रखे जाने तथा अनर्ह पुस्तकालयाध्यक्षों को अन्यत्र खपाने व उनके स्थान पर अर्ह व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने की संस्तुति की है । मेडिकल कालेजों में कार्यरत वर्तमान पुस्तकालयाध्यक्ष वेतन आयोग द्वारा संस्तुत अर्हतायें नहीं रखते हैं, अतएव उन्हें उक्त वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । उन्हें कोई दूसरा वेतनमान शीघ्र स्वीकृत किये जाने पर विचार हो रहा है ।

स्थानीय निकायों के लिये समिति का कथित गठन

158—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय निकायों की दशा सुधारने के

लिए इस वर्ष 1982 में कोई समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो समिति की उपयोगिता एवं औचित्य क्या है और वह अपनी रिपोर्ट कब तक देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर द्वारा राज्य परिवार कल्याण अधिकारी के आदेशों का पालन

159—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या प0 क0 (3) प्र0 शि0 (1) (जी-4) (83) 83-2, दिनांक 27-9-83 का पालन मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में क्या शासन जांच कराकर उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत आदेशों की अवहेलना नहीं हुई है । इसलिये शेष प्रश्न नहीं उठते ।

लखनऊ, सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में निहित ग्राम महिबुल्लापुर, आकिलपुर आदि की भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर का भुगतान

160—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिबुल्लापुर, आकिलपुर, बेलीगारद, बेलीगारद-वटहा सवोली, सिकन्दरपुर, इनायतअली, खलीलाबाद, खरगापुर, पहाड़पुर, डुडौली एवं समरा डयोढ़ी (लखनऊ) के गांवों के मध्य से गुजरने वाली सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में अधिग्रहीत सड़क के किनारे की जमीन का मुआवजा क्या अलग-अलग गांवों में अलग-अलग रेट से है जिससे किसानों में तथा अन्य संबंधित लोगों में घोर असन्तोष है ? क्या उक्त योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु 30-12-83 तक रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें जनता से 15 प्रति वर्ग फुट के दाम मांगा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना में निहित ग्राम महिबुल्लापुर, आकिलपुर, बैलीगारद, वटहासवोंली, सिकन्दरपुर, इनायतअली, खलीलाबाद, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, कुडौली एवं सभरा डयोढ़ी की अधिग्रहीत भूमि में से ग्राम महिबुल्लापुर में 40 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिकर का अग्रिम भुगतान किया गया है शेष ग्रामों में अभी प्रतिकर देने की कार्यवाही अपेक्षित है । प्रतिकर का निर्धारण उस ग्राम में प्रथम विज्ञप्ति धारा 4 के प्रकाशन तिथि के आस-पास प्रचलित बाजार भाव के आधार पर किया जाता है । अभी तक किसी ग्राम में अंतिम रूप से अभिनिर्णय तैयार करके प्रतिकर का निर्धारण नहीं किया गया है ।

जी हां ।

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा गोरखपुर मंडल द्वारा की गयी नियुक्तियां

161—श्री जनार्दन प्रसाद आंभा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में उक्त अधिकारी ने कितने नए लोगों की नियुक्तियां कीं ? क्या यह सच है कि ये नियुक्तियां बिना

स्थान सृजन एवं पद विशीप्त किए ही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले में लघु और सीमान्त कृषकों को दिया गया उर्वरक अनुदान

162—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में सीमान्त व लघु किसानों को खाद में 25 प्रतिशत व 33 प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो जनपद देवरिया के विकास खण्ड रुद्रपुर, देसही, देवरिया, गौरी बाजार, बैतालपुर तथा रामपुर कारखाना के सीमान्त तथा लघु किसानों को खाद में अनुदान न देने का कारण क्या है ? क्या इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

विकास खंड रुद्रपुर एवं देसही देवरिया के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरक पर क्रमशः 2409.18 पैसा एवं 16,342.80 पैसा अनुदान दिया गया है । शेष विकास खण्ड गौरी बाजार, बैतालपुर, रामपुर कारखाना के कृषकों को तथा देसही देवरिया एवं रुद्रपुर के कुछ लघु और सीमान्त कृषकों को बजट के अभाव में उर्वरक पर अनुदान प्राप्त नहीं हुआ ।

जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर बाराबंकी के खाद्य निरीक्षक श्री एस0 के0 वर्मा के विरुद्ध की गयी कथित प्रतिकूल प्रविष्टि

163—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य निरीक्षक (श्री एस0 के0 वर्मा) के विरुद्ध 1973-74 में स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर बाराबंकी के चिकित्साधिकारी डा0 आर0 पी0 पाण्डे और कर्नल ए0 सी0 चोपड़ा जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इनके संबंध में गम्भीर प्रविष्टि दी थी जिसमें सत्यनिष्ठा न प्रमाणित करना तथा प्रोन्नति के योग्य न होने का उल्लेख था ? यदि हां, तो इनकी प्रोन्नति राज्य सचिव दल में कैसे कर दी गयी ?

श्री लोकपति—

ऐसी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि डा0 पाण्डे और करनल चोपड़ा द्वारा श्री वर्मा को वर्ष 1973-74 में दिए जाने की पुष्टि उपलब्ध अभिलेखों से नहीं हो सकी है । श्री वर्मा की प्रोन्नति ज्येष्ठता (अनुपयुक्तों को छोड़कर) के आधार पर हुई है ।

उन्नाव जिले की सहकारी संघ, मोहान की भूमि पर श्री जंगली द्वारा अवैध निर्माण

164—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगली पुत्र राज बहादुर निवासी कस्बा मोहान, थाना व तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव ने माह दिसम्बर, 1982 को सहकारी संघ, मोहान की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनवा लिया था जिसके संबंध में दिनांक 25-12-82 को उपरोक्त संघ के प्रभारी अधिकारी ने तहसीलदार व परगनाधिकारी हसनगंज, जनपद उन्नाव को शिकायती-पत्र भी दिया था ? क्या यह भी

सही हैं कि परगनाधिकारी, हसनगंज ने वर्ष 1983 में उक्त मकान गिराए जाने के निर्देश भी भेजे थे ? यदि हां, तो अब तक मकान न गिराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्रित की जा रही हैं ।

गन्ना समिति, पिपराइच के गन्ना ग्राम सेवक श्री राम नरायन पाण्डेय द्वारा की गयी धांधा-धड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 7 सूचनाओं को स्वीकार किया हैं । ये 7 सूचनायें श्री बलबीर सिंह, माननीय केदारनाथ सिंह, माननीय मित्रसेन, माननीय मसरूर जाफरी, माननीय नन्द किशोर सिंह माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद तथा माननीय श्री अकबर हुसैन एवं इसके साथ ही श्री राम गोविन्द ने दी हैं । माननीय हरिवंश सहाय की सूचना चूंकि 200 शब्दों से अधिक हैं और यह नियम 56 में प्राप्त हुई हैं, श्री गोपी नाथ वर्मा की सूचना भी 200 शब्दों से अधिक हैं तथा श्री ओम प्रकाश जिन्दल की सूचना भी 200 शब्दों से अधिक हैं इसलिए इनको मैंने अस्वीकार किया हैं ।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी हैं वह 200 शब्दों से अधिक नहीं हैं । . . . . (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें । आप मेरे कक्ष में आयें ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री केदारनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना समिति पिपराइच के गन्ना ग्राम सेवक श्री राम नरायन पांडेय द्वारा फर्जी बान्ड बनाकर लाखों रुपये सैंकड़ों गन्ना कृषकों के नाम पर निकाल लिये जाने का मामला प्रकाश में आया हैं और हाल ही में मैंने कुछ कृषकों के आवेदन-पत्र को संलग्न करते हुए जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर को पत्र लिखा था जिस पर उक्त गन्ना ग्राम सेवक वहां से हटा दिये गये परन्तु सुनने में आया हैं कि पुनः उसे गन्ना समिति पिपराइच में वापस कर दिया गया । लगता हैं कि विभागीय अधिकारियों को भी मिला लिया हैं गत वर्ष भी कई किसानों के शिकायती-पत्र को मैंने जिला गन्ना अधिकारी को भेजा था परन्तु अभी तक उस पर भी जांच नहीं की गयी जिससे पूरे क्षेत्र के गन्ना कृषकों में क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त हैं । इन कृषकों में कई गरीब हरिजन भी सम्मिलित हैं ।

अतः इस लोक महत्व के विषय की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल जांच कराकर कृषकों को राहत पहुंचायी जाए तथा दोषी कर्मचारी से प्रभावित होकर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय ।

अयोध्या, फैजाबाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत अयोध्या पावन नगरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संपूर्ण व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

असामाजिक तत्वों के हाथों में गिरफ्त हो गयी हैं। सामान्य रूप से कहें, विशिष्ट त्योहारों, पर्वों एवं सामाजिक उत्सवों पर भी लोगों को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा हैं। सार्वजनिक वितरण की दुकानें ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हैं, जो या तो अपराधी प्रवृत्ति के हैं अथवा जिनके इर्द-गिर्द असामाजिक तत्वों का गिरोह मंडराता रहता हैं तथा वे दुकानदारों से पलते-पुसते हैं और या तो वे लोग हैं जिनको विभागीय अधिकारी अथवा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हैं। परिणामस्वरूप इन सरकारी दुकानदारों ने फर्जी कार्ड, फर्जी यूनिटें अपने आप अंधाधुन्ध बढ़ा लिया हैं और भारी पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं की लूट मचा रखी हैं। शिकायत करने वालों पर पुलिस के संरक्षण में गुंडों से हमला कराकर उन्हें त्रस्त और आतंकित किया जाता हैं। इससे नगरपालिका अयोध्या की जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं तुरंत होली जैसे महोत्सव पर जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण की समुचित व्यवस्था कराने तथा पूरे प्रकरण की जांच की मांग करता हूं।

उत्तरौला, जिला गोण्डा में मत्स्य, पालन हेतु तालाबों के पट्टों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मसरूर जाफरी—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद गोण्डा में तहसील उतरौला में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग दी गयी थी, जिसमें अब तालाबों की नीलामी तथा पट्टे किये जा रहे हैं। उक्त ट्रेनिंग में अधिकांश बड़े लोग ट्रेनिंग करके धन के बल पर सारे तालाबों की नीलामी ले रहे हैं और धन के बल पर पट्टे करा रहे हैं जिससे एक असंतोष व्याप्त हो गया हैं। जबकि तीन वर्ष की मत्स्य ट्रेनिंग किये हुए लोग बेकार घूम रहे हैं। यह सारा गलत काम परगना अधिकारी उतरौला कर रहे हैं। देखने में यह आया हैं कि ग्राम के घर के सभी परिवारों ने ट्रेनिंग कर ली हैं और सारे गांव के तालाब परगना अधिकारी से दस वर्षीय पट्टा ले रहे हैं। इस गलत पट्टे से गांव में तालाबों से सिंचाई की भी समस्या उत्पन्न होगी जिला प्रशासन गोण्डा परगना अधिकारी उतरौला के गलत कार्य पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उतरौला में जिला तालाबों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ते हो रहे हैं उनको तुरंत निरस्त किया जाय तथा गलत कार्य करने वालों को दंडित किया जाय ।

सीताराम शुगर फैक्ट्री बैंतालपुर, जिला देवरिया के मजदूरों के क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन और सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि श्री सीताराम शुगर फैक्ट्री, बैंतालपुर (देवरिया) के मजदूर अपने दस सूत्रीय मांग को लेकर दिनांक 28-2-84 से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं । आज सत्रह दिन हो गया कोई कार्यवाही नहीं की गयी । श्रम मंत्री व श्रम सचिव को दिनांक 4-3-84 को तार भेज कर हस्तक्षेप की मांग की गयी है । मजदूर यूनियन, बैंतालपुर की मांग है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड या कार्यकाल समय में मर गये हैं उनके आश्रितों को तत्काल सेवा में लिया जाय । मजदूरों ने अपने नोटिस में कहा है कि हमारी मांगें दिनांक 15-3-84 तक नहीं मानी गयी तो 16-3-84 से मिल का चक्का जाम कर देंगे । एक भयानक स्थिति गन्ना किसानों और मिल मजदूरों के सामने आ गयी है

अस्तु, इस माननीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि मजदूरों की मांग तत्काल मानने का कष्ट करें ।

चौक बाजार (गोरखपुर) के थानाध्यक्ष द्वारा लोकदल कार्यकर्ताओं की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन व मुख्य मंत्री का ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की लाना चाहता हूं । मैं निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर से विधायक हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में थाना चौक बाजार पड़ता है, मुझे रजिस्ट्री पत्र द्वारा सूचना मिली है कि थानाध्यक्ष श्री रघुनाथ पाल ने दिनांक 2-3-84 को मेरे दो कर्मठ लोक दल कार्यकर्ता सर्वश्री राम चन्दर व राम अवध ग्राम सोहगौरा, थाना चौक, जिला गोरखपुर की थाने पर अपना बेल्ट निकाल कर निर्मम पिटाई कर दिया एक की हालत चिंताजनक है तथा दूसरे ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाया । यह घटना इस कारण घटी कि वह अपना एक निजी पेड़ अपने निजी काम हेतु कटवाना चाहता था तथा श्रीमती गुलाइचा पत्नी श्री चन्द्रभान ग्राम पिपरिहा के खेत से जबरिया आलू खोद कर ले जाने की गरज से बात करने गया था । यही बात बुरी लगी और उसकी सार्वजनिक रूप से खींच-खींच कर उलट-पुलट कर पिटाई कर दी गयी । इससे पूरे क्षेत्र एवं लोक दल के कार्यकर्ताओं में असंतोष है ।

अतः मुख्य मंत्री से शीघ् कार्यवाही की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

ग्राम परसौली (बाराबंकी) में सवर्णों द्वारा हरिजनों को कुओं से पानी न लेने दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसेन—

मान्यवर, ग्राम परसौली, तहसील सदर, जनपद बाराबंकी में 9 हरिजन परिवारों का (दुर्गादीन, कालीदीन, राम दत्त, गंगा राम, ठिल्लू, राम मिलन, कालीचरण, काशीराम, बृजलाल) पीने का पानी ग्राम के दूसरे जाति के सवर्ण लोगों ने एक सप्ताह से ज्यादा समय से बंद कर रखा है। ज्ञात हुआ है कि हरिजन लोग अपना कुआं साफ कर रहे थे ताकि दूसरे कुएं से पानी बंद होने के बाद इस कुएं से पीने का पानी ले सकें परन्तु गांव के प्रधान से और दूसरे सवर्ण जाति के लोगों ने उनको अपना कुआं साफ करने से भी रोक दिया। मजबूर होकर हरिजन 1/2 कि0 मी0 दूर से दूसरे कुएं से पानी लेकर पी रहे हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि पिछले प्रधानों के चुनाव में इन हरिजनों ने भू0 पू0 प्रधान को बोट दिये थे, जो हार गया और इसी कारण नये प्रधान ने इनको पीने के पानी पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके कारण हरिजन परिवारों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना हरिजनों ने जिलाधिकारी को भी दी है परन्तु कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय को नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा उठाना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना की मांग

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने आज आपकी सेवा में एक विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका "रविवार" के विरुद्ध दिया है। मेरा अनुरोध है कि मेरे इस विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे वह प्राप्त हुआ है उसका परीक्षण होगा, मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा और तब मैं कार्यवाही करूंगा।

निर्णय देने से पहले मैं आपको अपने कक्ष में बुलाऊंगा।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है कि अभी हाल में श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राणघातक हमला हुआ और यहां उसका वितण्डावाद खड़ा किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री काशी नाथ मिश्र जी आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है, मैं उसका परीक्षण कराऊंगा, देखूंगा, विचार करूंगा और आपसे भी बात करूंगा तब निर्णय दूंगा, इसलिये आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

श्री मुलायम सिंह पर जो प्राण घातक हमला हुआ उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष— (व्यवधान) श्री गोपी नाथ वर्मा जी आप बैठ जायं । (व्यवधान) मैं ने श्री किरन पाल सिंह को बुलवाया है । आप औचित्य के बारे में अपनी बात कहें । (व्यवधान)

सत्रकाल के दौरान राज्यपाल द्वारा इण्टर-मीडिएट शिक्षा अध्यादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से एक महत्व के औचित्य के प्रश्न को उठाना चाहता हूं । भारतीय संविधान की धारा 213 के तहत यह महामहिम राज्यपाल को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार महामहिम राज्यपाल के इस अधिकार को मर्यादित किया गया है, इस पर चेक लगाया गया है । मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने रूलिंग दी है कि जब किसी भी प्रदेश में विधान सभा का सत्र चल रहा हो और जहां विधान परिषद् भी हो, जब दोनों सदन अपने सत्र चला रहे हों, तो उस दौरान राज्यपाल को कोई भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठें निर्णय तो मैं करूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है कि मैं उनके सम्मान की और इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

(व्यवधान) हमारे यहां सैंकड़ों फर्जी बयनामे हो चुके हैं । (व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान) (माननीय सदस्य श्री गोपी नाथ वर्मा के न बैठने पर ।)

मेरी कुछ समझ में नहीं आरहा है । आपका कोई शब्द नही लिखा जायेगा । आप अपने स्थान पर बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री किरन पाल सिंह, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं ।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—

[x x x]

श्री अध्यक्ष—

कोई शब्द नही लिखा जायेगा, कार्यवाही का अंग नहीं होगा । आप लोग बैठ जायं

नोट—[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

राम्मानित सदन के सम्मान की बात कह रहा हूं। मान्यवर, यदि किसी कानून को या नियम को बनाना बहुत जरूरी हो, जल्दी हुआ तो कोई अधिनियम या धारा जोड़ने के लिये कोई विधेयक लाया जा सकता था, उसके द्वारा इस नये कानून का सृजन किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और मेरा विश्वास है कि कल जो नया कानून जारी किया गया है अध्यादेश, मैं समझता हूं हाई-कोर्ट से भी हार जायेगा। हाईकोर्ट उसे अमान्य करार दे देगा। मान्यवर, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके निर्देश हैं और परम्परा भी ऐसी रही है कि जब सदन चल रहा हो, उस समय कोई भी इम्पार्टेन्ट या महत्वपूर्ण घोषणा या सूचना अथवा शासन का आदेश, सदन के अन्दर घोषित किया जाना चाहिए, उसकी घोषणा माननीय सदन के भीतर होनी चाहिए, इसमें इसका भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। शासन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहद नियमावली बनाने का अधिकार है, लेकिन नियमावली न बनाकर उन्होंने अपने अधिकार का दुरूपयोग किया है और एक नया कानून बना दिया है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिये एक सदन की कमेटी भी होती है, उसमें उस पर विचार किया जाना चाहिए था, किन्तु वह भी नहीं किया गया था। यह इसका सहारा ले सकते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहें।

श्री किरन पाल सिंह—

श्रीमान, यह बहुत लम्बा विषय है, यह कोई धारा जोड़ने का अधिकार बता सकते हैं, लेकिन कल जो अध्यादेश जारी हुआ है इसकी कानून की भावना है जब भी कभी कानून का इन्टरप्रेटेशन हुआ है तो माननीय न्यायाधीशों ने उस कानून के साथ साथ उसकी भावना को भी दृष्टिगत किया है कि किस भावना से कानून लाया गया है। तो राज्यपाल महोदय को, इस सदन का अवमान नहीं करना चाहिए था। इस तरह श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने अपने औचित्य के प्रश्न को उठाता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेटली—

माननीय सदस्य ने जो राज्यपाल के नोटीफिकेशन का तजकिरा किया है, यह प्रदेश के 16 लाख बच्चों के भविष्य के सवाल से जुड़ा हुआ है। विरोध पक्ष नहीं चाहता है कि परीक्षायें समय से और नियम से सम्पादित हों . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन रहा हूं, इसमें बाद में मैं अपना निर्णय दूंगा आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, आपके आदेशों के बावजूद यह सरकार आपके आदेशों का उल्लंघन करती जा रही है। कल साढ़े 6 बजे तक सदन चला, इसके बाद अपर हाउस में भी मैं गया यह समझ कर कि शायद वहां कोई अधिसूचना की घोषणा हुई होगी पर कहीं कोई घोषणा नहीं की गयी। माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बराबर करते रहे कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गयी है। (व्यवधान) कल 7 बजे जब मैं अपने निवास स्थान से जा

रहा था तो नरही चौराहे पर कुछ लोग यह अधिसूचना की कापी बांट रहे थे . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह अध्यादेश हैं या नोटीफिकेशन हैं ?

श्री सरदार सिंह—

यह अधिसूचना कुछ हाकर्स लोग बेच रहे थे (शोर-व्यवधान) यह सदन की अवमानना हैं। 16 लाख छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने एलान कर दिया हैं कि वे परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इसलिये आप इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अध्यादेश की कापी आपको मिल गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

तो फिर कैसे आपने इसको ले लिया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह अध्यादेश की कापी नहीं हैं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय सदस्य को दुख हैं कि माननीय किरनपाल सिंह जी ने ऐसी बात उठायी हैं। जब कोई बात माननीय सदस्य उठाते हैं तो उनसे यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे कुछ तथ्यों के आधार पर और जिम्मेदारी के साथ किसी बात को कहेंगे। हमारे योग्य मित्र माननीय किरनपाल सिंह जी ने संविधान के अनुच्छेद 213 का हवाला दिया जिसमें आर्डिनेन्स के बारे में लिखा हुआ हैं। आपने ही यह स्पष्ट कर दिया यह कोई आर्डिनेन्स नहीं हैं। सदन के अवमान करने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं हैं। न कोई ऐसा करने की सोच सकता हैं। मान्यवर, इसी सम्मानित सदन ने उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट को पारित किया हैं। उसी अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गयी हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार यह कर सकती हैं। मान्यवर, अगर रोज यह प्रकरण चलेगा और सरकार की हर कार्यवाही पर औचित्य का प्रश्न उठाया जायेगा तो यह कहां तक उचित होगा, इस पर भी आप कृपया विचार कर लें। इस आदरणीय सदन ने सरकार को जो अधिकार दिये हैं उसके अन्तर्गत आये दिन सरकार को कुछ न कुछ आदेश निकालने होते हैं और अगर उन सभी पर इस तरह के प्रश्न उठेंगे तो यह 100—150 तक हो सकते हैं। आखिर जो भी आर्डर होगा वह किसी धारा की तहत ही होगा और फिर यह कहा जायेगा कि उसे सदन के सामने आना चाहिए।

श्रीमन् इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट का सेक्शन 9(4) माननीय सरदार सिंह और माननीय किरनपाल सिंह देखों कि उसके अंदर क्या लिखा हैं। उसके अन्दर लिखा हैं, सरकार को यह अधिकार हैं और उनका सरकार ने इस्तेमाल किया सवाल उठता हैं कि क्यों किया। इस वजह से किया। मान्यवर, इसके पहले भी कहा गया हैं और बराबर अपील की जा रही हैं, आज भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपील कर रहे हैं, कोई भी सख्त रवैया उनके साथ अध्यापकों के साथ इस सिलसिले में नहीं हैं। हम 12 बजे रात को भी उनसे वार्ता करने के लिये तैयार हैं, हर समय उनसे वार्त्ता करने का प्रयास हो रहा है और वार्ता चल रही है चाहे वह मानें या न मानें। लेकिन जहां तक परीक्षाओं का संबंध है, जहां तक छात्रों की बात है उसकी हमें व्यवस्था करनी है। हर एक वर्ग की ड्यूटीज डिफाइन है कि उनका कर्तव्य क्या है। केवल अध्यापकों की ड्यूटीज डिफाइन नहीं हैं तो क्या उनका काम अध्यापन का नहीं है। क्या उनका काम छात्रों की परीक्षा लेना नहीं है। क्या यह कार्य उनके नहीं हैं। यह तमाम चीजें इससे जुड़ी हैं इंटरमीडियेट एजूकेशन एक्ट में जो अधिकार इस सम्मानित सदन ने हमको दिये हैं उसके अन्दर अधिकार दिया गया है। इससे न कहीं सदन की अवमानना होती है और न इससे संविधान की किसी धारा के प्राविधान का उल्लंघन होता है। राज्यपाल ने जो किया है उससे कहीं कोई ऐसी चीज नहीं हुई मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय किरनपाल सिंह और माननीय सरदार सिंह और माननीय रियासत हुसैन तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय सरदार ने नियम 56 में भी यह सूचना दी है जो मैंने उसी वक्त ले ली थी। मैं सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9 की उप-धारा (4) तथा उपधारा (5) का मैंने अवलोकन किया है। उक्त धारा इस प्रकार है :—

"जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीची हो, तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गया कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।

उपरोक्त प्राविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार गम्भीर परिस्थितियों में नया विनियम बना सकती है और पुराने विनियमों को परिष्कृत और विखंडित कर सकती है, बशर्ते ऐसा विनियम मूल अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हो। कोई विनियम मूल अधिनियम के प्राविधानों से असंगत है अथवा नहीं, इसका निर्णय न्यायालय ही कर सकता है।

विधान सभा का सत्र चलते रहने की दशा में अध्यादेश जारी नहीं किये जा सकते। यह अध्यादेश नहीं है। किन्तु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली अथवा विनियम बनाने पर कोई रोक नहीं प्रतीत होती।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं और इसको अस्वीकार करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अंतर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री किरन पाल सिंह की प्रदेश में दहेज और बलात्कार के कारण महिलाओं की हत्या के संबंध में हैं। इसके अतिरिक्त श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री सरदार सिंह, श्री रेवती रमण सिंह, श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डाक्टर शिवानंद नौटियाल, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री सन्त बक्श रावत, श्री मित्रसेन, श्री कुबेर भंडारी, श्री जनार्दन प्रसाद आंभा, श्री राधे श्याम पटेल, श्री हरिवंश सहाय की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष—

श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री गोपीनाथ वर्मा की भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

मैंने इनको अपने कक्ष में पूरे तरीके से देखा है।

नियम 56 के अन्तर्गत जो कल निर्णय हुआ है, उसके आधार पर जो नियमों का पालन करने के लिए इस सदन ने मुझको अधिकार दिया है, उसके आधार पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जांच इत्यादि के लिए, निम्नलिखित सूचनाओं के बारे में, माननीय किरनपाल सिंह, माननीय रुद्र प्रताप सिंह और माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। माननीय सरदार सिंह को मैंने सुन लिया है माननीय सरदार सिंह, माननीय गौरी शंकर भैय्या, माननीय रेवती रमण सिंह को सुनने के लिए स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार कर दिया है।

(श्री रेवती रमण सिंह के पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

मैंने माननीय रेवती रमण सिंह को बुलाया है, आप सब बैठिए।

श्री रेवती रमण सिंह—मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में एक बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इलाहाबाद में मंजा तहसील में सरकारी प्रतिष्ठान की कताई मिल जो सरकारी प्रतिष्ठान के रूप में कार्य कर रही है।

(कई माननीय सदस्यों के पुनः खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य खड़े हैं, वे कृपया बैठ जायें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जब वह कताई मिल खोली जा रही थी, तो शासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि कताई मिल में वहां के स्थानीय लोगों को रखा जायगा और प्राथमिकता देकर वहां के लोगों को भर्ती किया जायेगा लेकिन मान्यवर, आज एक साल हो गया, वहां की स्थिति बिल्कुल विपरीत है है। माननीय उद्योग मंत्री ने हमारे अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वहां पर क्लर्क के रूप में एक अप्रेन्टिस रखा गया है और तकनीकी सेवा में एक भी आदमी उस क्षेत्र का नहीं रखा गया है। मान्यवर, वहां पर खुले रूप से घूस लिया जाता है। जो आदमी

5 हजार रु0 घूस देता है, उसी को वहां पर भर्ती किया जाता है और जो नहीं देता है उस को नहीं भर्ती किया जाता है। यहां तक कि जो सेवा योजन कार्यालय से नाम आते हैं, वह नाम रद्द कर दिये जाते हैं। मान्यवर, वहां पर गुण्डे रखे जाते हैं जोकि वहां पर कर्मचारियों को भी पीटते हैं और जो वहां पर, वहां के स्थानीय लोग भर्ती होने आते हैं, उन्हें भी पीटते हैं। मान्यवर, वहां पर गोली चली, तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। उसका नतीजा यह हुआ है कि वहां पर मिल में हड़ताल शुरू हो गयी है, मिल बन्द है। मान्यवर, सुभाष अग्रवाल, जो वहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जब तक वह वहां पर मौजूद रहेंगे, तब तक वह मिल नहीं चल सकती। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि वहां इलाहाबाद के कमिश्नर इसकी जांच करें और उस जांच की रिपोर्ट को एक भी उस जांच में सम्बद्ध कर लें और मैं भी इस जांच में सम्बद्ध कर लें और मैं भी वहां पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहूं, ताकि वहां पर शांति-व्यवस्था कायम की जा सके और मिल को फिर से चालू कराया जा सके।

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

यह माननीय रेवती रमण जी ने जो नियम 56 के अन्तर्गत प्रश्न रखा है, इसके संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो भी मिलें सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा लगायी जा रही हैं उसमें स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश है और उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि इन प्रतिष्ठानों में भर्ती के लिये पहले उन लोगों को जिनकी जमीन ली गयी है, दूसरे स्थानीय लोगों को, तीसरे जनपद के लोगों को, तब बाहरी लोगों को लिया जायगा और इस संदर्भ में अभी गत माह 17 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री ने अपने कक्ष में एक हाई पावर कमेटी की बैठक बुलायी थी, उसमें भी स्पष्ट रूप से यह निर्णय किया गया है कि भर्तियों का वरीयता क्रम क्या होगा और स्थानीय लोगों को किस आधार पर लिया जायेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यह प्रतिष्ठान शासन के आदेशों का उल्लंघन करके भर्तियां कर रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन मुख्य सचिव से ऊंचा। मुख्य सचिव सदन का सेवक है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र में आदमी जलाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम 56 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्नाव के हसनगंज के दैनिक जागरण के संवाददाता एवं राष्ट्रीय पत्र लेखक मंच के मण्डलीय संयोजक राम नरेश सिंह को स्थानीय गुण्डों ने थाने के सामने मारा पीटा और पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर सकी। आप देख रहे हैं, जगह जगह पर पत्रकारों को पीटा जा रहा है। बांदा में पुलिस और गुण्डों ने पत्रकार को इस प्रकार मारा की वह मर ही गये। इस पत्रकार ने कुछ दिन पहले पुलिस की गुण्डागर्दी और जनपद

*वक्ता ने भाषण का पुनरवेक्षण नहीं किया।

के अधिकारियों के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार को अपने समाचारपत्र में छापा था। समय-समय पर उनको धमकी दी जा रही थी। कल वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गये कि हमारी जान का खतरा जब वह थाने में बैठे हुए थे पुलिस जो सादी वर्दी में थी और बाहर के गुण्डे उनको घेरने के लिये आने लगे, यह अखबार में छापा है। गुण्डों को अपनी ओर आते देखकर और यह समझ कर कि पुलिस हमारी हिफाजत नहीं कर सकती है, वह बाहर भागे, लेकिन वह भाग नहीं पाये और गुण्डों ने उनको पकड़ कर पागल कुत्ते की तरह मारा। इस तरह से उनको जान से मारने की साजिश थी। थाने में रिपोर्ट की गयी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आगे भी उनके जानमाल का खतरा है। मैं चाहता हूं कि प्रेस की सुरक्षा व्यवस्था की जाय। उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारों पर जगह जगह हमले किये जा रहे हैं, और लाठी, डण्डे के बल का प्रयोग किया जा रहा है, इसको बन्द करें। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का है। इसको नियम 56 में मंजूर करके इस पर चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जो कताई मिल के बारे में माननीय रेवती रमण सिंह ने कहा है, इसकी इंक्वायरी कमिश्नर के द्वारा कराई जायेगी और जो तथ्य सामने आयेंगे, उसकी सूचना दी जायेगी और उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जायेगी। माननीय गौरी शंकर भैय्या ने जो दैनिक जागरण के संवाददाता के हमले के बारे में कहा है मारा पीटा गया है। यह बड़ दुःख की बात है। जो समाचार पत्र के संवाददाता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। इसकी मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय गौरी शंकर भैय्या और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना। सुनने के बाद जहां तक माननीय रेवती रमण सिंह के मामले का सम्बन्ध है, कमिश्नर से जांच करायेंगे, कमिश्नर साहब उनको कांफीडेन्स में लेंगे, पहले माननीय सदस्य को सूचना देंगे, वहां के हालात इस तरह के हैं कि विश्वास प्राप्त करने के बाद जांच करेंगे और उसकी सूचना मुझे देंगे और माननीय रेवती रमण सिंह को देंगे। माननीय गौरी शंकर भैय्या का वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। बाकी अस्वीकार किया है।

श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के समय किये गये व्यवहार की जांच के लिये गठित समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

(श्री सरदार सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"चूंकि दिनांक 13 फरवरी 1984 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किए गए व्यवहार की जांच के लिये एक जांच समिति का गठन

सदन द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 1984 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में इस सचिवालय की दिनांक 1 मार्च 1984 की अधिसूचना के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अन्दर सदन को प्रस्तुत करें, और चूंकि उक्त समिति उक्त निर्दिष्ट कार्य को इस अवधि .....

(शोर)

(श्री सरदार सिंह सदन के फ्लोर से वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

में सम्पन्न नहीं कर सकेंगी। अतएव सदन यह निदेश देता है कि उक्त समिति को उसके द्वारा जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाए।"

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय खान गुफरान जाहिदी ने प्रस्ताव पेश किया है उसमें मुहम्मद आजम खां को कुछ आपत्ति है इस बारे में वह कुछ कहना चाहते हैं।

(शोर)

माननीय सदस्य बैठ जाएं।

(कई सदस्यों के पुनः बोलने पर)

आप लोग माननीय सदस्य की बात तो सुनें। माननीय किरनपाल सिंह, माननीय रुद्रप्रताप सिंह, माननीय फिरंगी प्रसाद विशा-रद की सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा जांच करने के लिए निर्देश दे दिया है।

(शोर)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, खान गुफरान जाहिदी जी ने अभी कुछ पढ़ा है इसमें एक समिति, जो कि 13 फरवरी के मामले को लेकर मेरे संबंध में गठित की गई थी उस वक्त जो कुछ हुआ वह सही था या गलत था, का फैसला करने के लिए यह सदन सक्षम था लेकिन फिर भी समिति गठित हुई। जो समिति सजा तय करेगी इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा कहना यह है कि जिस मामले को लेकर यह समिति गठित की गई वह मामला इतनी अहमियत का शामिल नहीं था। मेरे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए समिति गठित की गई। यह वाक्या ऐसा नहीं था कि इतना वजन जाहिर किया जाता। बेसबब एक सवाल पैदा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल एसम्बली में ऐसा हुआ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश के सदस्य ज्यादा बुद्धिमान हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी सदस्य बुद्धिमान नहीं हैं [x x x] एहमक हैं बकौल आपके मेरे कहने का मतलब यह है कि जो समिति गठित हुई है इसकी कुछ अहमियत नहीं

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हैं। यह इन्तकामी कार्यवाही सत्तापक्ष ने की है जो मेरे खिलाफ होने जा रही हैं। मान्यवर अगर उस वाकये की कोई अहमियत होती तो यकीनन पन्द्रह दिनों के अन्दर यह समिति कोई फैसला लेती। समिति बनाते वक्त ऐसा लगा था गोया कोई तूफान आ गया कोई कयामत आ गयी। लिहाजा कमेटी फैसला लेती मगर ऐसा नहीं हुआ इस समिति की नजर में इस वाकये की कोई अहमियत थी नहीं थी।

(शोर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं मुझे आपने आज्ञा दी है मगर इस तरह से सत्ता पक्ष के कोई सदस्य बोलें तो मैं भी वही तरीका अख्तियार करूंगा जो आपको नापसन्द है।

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठ जाएं। प्रश्न की बात मैं बाद में सुनूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

शायद यह समिति उस दिन के किसी मामले की अहमियत को समझते हुए बनी थी जिसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। सत्ता पक्ष को शर्म आनी चाहिये कि इसके दो सदस्यों जिनमें एक सत्ता पक्ष के भी हैं ने कमेटी से इखत्लाफ करते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि यह सदन मेरे खिलाफ एक्शन लेने में सक्षम थी फिर इस समिति की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह हुआ कि इस समिति के दो सदस्यों ने इस्तीफा देकर साफ किया है कि यह समिति खोखली थी और किसी किस्म का एक्शन लेने में सक्षम नहीं है। यह समिति की नाकामी है जिसकी वजह से यह तारीख बढ़ायी जाने की मांग की जा रही है। यह समिति कोई एक्शन नहीं ले सकी, इसका मतलब यह है कि कोई वाकया पेश ही नहीं आया था। अगर कोई वाकया होता तो यह समिति जरूर 15 दिन में एक्शन ले लेती। लिहाजा समय बढ़ाकर यह समिति सदन का अपमान कर रही है। यह समिति समय बढ़ाकर मेरी छवि को इस सदन में, सदन से बाहर और पूरे प्रदेश में धूमिल करना चाहती है और आज के प्रस्ताव द्वारा मुझे बदनाम करना चाहती है। मेरे खिलाफ कांग्रेस का यह मन्सूबा बन्द इन्तेकामी कदम है। यह कार्यवाही मेरी जाती तौहीन है, लिहाजा मैं आपसे और सदन से संरक्षण चाहता हूं।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन प्रथम दिन यह सदन आहूत किया था माननीय राज्यपाल ने, उस दिन कोई विशेष घटना हुई और उसकी छानबीन के लिये इस आदरणीय सदन ने एक समिति गठित की और उसके लिये 15 दिन की अवधि निर्धारित हुई। क्योंकि इस सदन ने यह आवश्यक समझा कि यह जो घटना हुई, गलत हुई और नहीं होनी चाहिये थी। छानबीन में 15 दिन की अवधि में समिति को इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला और न इस तरह की घटना के बारे में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कोई वारदात हुई। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष इस बात पर आरूढ़ है कि, चूंकि अभी तो सत्ता पक्ष को अपना बजट पास कराना है, अभी अपने प्रबल बहुमत का प्रयोग, दुरुपयोग करते हुए सत्ता पक्ष माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही करता हैं तो पूरा सदन विरोध करने के लिये खड़ा हो जायगा, इसीलिये सत्ता पक्ष ने बजट पास कराने के बाद जो अन्तिम तारीख होगी, उस अंतिम दिन कोई दण्डात्मक कार्यवाही करना चाहता हैं, जिससे विपक्ष के एक माननीय सदस्य की छवि इस सदन के बाहर धूमिल हो और अपनी दण्डात्मक कार्यवाही में यह सफल हो जाय । अतः यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से वापस होना चाहिए । इसको खतम करना चाहिए क्योंकि 15 दिन का जो समय था जिस चीज के लिए यदि वह अविलम्बनीय लोक महत्व का समझती तो निष्कर्ष अवश्य निकाल लेती । अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, यह जांच समिति जो सदन ने बनायी हैं, मान्यवर, इस समिति में विभिन्न पार्टियों के सदस्य हैं, उसमें श्री भीखालाल जी हैं, लोकदल के भी सदस्य हैं । इस कमेटी के सन्दर्भ में जो माननीय सदस्य ने कहा कि जानबूझ कर यह बहुमत का दुरुपयोग कर गलत फैसला करना चाहती हैं, तो मान्यवर यह समिति इस सदन द्वारा बनायी गयी हैं, इसीलिये उन्होंने सदन की अवमानना की हैं, उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उनको वह वापस लें । यह सदन की अवमानना का प्रश्न हैं, सदन के प्रति अविश्वास का प्रश्न हैं, इसको वह वापस लें ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं इसीलिये आपसे अनुमति चाहता हूं कि इसी तरह के मामले में 22 तारीख को जब आपने व्यवस्था दी तो मैं उस समय बार-बार चेष्टा करता रहा कि मेरी भी बात सुन लें । इसके बाद 23 या 24 तारीख को कारण का संदर्भ लेते हुए मैंने औचित्य का प्रश्न भी उठाया था । उस दिन आपने सबके सुनने के बाद में यह कह दिया कि उसी वक्त उठाना चाहिए था और मुझे अनुमति नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष—

आपका मामला मेरे पास विचाराधीन हैं ।

माननीय श्री केदार नाथ सिंह जी मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे लिख कर दें दें । क्या आपने मुझे लिख कर दिया हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मुझे आप कहने की इजाजत दें । यदि मेरी बात आपको अनुचित लगे तो, मैं स्वयं बैठ जाऊंगा । जिस दिन इस पर चर्चा हो रही थी और माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो मैंने उसी दिन कहा था कि यह आपके "करण" 91 के विपरीत हो रहा हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री केदार नाथ सिंह जी मैंने मद संख्या-7 को ले लिया हैं । आगे जब 20 तारीख को हाउस होगा तो, आप मुझे पहले लिख कर दे दें, ताकि मैं उसका परीक्षण कर सकूं और भली-भांति देख सकूं । तब मैं आपको उस दिन बोलने के लिए मौका दूंगा ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप श्री मुहम्मद आजम खां के मामले के बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री केदार नाथ सिंह—

जी हां, मैं इसी के बारे में कुछ कहूंगा । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में एक कमेंटी बनायी परन्तु वह कमेंटी आज तक अपना कोई निर्णय नहीं ले पायी हैं और आज उसके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव यहां पर आया हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह से श्री सुन्दर लाल दीक्षित के लिए एक कमेंटी का गठन किया गया था और वह कमेंटी अपना कोई निर्णय नहीं ले पायी और वह कमेंटी प्रभावहीन हो गयी । यह सब इस कारण से हुआ कि इस तरह का कोई निर्णय किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता हैं । इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए उस कमेंटी ने अपनी आगे की कार्यवाही को चालू नहीं रखा । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी, इसीलिए इस बात को भी मद्दे नजर रखते हुए उस कमेंटी ने श्री सुन्दर लाल जी वाले मामले पर निर्णय नहीं लिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो इसे पूरी तरह से देख चुका हूं ।

(शोर)

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा कहना यह था कि जब वह कमेंटी श्री सुन्दर लाल दीक्षित वाले मामले पर निर्णय नहीं ले सकी तो मैं समझता हूं कि यह कमेंटी भी प्रभावहीन होगी । इसलिए मेरी मांग हैं कि इस कमेंटी के कार्यकाल को कदापि न बढ़ाया जाय । इसे समाप्त किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, एक प्रस्ताव आया हैं ।

(शोर)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, माननीय श्री मुहम्मद आजम खां के संबंध में जो कमेंटी बनायी गयी हैं, वह आज तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पायी हैं । जिन कारणों की वजह से वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पायी हैं, उन्हें हम जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

आज ही उस कमेंटी की रिपोर्ट आनी चाहिए । जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आयेगी आज हम सदन नहीं चलने देंगे ।

(शोर)

(श्री काशी नाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी कृपया आप बैठें । मैं बाद में आप को बोलने का मौका दूंगा । पहले मैं रियासत हुसैन जी को सुन लेता हूं ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, पहले तो आप इस बात का निर्णय दे दीजिए कि क्या इस माननीय

सदन के अंदर माननीय श्री काशीनाथ मिश्र जी ही सबसे बुद्धिमान सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बिलकुल नहीं हैं ।

(शोर)

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, माननीय काशी नाथ मिश्र, आपकी आज्ञा के बगैर खड़े हुए हैं और बोलने की कोशिश कर रहे हैं । आप उनको कई बार बैठने का निर्देश दे चुके हैं, वह बैठ नहीं रहे हैं । यह आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इनको सदन से निष्कासित कराने का प्रस्ताव करा दें ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि एक प्रस्ताव आया है ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं पहले से खड़ा हुआ हूं, मुझे पहले सुन लें, मेरा प्रश्न सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ मिश्र अपने स्थान पर बैठें । माननीय रियासत हुसैन अपनी बात कहें ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं सिर्फ इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि एक प्रस्ताव आया है उसमें न चर्चा लिखी है और न किसी प्रकार की बहस लिखी है । एक प्रस्ताव इस समिति की अवधि को बढ़ाने के लिये आया है, मेरी समझ में यह नहीं आता है, माननीय आजम खां को तो आपने समय दे दिया, क्योंकि यह उनसे संबंधित है अब न इसमें चर्चा की बात है और न इसमें बहस की कोई बात लिखी है, तो फिर और माननीय सदस्य किस ग्राउंड पर बोल रहे हैं ? जो प्रस्ताव आया है, उस पर आप हां या "न" करा लें ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मुझे मौका दें दें । मान्यवर, यह हमारे दल से संबंधित सदस्य का मामला है । यह प्रस्ताव अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष—

किरन पाल सिंह जी आप बैठें और सदस्य भी अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह प्रस्ताव अनुचित है और यह प्रस्ताव लोकतांत्रिक मोर्चे के एक आदरणीय सदस्य के खिलाफ शासकीय पार्टी की साजिश के जरिये लाया गया है इसलिए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "चूंकि दिनांक 13 फरवरी, 1984 को राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर विधान सभा के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किए गए व्यवहार की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन सदन द्वारा दिनांक २२ फरवरी,

1984 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में इस सचिवालय की दिनांक 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना के अनुसार इस निदेश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर सदन को प्रस्तुत करे, और

चूंकि उक्त समिति उक्त निर्दिष्ट कार्य को इस अवधि में सम्पन्न नहीं कर सकेगी,

अतएव सदन यह निर्देश देता है कि उक्त समिति को उसके द्वारा जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के अंतिम दिन तक के लिये बड़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के निर्वाचन हेतु बँध पाये गये नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन में एक घोषणा करना चाहता हूं कि—

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय,

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तथा

(ग) अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद

की सभा में कार्य करने के लिये प्रत्येक के वास्ते पांच-पांच सदस्यों,

(घ) उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिये तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्या भी होंगी,

(ङ) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों, तथा

(च) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों,

के निर्वाचन के संबंध में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय दिनांक 13 मार्च, 1984 को अपराह्न 4 बजे तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा नियत समय पर की गयी और सब नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये हैं । इस प्रकार उक्त निकायों में नियमित रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के नाम निम्नवत हैं—

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा—

1—श्री विद्या सागर नौटियाल (टिहरी गढ़वाल)

2—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी (पौड़ी गढ़वाल)

3—श्री खुशहाल सिंह रांगड़ (टिहरी गढ़वाल)

4—श्री द्वारिका नाथ धवन (देहरादून)

5—डा0 विनोद कुमार तिवारी (पीलीभीत)

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा

1—श्री विश्राम दास (इलाहाबाद)

2—श्री अशोक कुमार बाजपेयी (इलाहाबाद)

3—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी (इलाहाबाद)

4—श्री विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद)

5—श्री मोहन सिंह (देवरिया)

ग—अवध विश्वविद्यालय की सभा—

1—श्री धरमपाल (बहराइच)

2—श्री शेर बहादुर (फैजाबाद)

3—श्री रिजवानुर्रहमान किदवई (बाराबंकी)

4—श्री देवेन्द्र पाण्डेय (सुल्तानपुर)

5—श्री विश्वनाथ (देवरिया)

घ—उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था का प्रशासकीय बोर्ड—

1—श्री हेम चन्द्र निमेष (मेरठ)

2—श्रीमती कमला दीरियाबादी (कानपुर)

3—श्रीमती पार्वती देवी (बाराबंकी)

ङ—चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड—

1—श्री अजीत कुमार सिंह (कानपुर)

2—श्री विलायती राम कत्याल (कानपुर)

3—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान (एटा)

च—संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान—

1—डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)

2—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी (लखनऊ)

3—श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली)

इस प्रकार चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में पूरणीय रिक्तियों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हैं। नामों की वापसी के लिए दिनांक 20 मार्च, 1984 के अपराह्न 4 बजे तक का समय नियत हैं। अतः उक्त निकायों में जो एक-एक अतिरिक्त नाम हैं वे यदि उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1984 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4-30 बजे तक, विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तरा खण्ड के श्री केदार नाथ तथा बद्री नाथ आदि मन्दिरों की उचित व्यवस्था हेतु उनकी मौजूदा प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने के संबंध में संकल्प

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि—"यह सदन निश्चित राय का हैं कि उत्तराखंड के श्री केदार नाथ तथा बद्री नाथ आदि मंदिरों की उचित व्यवस्था हेतु उनकी मौजूदा

प्रबन्ध व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक हैं।"

मैं एक बहुत ही महत्व के विषय में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं। हिन्दू धर्मावलम्बियों का जिन तीर्थों से अटूट भावना, श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ हैं, वहां की जो मौजूदा प्रबंध व्यवस्था हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में स्कन्ध पुराण में कहा गया हैं कि—

बहुनि सन्ति तीर्थानि दिविभूमौ रसासु च।
बदरी सदृशं तीर्थं न भूतं न भविष्यति।

अर्थात पृथ्वी स्वर्ग तथा पाताल में अनेक तीर्थ हैं किन्तु श्री बदरीधाम के समान तीर्थ न हुआ और न होगा।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

यह तीर्थ कितना पुराना हैं इसके बारे में भगवान शंकर ने स्वयं कहा हैं कि यह तीर्थ अनादि काल से चलता आ रहा हैं। हमारे देशवासियों का हिन्दू धर्मावलम्बियों का इस तीर्थ से पुराना सम्बन्ध रहा हैं और देश के कोने-कोने से हिन्दू धर्म के लोग वहां जाते रहे हैं। पुराने समय में, अनादि काल में, वहां की व्यवस्था में यह कहा जाता था कि 6 महीने तो बद्री भगवान की पूजा मनुष्यों के द्वारा होती हैं और 6 महीने, जब बर्फ पड़ जाती हैं, तो देवताओं द्वारा होती हैं। आठवीं सदी के करीब आदि गुरु शंकराचार्य, जब बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, उसको रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अभियान चलाया और उन्होंने ही चार पीठों की स्थापना की जिनमें तीसरी सिद्ध-पीठ ज्योर्तिमठ में स्थापित हुई और उन्होंने ही बद्रीनाथ की पूजा और वहां की व्यवस्था को चालू किया था।

दक्षिण के जो दण्डी सन्यासी होते थे जो कि नम्बूदरीपाद सम्प्रदाय के होते थे यही लोग मंदिर की पूजा हेतु महन्त होते थे और यही लोग ज्योर्तिमठ के भी महंत होते थे और वहां की व्यवस्था को देखते थे। मान्यवर, यह व्यवस्था इन्हीं आदि गुरू शंकराचार्य के दण्डी संन्यासियों द्वारा 1776 तक रही और उसी श्रृंखला के अंतिम महंत श्री राम कृष्ण थे, जिनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। उस समय टेहरी गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह वहां थे उन्होंने वहां की परम्परानुसार दक्षिण के नम्बूदरी ब्राह्मण गोपाल जो कि बद्रीनाथ में भोग पकाता था, रावल की पदवी से विभूषित कर अर्जक नियुक्त किया तथा आचार्य के स्थान पर शंकराचार्य की गद्दी स्थापित कर दी। तो इस प्रकार से 1776 से वहां पर रावल की व्यवस्था शुरू हुई। मान्यवर, रावल सम्प्रदाय में यह आवश्यक था कि वह ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे, तो वह लोग इसी आधार पर मंदिर की व्यवस्था को देखते थे, परन्तु बाद में कुछ लोग इस व्यवस्था से हट गये और वहां पर उन्होंने उप-पत्नियां रखनी शुरू कर दीं और जिनसे बच्चे आदि होने लगे और मंदिर में दुराचार होने लगा। उनकी इस स्वेच्छाचारिता से तत्कालीन जिलाधिकारी गढ़वाल ने उन पर मुकदमा कर दिया और मुकदमें का हल यह निकला कि उन रावलों को मंदिर के बारे में पूरे अधिकार मिल गये और सारी आय पर भी उनका अधिकार हो गया, जिससे उनकी स्वेच्छाचारिता और बढ़ी। इस मुकदमें के फैसले

से पहले तो महाराज टेहरी रावलों की नियुक्ति करते थे परन्तु इसके बाद केवल नायब रावलों की ही नियुक्ति के अधिकार रहे तथा मंदिर के कपाट खोलने की तिथि निकालने तक ही अधिकार रहे।

फिर वहां पर मान्यवर, इन रावलों की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया और तमाम झगड़े और आंदोलन आदि होने लगे। तब एक नयी व्यवस्था 1939 में हमारे प्रदेश में, तो उस समय सरकार थी, उसने की और उस सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर समिति अधिनियम बनाया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि इस समिति में चार सदस्य महाराज टेहरी द्वारा नामित होंगे, परन्तु इस कानून में निरन्तर परिवर्तन किये गये। अब 1980 में टेहरी महाराज को अपनी तरफ से बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी में कोई भी सदस्य नामित करने का उन्हें अधिकार दिया गया था। 1980 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था तो उस समय महामहिम राज्यपाल ने स्वयं को ही बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का अध्यक्ष अपने को नामित कर लिया और उनके प्रमुख सलाहकार, श्री जे0 डी0 शुक्ल भी समिति के सदस्य नामित किये गये थे इसके साथ ही राज्यपाल के नजदीकी के संबंधी, श्री चन्द्रशेखर सिंह, जो कि बिहार के थे, उनको भी इसमें रखा गया। इससे कानूनी अड़चन पैदा हो गई थी।

राज्यपाल जहां कि वह राज्य में सर्वोच्च होते हैं, वह बद्रीनाथ कमेटी का अध्यक्ष बनने के नाते वे सरकार के अधीन आ गये थे, उनको अध्यक्ष के रूप में सरकार हटा सकती थी, निलम्बित कर सकती थी और मन्दिर समिति के अध्यक्ष के रूप में उन पर किसी भी बात पर मुकदमा भी दायर किया जा सकता था। जब कमेटी का गठन होता है तो हमेशा सत्ता दल के द्वारा यह बनती है और प्रभावित होती है। वैसे वर्तमान व्यवस्था में चमोली, पौड़ी, टेहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों को जिला परिषद् के हिन्दू सदस्यों द्वारा एक-एक प्रतिनिधि बद्रीनाथ, केदारनाथ कमेटी के लिये चुना जाता है। पांच सदस्य प्रदेश सरकार नामित करती है। दो सदस्य हमारी विधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं, उनको चुना जाता है। एक सदस्य विधान परिषद् से हिन्दू धर्म के सदस्यों में से चुना जाता है। इस प्रकार मान्यवर, इस कमेटी का गठन होता है और प्रदेश सरकार एक अध्यक्ष को नियुक्त करती है और जितने चाहे उपाध्यक्ष भी नियुक्त करती है। मुख्य कार्याधिकारी की नियुक्ति भी करती है।

मान्यवर, जो इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं, मिस्टर रामचन्द्रन जो कि रिटायर्ड आई0 सी0 एस0 हैं परन्तु दुर्भाग्य यह है कि 10,500 फीट की ऊंचाई जहां पर बद्रीनाथ मन्दिर स्थित है और 11,750 फीट की ऊंचाई पर जहां केदारनाथ मन्दिर स्थित है, इतनी ऊंचाई में हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष बुढ़ापे की वजह से बीमारी की वजह से पहुंच नहीं पाते हैं और उनको इस समय भी उस समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है, इससे पहले भी वे वहां के अध्यक्ष थे। मान्यवर, जब राजनीति से प्रेरित होकर ऐसी कमेटियों का गठन होता है तो उसमें राजनीति घुस जाती है। आज भी बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिये जब कोई मंत्री जाता है तो मान्यवर, सारा मन्दिर का स्टाफ गाजे-बाजे के साथ मंत्री जी का स्वागत करने के लिये आ जाता है। मंत्री

ही नहीं बल्कि पर्वतीय विकास के सचिव, श्री टी0 एन0 धर के लिये भी उसी प्रकार से स्वागत द्वार बनाये गये । सारा मन्दिर का स्टाफ चांदी की छड़ियां और सोने की छड़ियां लेकर बाजा बजाते हुए उनका स्वागत करने के लिये गया था । मान्यवर, मन्दिर समिति की धनराशि का अधिकांश हिस्सा ऐसे ही स्वागतों में और उनके अतिथि सत्कार में व्यय होता है ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह जो मन्दिर हैं उनकी व्यवस्था है । यह किस प्रकार से राजनीति से प्रभावित है । 1982 में हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री के पद से हटने के पूर्व हेलीकाप्टर से बद्रीनाथ गये । मान्यवर, नियम है, व्यवस्था है कि सुबह मन्दिर निर्वाण दर्शन होते हैं, उसके बाद बाल भोग और फिर भोग लगता है, इस प्रकार 12 बजे तक कपाट बन्द हो जाते हैं । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का हेलीकाप्टर खराब हो गया और वह वहां पर 2 बजे पहुंच पाये । तो मान्यवर, उस दिन भगवान जी को बाल भोग से वंचित रह जाना पड़ा और भगवान का अभिषेक नहीं किया गया । जो बाहर के लोग थे, यात्री थे. उन्होंने इस बारे में कहा, तो उल्टे पुलिस ने उनको परेशान किया । मान्यवर, संविधान में साफ-साफ कहा गया है कि हमारे यहां पर धर्म की स्वतंत्रता है, सरकार किसी के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । आज पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में गुरुद्वारे शस्त्रागार बने हुए हैं और सरकार कह रही है कि हम गुरूद्वारे में नहीं घुस सकते हैं । यह चीज वहां पर हो रही है और यहां पर मान्यवर, क्या हो रहा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और उनको सरकार ने कब्जे में ले लिया है और उनका एक तरह से सरकारीकरण कर दिया है ।

जब वहां का चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर जो मुख्य कार्याधिकारी होता है उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, अधिकांश सदस्य हैं उनको सरकार नामित करती है, सारा इन्हीं का कण्ट्रोल है । जो यह मन्दिर कमेटी बनी है, वहां पर उत्तराखंड में अनेकों मन्दिर हैं, तो सरकार उसी मन्दिर की व्यवस्था अपने हाथ में लेती है जिसकी आमदनी होती है, जिन मन्दिरों में कोई आमदनी नहीं है, यात्री कम जाते हैं उनको यह सरकार नहीं लेती है । बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में भारी दुर्व्यवस्था है, वहां पर लिस्ट टंगी हुई है कि जो इतने हजार रुपये देगा वह सबसे आगे बैठेगा । केवल रुपये देने वाले ही मन्दिर के दर्शन कर सकेंगे जो गरीब श्रद्धा से पैदल चल कर जाते हैं वह मन्दिर के दर्शन से वंचित रहते हैं । मान्यवर, वहां पर अनादि काल से लेकर आज तक जो पंडे लोग हैं वह वहां की रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं उनके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है ।

वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं गोंडार गांव के लोग मदमहेश्वर में 6 महीने मन्दिर की सेवा में रहते हैं और मन्दिर कमेटी उस को 6 महीने की सेवा के लिये मात्र 300 रुपये देती है । ये कहते हैं कि पुरानी परम्परा के अनुसार ही हम देंगें । गरीबों के लिये तो यह पुरानी परम्परा मानते हैं और इनके लिये जब पुरानी परम्परा की

बात कही जाती हैं तो उसे तोड़ने की बात की जाती हैं ।

मान्यवर, त्रियुगी नारायण मंदिर में कहते हैं कि तीन युगों से वहां पर अग्नि प्रज्वलित होती आयी हैं । वह बुझी नहीं हैं । उसके लिये जो व्यक्ति लकड़ी आदि की व्यवस्था करता हैं उसको केवल 50 रुपया मासिक देते हैं । मान्यवर, किस प्रकार से इन मन्दिरों में धन का दुरुपयोग हो रहा हैं, किस प्रकार से घोटाला हो रहा हैं उसका यह एक ज्वलन्त उदाहरण हैं । बद्रीनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए एक योजना बनाई गयी थी । 1980 तक दो तीन सालों में उस मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये 15 लाख रुपया से अधिक धनराशि खतम हो गयी लेकिन अभी तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया ।

इसके अध्यक्ष मिस्टर रामचन्द्रन आई0 सी0 एस0 हैं । उस मन्दिर के लिये आंध्र प्रदेश से पत्थर आ रहे हैं । पहले यह कहा गया था कि जो पत्थर मन्दिर के लिये वहां से आयेगा उसके लिये किराया भाड़ा नहीं पड़ेगा, मुफ्त में आयेगा और आज लाखों रुपया उस पर व्यय हो रहा हैं । बद्रीनाथ मंदिर का कार्यालय जोशीमठ में हैं और ये जो अध्यक्ष श्री रामचन्द्रन, आई0 सी0 एस0 हैं, इनको बंगला और कार दिल्ली में दिये गये हैं । जिस प्रकार से यह संपूर्ण व्यवस्था चल रही हैं उससे सब लोगों में बहुत असन्तोष हैं । इसके बारे में जांच होनी चाहिए । इस मन्दिर की जो भूमि हैं वह गांव के लोगों को बेची जा रही हैं । उसको देखने वाला कोई नहीं हैं । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि पूरा मन्दिर की व्यवस्था राजनैतिक और सरकारी प्रभाव से मुक्त की जाय ।

अभी जैसा कि बनारस में पिछले दिनों वहां के मन्दिर की व्यवस्था खराब हुई तो उसके लिये न्यास बना दिया गया उसी तरह से इन मन्दिरों के लिये न्यास बना दिया जाय । बाला जी तिरुपति का मन्दिर हैं । वहां पर जिस तरह से मंदिर की व्यवस्था हैं, उसी तरह से इनके लिये भी किया जाय । जो हिन्दू धर्म में आस्था रखते हैं हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको इससे सम्बद्ध किया जाय । वहां के जो स्थानीय लोग हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी आप 25 मिनट बोल चुके । कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें । आपको बाद में भी मौका मिलेगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संकल्प पर विचार करें और सरकार को सुझाव दें ।

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प के बारे में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । माननीय नेगी जी ने जो संकल्प रखा हैं मन्दिर के बारे में . . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि नेगी जी इधर भी हैं और उधर भी हैं । इसलिये आप कुंवर सिंह नेगी कहें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, उधर के नेगी जी को भी इसमें सम्मिलित कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

मान्यवर, माननीय कुंवर सिंह नेगी जी ने हिन्दू धर्म की चर्चा की। जहां तक मैं जानता हूं हिन्दू धर्म में इतने संप्रदाय हैं कि सब लोग मन्दिर और मूर्तियों में विश्वास नहीं करते हैं केवल सनातन धर्म हैं जो मन्दिर और मूर्तियों में विश्वास करता हैं . . .

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं कोरम नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

एक और दो बजे के बीच में सामान्यतया कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"—

तो मैं कह रहा था कि सनातन धर्म के लोग मन्दिर और मूर्तियों में विश्वास करते हैं और उसकी प्राण-प्रतिष्ठा में विश्वास करते हैं। तो किसी भी मन्दिर का संचालन सनातन धर्म के नियमों के अनुसार होना चाहिए। मान्यवर, चार धाम हमारे देश में स्थापित किये गये हैं उन चारों धामों में यदि कोई शास्त्रीय व्यवस्था अलग से हो जिसकी मुझे जानकारी नहीं हैं, यदि कोई ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था हैं तो वह वहां लागू होनी चाहिए।

जहां तक कुछ उदाहरण माननीय कुंवर सिंह नेगी जी ने दिये कहा कि पुजारियों को तीन सौ रुपया दिया जाता हैं और लकड़ी जलाने वालों को 50 रुपया दिया जाता हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनारस में भी थी। लेकिन हमारे माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी ने उसे सुधारा और उसके बाद जो वेतन थे उसमें बढ़ोत्तरी की। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय कुंवर सिंह नेगी जी ने जो सुझाव दिये हैं उन पर सहमति न देते हुए कहना चाहता हूं कि जो शास्त्रीय व्यवस्था हैं किसी धर्म या सम्प्रदाय की तो उस व्यवस्था के अनुसार उसका संचालन होना चाहिए और उसमें किसी का शोषण किया जाता हैं तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें सिर्फ शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार संचालन से सुचारुरूप से काम चलेगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय कुंवर सिंह नेगी जी के संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मन्दिरों के लिये समिति बनाने के लिये संकल्प लिया गया था, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही उचित था और जो उसकी व्यवस्था उस समय थी वह भी, जैसा श्री कुंवर सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा यहां माननीय विधान सभा से दो सदस्य मा0 विधान परिषद् से एक सदस्य, एक वहां का और कुछ वहां के नामिनी होते थे और अध्यक्ष भी होता था। तो उसकी व्यवस्था अच्छी करने के लिये किया गया

था। इधर बीच में 7-8 वर्षों से उस पुरानी व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो गया था, मेरे ख्याल से, और उसमें व्यवधान तो सबसे ज्यादा 1980 में पैदा हो गया जिसका जिक्र श्री नेगी जी ने किया। मान्यवर, आपको याद होगा यहां सदन में एक प्रश्न उठा था कि जो व्यक्ति उस समय हमारे प्रदेश का हेड हो और उसके जो सहायक हों वह स्वयं अपने को नामिनेट करके अध्यक्ष हो गया और सहायक सदस्य के रूप में और अपने किसी सदस्य को रख दें। मैं समझता हूं कि यही बहुत ही हास्यास्पद बात इस बीच हुई थी।

श्रीमन्, उस मन्दिर को शासकीय व्यवस्था में लाने के लिये एक अभिप्राय यह भी था कि उसमें काफी दुरुपयोग था, उसमें देशभर के लोग आते थे और जो चढ़ावा देते थे उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता था और उससे यह भी नतीजा निकाला गया कि इन मन्दिरों से व्यवस्था के बाद भी काफी आय होगी और उसको मन्दिरों के ऊपर भी खर्च किया जायेगा और उसके अलावा जैसे शिक्षा संस्थायें, धर्मशालायें और दूसरे कालेजेज हैं उनको भी आय से चलाया जायेगा ताकि उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले। श्रीमन्, नेगी जी ने एक बात और कही कि बाला जी तिरुपति, भी पूर्ण तरीके से सरकारी माध्यम में तो नहीं हैं लेकिन सरकार का ही काफी नियंत्रण उस पर है, आपने भी देखा होगा कि बाला जी तिरुपति के धन से मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी, चिकित्सालय और बहुत सी ऐसी संस्थायें चलती हैं और लाखों रुपये की वहां रोजाना आय होती है। तो जो हमारे मन्दिर हैं पुराने समय के, यह मन्दिर ऐसे समय में बनाये गये कि देश की एकता के लिये 4 मन्दिरों की स्थापना की गयी, जिसमें सौराष्ट्र में द्वारिकाधीश का मन्दिर, दक्षिण में सेतु बन्ध रामेश्वरम् का मन्दिर, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जो पूर्व में हैं और उत्तर में बद्रीनाथ और केदारनाथ के मन्दिर हैं, ताकि देश की एकता, अखंडता, एक दूसरे से सद्भाव आपसी मिलन बना रहे और यह देश एक सूत्र में बंधा रहे, मैं समझता हूं कि मन्दिरों की स्थापना की मंशा यही थी।

मान्यवर, अब देखने में आया कि धन का दुरुपयोग तो हुआ ही लेकिन मंदिरों को लेकर आपने देखा कि बड़े बड़े आन्दोलन हुए और यदि कोई श्रद्धा से पूजा पाठ करना चाहता है छोटी और अनुसूचित जन जाति जिनको हरिजन और छुद्र समझते हैं उनको जाने में वहां बुरा समझते थे और अवरोध उत्पन्न करते थे, मैं समझता हूं कि भगवान सभी का है, तो इस तरह की भावनायें आज भी कुछ हैं किन्तु कम हुई हैं एक वक्त में पहले बहुत ज्यादा थी . . .।

(व्यवधान)

मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं, भगवान हैं ही नहीं, किन्तु यदि अधिकांश जनता और 99 प्रतिशत जनता भगवान को मानती है श्रद्धा करती है, तो श्रद्धा करने से किसी को रोकना जुर्म है, यह मैं कहना चाहता हूं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि मन्दिर में जो भी श्रद्धालु जाते थे, दर्शन करने के लिये अपनी श्रद्धा भावना लेकर हजारों मील दूर से जाते थे, वहां उनको जाने से प्रतिबन्धित किया जाता था और इसी वजह से इन बड़े-बड़े मंदिरों की व्यवस्था शासकीय ढंग से करने की आवश्यकता पड़ गयी। एक बात मैं मान्यवर, आपकी

आज्ञा से और कहना चाहता हूं, यह जो शासकीय व्यवस्था मंदिरों के बारे में की गयी इसमें काफी बदलाव आ गया और उसकी वजह से इस बीच में उसका काफी दुरुपयोग भी हुआ । तो उस व्यवस्था को जो इस अधिनियम की मंशा थी, वह पूरी नहीं हुई । इसलिए उस वर्तमान व्यवस्था में पुनः संशोधन करके, उसकी जो वास्तविक मंशा थी, उसके अनुरूप उस मंदिर की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ।

अभी मन्दिर के जीर्णोद्धार की बात लोग कह रहे थे । इसको बिड़ला साहब करने जा रहे थे, वह इस मंदिर पर अपना नामपट लगवाना चाहते थे । तो बिड़ला और मोदी के मंदिर हर जगह हैं । आज की पूंजीवादी व्यवस्था में यह बिड़ला और टाटा ही मंदिर हो गये हैं, भगवान हो गये हैं और इन्हीं के नाम के तमाम बड़े-बड़े मंदिर हो गये हैं । बिड़ला मंदिर, जे0 के0 मंदिर जैसे जाने कितने मंदिर हर नगर में बने हुए हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस मंदिर के ऊपर भी बिड़ला साहब अपना कब्जा करना चाहते थे और अपने नामपट्ट का पत्थर मंदिर पर लगवाना चाहते थे और इसके द्वारा वह अपना नाम पूरे हिन्दुस्तान और विश्व में जाहिर करना चाहते थे । जो हमारे मन्दिर हैं उनको हम पुरातत्व की श्रेणी में रखते हैं और इसकी देखरेख और इनकी रक्षा अपनी सरकार का और सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग का काम है । इसके अलावा जो हम राष्ट्रीयएकीकरण की बात करते हैं, उसके लिए भी यह बहुत आवश्यक है ।

यह हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण की बहुमूल्य धरोहर हैं । मैं इसकी ही नहीं कह रहा हूं जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं, फतेहपुर सीकरी, टोडरमल का किला, आगरा का लाल किला, ताजमहल इन सबकी देखभाल होनी चाहिए और सरकार को इनकी ओर पूरा ध्यान देना चाहिए । आज फतेहपुर सीकरी की क्या हालत है, वह भी पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत आता है । सरकार अगर सचमुच चाहती है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों के बीच सद्भावना बनी रहे, देश के लोग वह चाहे किसी भी कोने के हों, किसी भी सम्प्रदाय के हों वे एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से रहें तो इसकी ओर ध्यान देना होगा । तो यह देश की एकता को मजबूत बनाता है और इसलिये इसकी देखरेख करना सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है । इन मंदिरों के अधिग्रहण के लिये जो अधिनियम बनाया गया था और जिस प्रकार की कमेटी पहले बनती थी जिसमें इस सदन और विधान परिषद् के भी माननीय सदस्य होते थे, उसे पुनर्जीवित किया जाय । इसलिये मैं इस संकल्प की भावना को तो स्वीकार करता हूं लेकिन माननीय कुंवर सिंह नेगी जी की इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि उसमें पंडों और महाराजाओं आदि को भी रखा जाये क्योंकि उन्होंने हमेशा मदद की है । हम तो यह चाहते हैं कि इन मन्दिरों में जो धन का दुरुपयोग होता है वह न हो सके । इसलिये इन मंदिरों की जो व्यवस्था थी पहले वही बनाये रखी जाय ।

*श्री ओमप्रकाश रिछारिया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया ।

जी के संकल्प पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । माननीय नेगी जी ने जिस भावना से यह संकल्प रखा हैं मैं उसका समर्थन करता हूं । उनकी भावना का भी और इस संकल्प का भी ।

मान्यवर, मेरा सुझाव यह हैं कि यह जो कमेटी बनायी गयी हैं उसमें ऐसे सदस्यों को भी रखा जाय जो न केवल उसकी प्रबन्ध व्यवस्था को ही देखने वाले हों, बल्कि ऐसे लोग भी हों जो उसकी व्यवस्था को सुचारुरूप से रखने के साथ-साथ उसे विकसित करने में भी मदद दे सकें । मदद वे ही लोग दे सकते हैं जिन्होंने पहले से वहां पर धर्मशालायें आदि बना रखी हैं जैसे गुजराती लोगों ने, मराठी लोगों ने या और लोगों ने बनवा रखी हैं और बनवाते रहते हैं । जिन लोगों ने वहां की व्यवस्था को एक अच्छा रूप प्रदान करने में मदद की हैं और करना चाहते हैं उनके प्रतिनिधि को भी इसमें रखना चाहिये । यह मैं इसलिये भी चाहता हूं कि जो तीर्थ यात्री जाते हैं अगर उनके ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हैं तो उनको वहां जाकर बड़ी कठिनाई होती हैं । इसलिये ऐसे लोगों के प्रतिनिधि भी उसमें रखे जाने चाहिये जो वहां यात्रियों के ठहरने आदि की व्यवस्था को देख सकें । धन आदि से भी सहायता कर सकें । इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर डिवीजन का भी एक-एक प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए इससे जो भी लोग वहां जायेंगे उनको सहूलियतें प्रदान हो सकेंगी । यह प्रतिनिधि चाहे एम0 एल0 ए0 हों, या एम0 पी0 हों, या नगरपालिका आदि के सदस्य हों, कोई हो सकते हैं । इस प्रकार मेरा सुझाव हैं कि एक वृहद् कमेटी का रूप इसे दिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जमुनोत्री का जहां तक एक धार्मिक महत्व हैं वहीं उसका दूसरा महत्व इस दृष्टि से भी हैं कि वहां पर टूरिस्ट्स भी जाते हैं । बद्रीनाथ के पास वैली आफ फ्लावर्स भी हैं जहां काफी टूरिस्ट जाते हैं । इसी तरह से और भी कई स्थल ऐसे हैं जहां टूरिस्ट्स जाते हैं । ऐसी बात भी नहीं हैं कि केवल हिन्दू सम्प्रदाय के ही लोग जाते हों । इसलिये उस कमेटी में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होने चाहिए ।

इसके साथ ही श्रीमन् मैं इससे थोड़ा आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जब चेन्ना रेड्डी साहब जब मुख्य मंत्री थे तो तिरुपति बालाजी सहित अपने प्रदेश के सारे मंदिरों का उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उनको सौंप दिया । तिरुपति बालाजी की आय की 10 परसेंट राशि उसकी व्यवस्था में खर्च किया और कुछ मन्दिरों का उन्होंने पुनरुद्धार करने का प्रयास किया ।

मैं चाहता हूं कि यह जो प्रबन्ध समिति बने उसमें उत्तर प्रदेश के सारे मंदिर और वह मंदिर जो बहुत पुराने हैं और उनकी मेन्टीनेन्स करने वाला कोई नहीं हैं, इस प्रबन्ध समिति में उन सारे मंदिरों को लेकर उनका उद्धार किया जाय और संशोधित व्यवस्था बनायी जाय जिससे इनका पुनरुद्धार होकर इनको एक अच्छा रूप दिया जा सके । मेरे यहां बुन्देलखंड में बहुत पुराने, गौहर प्रतिहार, मौर्य काल के मन्दिर हैं जिनकी दशा बहुत खराब हैं । जिनमें कुत्ते पेशाब करते हैं और गधे ठहरते हैं, चूंकि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर की सबसे ज्यादा इन्कम हैं तो उससे वह व्यवस्थित हो सकते हैं । इसी प्रकार से एक मेरा छोटा सा सुझाव हैं कि चूंकि

यह मन्दिर हिन्दू सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं लेकिन इस सम्प्रदाय के धार्मिक ग्रंथों को सस्ती दर पर प्रकाशित करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हैं ।

गीता प्रेस वाले थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं । तो मैं चाहता हूं कि यह प्रबन्ध समिति इन मन्दिरों की आय की एक राशि सस्ती दर पर धार्मिक साहित्य छपवाने पर खर्च करें और जो ट्राइबल कम्युनिटी ईसाई मिश्नरियों के प्रभाव में आकर ईसाई होती जा रही हैं, हिन्दू से ईसाई में कन्वर्ट होती जा रही हैं, उस कम्युनिटी में इस साहित्य का प्रचार किया जाय ताकि उनमें यह भावना आ सके कि इन मंदिरों पर जो किसी वक्त, हिन्दू जाति में किसी विशेष जाति के आधिपत्य के मन्दिर थे वह इनकी ओर आकर्षित हो सकें और धर्म परिवर्तन न करें और इस जातिगत डाइवर्जन को रोका जा सके । इसलिये इस प्रबन्ध समिति को उधर प्रयास करना चाहिए ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस धन से एक ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय, आजकल आपने देखा होगा, मेरा यह मत हैं कि किसी खास जाति के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय, पूरे हिन्दू समाज में यह जो पुजारी और पंडित हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहिए और उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए । प्रशिक्षण पाये हुए लोगों को ही पुजारी के रूप में रखना चाहिए चाहे वह किसी जाति के हों । इससे उनको मालूम हो सकेगा कि जिसके वह पुजारी हैं या अगुवा हैं वह धर्म क्या हैं । मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुजारियों के बारे में नहीं कहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनरली पुजारी ऐसे हैं जो न मंत्रोच्चारण ही सही कर सकते हैं और न उसकी व्याख्या सम्बन्धी उनको कोई ज्ञान होता हैं । वह सिर्फ सवा रुपया नमः इससे आगे पीछे वह क्या कहते हैं यह भगवान को मालूम हैं । तो एक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना होनी चाहिये जिसके अंदर वह हिंदू धर्म का प्रशिक्षण लें ताकि यह जो मंदिर हैं उनको वह आदर्श रूप से स्थापित कर सकें । इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले इस बात का स्पष्टीकरण कर देना उचित समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को संकल्प के बारे में भ्रम हैं । ये समझते हैं कि इधर से अगर कोई संकल्प आ गया हैं, तो उसका विरोध करना चाहिए, जैसा कि उधर के कुछ लोगों ने कहा हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जरा शान्त रहें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, आपका आभार मानते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संकल्प के बारे में आज तक यह परम्परा भी रही हैं और नियम भी रहा हैं और इसको स्वीकारा भी हैं, इस सदन ने और इस सदन में यदि कोई संकल्प आया हैं तो उसको अपना संकल्प मानकर उसे पारित भी किया हैं । मान्यवर, केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रति यह आस्था का प्रश्न हैं । मैं बताना चाहता हूं कि माननीय कुंवर सिंह नेगी जी ने इतिहास उसका बताया, मैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया ।

इतना बताना चाहता हूं कि इसका सरकारीकरण 1958 में हुआ और इस कारण कि वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गयी थी जिसके कारण से एस0 डी0 खरे कमीशन नियुक्त किया गया था और उसी की सिफारिश पर यह जो कानून बना है, यहां के लिए, उसी की सिफारिश पर बना है, जो कि उसी तरह से चल रहा है ।

वास्तव में अगर देखा जाय, तो हमारे शुक्ला जी ने जो एक बात कही है, वास्तव में हिन्दू धर्म, हिन्दू धर्म के रूप में ठीक न होकर के, वह सनातन धर्म है और वह आस्था पर निर्भर करता है । जहां तक पूजा-पद्धति का प्रश्न है, जो लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते वे तो इस समय इसके अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो इसकी कार्य- प्रणाली समझते ही नहीं हैं, वे इसके पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं । जो इसके उपाध्यक्ष हैं, वे इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं और वही इसका संचालन कर रहे हैं । तो कैसे यहां की व्यवस्था ठीक होगी ? मैं क्षमा चाहता हूं । इस माननीय सदन ने जिस उद्देश्य से वहां पर इनको भेजा, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको सनातन धर्म और इस पूजा-पद्धति के बारे में जानकारी है ? उनको यह नहीं देखा जाता है कि उनको वहां की जानकारी है या नहीं बल्कि उनको खुश करने के लिए वहां का मेंम्बर बनाया जाता है और फिर वे दिल्ली ऋषीकेश और देहरादून में बैठ कर अपना टी0 ए0 डी0 ए0 बनाते हैं और उन्होंने आज भी वहां पर कोई व्यवस्था की है, या उसको सुधारा है, तो वह आज भी बता दें ।

माननीय, चार जो हमारे स्थान हैं, वैसे रामेश्वरम् हुआ जगन्नाथ पुरी हुई, द्वारिका और बद्रीनाथ हुआ, उनकी महत्ता है । जितने हमारे सम्प्रदाय हैं, वहां पर सबके स्थान हैं, इसलिये उनकी और भी महत्ता है । जहां हमारे ये चार स्थान हैं, जिनमें पुरी भी है, रामेश्वरम् भी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्तरी, जमुनोत्तरी भी हैं, कालीमठ भी है, जो काली का सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है, जितने भी हिन्दू मत-मतान्तर मानने वाले लोग हैं, उन तमाम का केन्द्र स्थान गढ़वाल मण्डल में है और उनकी व्यवस्था बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति करती है । लेकिन वहां पर और्रों के कोई व्यवस्था इस संस्था के द्वारा नहीं होती है । इसलिये इसकी व्यवस्था में सुधार करना बहुत जरूरी है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दक्षिण में बाला जी की जनता के द्वारा सुन्दर संचालन कर रहे हैं । हमारे यहां के लिये सिफारिश कर रहे हैं कि इस का सरकारीकरण कर दिया जाय । वहां पर जनता के द्वारा अस्पताल खुले हैं, मूर्तियों का चित्रण किया जाता है । लेकिन गढ़वाल और कुमायूं के अंचल की मूर्तियों की संरक्षण की व्यवस्था आज तक नहीं की गयी जो इस समिति द्वारा होनी चाहिए थी ।

उत्तर के मन्दिरों में और दक्षिणों के मन्दिरों में बहुत भिन्नता है । उत्तर के मन्दिरों में समन्वित रूप से एक ही घर में विष्णु और शिव की पूजा होती है, एक ही घर में शाक्य एवं शैव तथा काली की पूजा होती है । दक्षिण में यह परम्परा नहीं है । उत्तर के मन्दिरों की पूजा पद्धति अलग है, मंत्रों का उच्चारण अलग ढंग

से होता है और दक्षिण के मन्दिरों की पूजा पद्धति अलग है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि बद्रीनाथ-केदारनाथ समिति की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय। जिस प्रकार से जबरदस्ती पूजा करवाने की चेष्टा वहां की जा रही है, उससे वहां के लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है और पूजा पद्धति के विपरीत कार्य हो रहा है। माननीय सदस्य शुक्ल जी जानते हैं कि अलग-अलग दिशा में अलग अलग पूजा पद्धति होती है उत्तर की पूजा पद्धति अलग है, उत्तर के वेद अलग हैं, उनके उच्चारण की पद्धति अलग है। दिशाओं के बदलते के साथ-साथ उच्चारण और पूजा पद्धति बदल जाती है। जैसे ओउम का उच्चारण। अगर मंत्रों का उच्चारण सही नहीं होता है, दुर्गा सप्तशती का उच्चारण सही नहीं होता है तो उसका अर्थ उल्टा होता है और उसके परिणाम उल्टे होते हैं। मंत्रों के उच्चारण से या पूजा से जो काम होने वाला है, अगर गलत उच्चारण किया जाता है, तो वह उसके विपरीत होता है और उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है।

इस प्रकार से जो उत्तरांचल में बद्रीनाथ और केदारनाथ में स्थिति उत्पन्न हो गयी है, यह आवश्यक हो गया है कि इसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय। मैं नहीं कहता कि वहां पर उत्तर प्रदेश के अन्य लोग न जायं। उत्तर प्रदेश का मन्दिर है सबको वहां जाना चाहिए। परन्तु यह आवश्यक हो गया है कि ठंड में रहने वाले के लिये, भौगोलिक स्थिति में रहने वाले के लिये, जो वहां के लोग हैं उनको उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उस समिति में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। क्या 50 रुपये में लकड़ी कहीं मिल सकती है। जंगल मंत्री जी ने बन्द कर दिये हैं। लकड़ी काटी नहीं जा सकती है। शिव जी का विवाह मण्डप जो है जिसको त्रिजुगी नारायण बोलते हैं वहां आज भी अग्नि प्रज्वलित है, यही उसकी गरिमा है। जो वहां आग जलाने का काम करता है उसको 50 रुपये दे रहे हैं। हमारे जो उपाध्यक्ष रामचन्द्रन जी हैं उनके चौकीदार पर डेढ़ हजार रुपया प्रतिमाह खर्च किया जा रहा है। यह धर्म का काम हो रहा है। यहां पंचवटी है, पंचकेदार है, कालीमठ है, इन मंदिरों की व्यवस्था कौन करेगा? वहां केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ का काम नहीं रह गया है जो और मन्दिर हैं उनकी सुरक्षा भी करना है।

दक्षिण में मन्दिर द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। बाला जी की सुन्दर व्यवस्था है, रामेश्वर की सुन्दर व्यवस्था है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में टिकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां अनेकों धर्मशालायें हैं लेकिन उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। एम0 एल0 ए0 के रूप में तो चिट्ठी लिख दिया जगह मिल जाती है लेकिन बाजपेयी के रूप में धार्मिक यात्रा के रूप में चले जायं तो कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहां हर हिन्दू इस दृष्टि से आता है कि वहां सही पद्धति मिलेगी। लेकिन आज वहां की व्यवस्था इतनी जर्जर हो गयी है, वहां के मन्दिर की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वहां की व्यवस्था में वहां के स्थानीय लोगों को सम्मिलित किया जाय। वहां की व्यवस्था वहां के लोगों के हाथ में दे दी जाय जैसा दक्षिण भारत में है। क्योंकि स्थानीय लोग

हर तरह से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं" क्षमायाचना करते हुए कहना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय ने अपने को अध्यक्ष बना लिया, लेकिन अध्यक्ष बनकर वहां की गरिमा को बढ़ाते तो अच्छा होता लेकिन उन्होंने तो अपने को अध्यक्ष बनाकर बद्रीनाथ और केदार नाथ की गरिमा को ध्वस्त कर दिया। वहां पर पूजा जिस ढंग से होनी चाहिए, नहीं हो रही है"। राज्यपाल जायेंगे तो महा अभिषेक 2 बजे होगा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जायेंगे तो 2 बजे होगा। मन्दिर में एक समानता की भावना होती है", वहां न कोई राजा है" न कोई रंक है"। सभी की समान स्थिति होती है"। वहां पर सरकारीकरण के नाते सारी व्यवस्था जर्जर हो गयी है"। इसलिये वहां की व्यवस्था मे परिवर्तन होना आवश्यक हो गया है"। इसलिये मैं आदरणीय सदन से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसके संचालन में आमूलचूल परिवर्तन के लिये इस माननीय सदन में सबका सहयोग मिले ताकि बद्रीनाथ और केदारनाथ की गरिमा अक्षुण्ण रह सके।

[समय 2 बजकर 23 मिनट]

*श्री श्यामलाल वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कुंवर सिंह नेगी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर की तरफ इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट किया, इसके लिये मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी इच्छा थी कि इस आदरणीय सदन में बद्रीनाथ और केदारनाथ पर चर्चा हो, परन्तु कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा था। पिछले दिनों उस महान समिति का सदस्य मुझे मनोनीत किया गया। तब मुझे समझने का अवसर मिला, उसे समझने में मुझे ऐसा लगा कि वह महान मंदिर जो मंदिर ही नहीं बल्कि कोटि-कोटि सनातनधर्मियों की भावना का प्रतीक धाम है", देश के किसी कोने में चले जायं, जहां का नाम गौरवान्वित है" कि हिमालय की गोद में बसे उस धाम के प्रदेश के रहने वाले लोग हैं"।

मान्यवर, हमारा इनका मन्दिर है"। जब मैंने उस मन्दिर की व्यवस्था को समझा और देखा तो ऐसा लगा जो महानता के मुख पर मन्दिर है" उस मन्दिर की सम्पत्ति को ऐसे लूटा जा रहा है" जैसे लग रहा है" किसी सम्पन्न विधवा की सम्पत्ति को लूटा जाएगा। मान्यवर, माननीय नेगी जी का क्षेत्र है" बद्रीनाथ, केदारनाथ यह इनका अपना क्षेत्र है"। यह इनके क्षेत्र में आते हैं"। मान्यवर, जो व्यवस्था है" उस वर्तमान व्यवस्था को देखों एक मिटिंग छः महीने पहले हुई थी। मुझे जाने का अवसर मिला। मान्यवर, मैं" विश्वास के साथ कहता हूं कि माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं" उस समय आर्या जी मंत्री थे। मैंने उनको समय-समय पर पत्र लिखे और अवगत कराया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस मन्दिर के श्री रामचन्द्रन चेयरमैन है"। मान्यवर, वायुयान से यात्रा करते हैं"। दिल्ली से उनकी सेवा में दो-दो गाड़ियां लगी हुई हैं"। मान्यवर, जिसके श्री चौहान साहब आयोजक सदस्य हैं" इस समिति के सदस्य हैं" उनके बारे में कहा। सारी सम्पत्ति रामचन्द्रन जी के पास है"। मान्यवर, उनके पास एक अधिकार है", उसको नहीं चाहते। जहां कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठेकेदार वगैरह हैं। वहां अर्जित धन का दुरुपयोग हो रहा है।

मान्यवर, लखनऊ नगर में पचासों लाख की सम्पत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ की है। मान्यवर ,मैंने एक प्रस्ताव रखा कि उसका संयोजक मुझे बनाया जाए उसमें मीटिंग रखी जाए। वहां एक प्रस्ताव है कि राज्य सरकार से निवेदन किया जाए और अन्य संस्था से पैसा लेकर के यहां पर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाकर के मंदिर समिति के लिए कार्यालय बनाया जाए। जहां हम सहायता का प्रचार करेंगे और इसकी व्यवस्था के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे कि वहां सब आए। मीटिंग होती है मान्यवर, वहां अधिकारी हैं नहीं इसलिए समिति की बैठक स्थगित की जाती है। मैंने तुरन्त कह दिया स्थगित कर दी जाए। तब वे स्थगित हो गयी। मैं ठाकुर साहब कर्दम साहब, एम0 एल0 सी0 ब्रह्मचारी जी इन सदस्यों में से दो नहीं थे उन्होंने कहा आप इस मीटिंग को प्रिजाइड करिए मैंने कहा नियम के विरुद्ध है हम प्रिजाइड नहीं कर सकते। नियमित रूप से करें। उसी दिन एक आदमी झोला लेकर आता है जिससे टी0 ए0 डी0 ए0 बन जाए मैंने कहा दो सदस्य नहीं हैं "बाप पूत बराती-महतारी बिटिया जनाती" मान्यवर, तो टी0 ए0 डी0 ए0 की बड़ी साध है कि मिल जाए। उस दिन मैंने त्याग पत्र दे दिया। उस समिति से। जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो जहां टी0 ए0 डी0 ए0 के लिए ऐसा किया जाता है। मान्यवर, फाइल ऐसी ही दबी पड़ी है मकान खाली करने के लिए मान्यवर, पत्रावली देखिए 10-10 हजार रुपये वकील की फीस के नाम पर ले लिये गये, लेकिन मुकदमे का प्लान तक नहीं बना, ड्राफ्ट ही बन जाता, मुकदमा होने की बात तो दूर की है। मैंने पत्रों के द्वारा ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। एक पी0 सी0 एस0 अधिकारी मान्यवर, वहां का कार्यकारी अधिकारी है। वह एक पुराने आई0 सी0 एस0 अधिकारी के प्रति वफादार है। वह कहता है मीटिंग मत लगाइये, हमारा एकाधिकार है और जो 4-5 एम0 एल0 ए0 हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है।

मैं नेगी जी ने जो कहा उससे सहमत हूं। माननीय मंत्रीजी नौजवान हैं। एक महान पिता के पुत्र होने के नाते, जिस व्यक्ति का योगदान इस देश की राजनीति में बहुत रहा, आपने जरा सी भी कोताही बरती तो ये अधिकारी पीट-पाट कर चले जायेंगे, लेकिन आपको सनातन धर्म कभी माफ नहीं कर पाएगा। जो लाखों करोड़ों व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत होकर वहां जाते हैं, उनके धन के साथ, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वह चिंतनीय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको देश के विभिन्न भागों का ज्ञान है। मैंने भी खुली आंखों से उन मंदिरों का अध्ययन किया है। मैंने दक्षिण में जो तिरुपति मंदिर है, उसको भी देखा है। क्या सुन्दर व्यवस्था है। स्टेशन से उतर कर जो वाहन मिलेगा वह मंदिर का होगा, आवास मंदिर का मिलेगा, स्कूल चल रहे हैं। विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कालेज चल रहे हैं और मान्यवर, हमारे यहां तो रुपये की लूट होती है, वहां पर एक पैसे की छीना झपटी नहीं है। हुण्डी रखी है, आदमी डालता गया और चलता गया। वहां हर चीज बिकती है।

परसाद बिकता हैं । बड़े बड़े आयोजन होते हैं किन्तु कोई अव्यवस्था नहीं हैं । यहां कुछ माह के लिये धाम खुलता हैं और उसके खुलते ही वहां नाच शुरू हो जाता हैं । अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती हैं ।

मान्यवर, वहां चढ़ावे के रूप में जो धन आता हैं उसकी लूट हो जाती हैं । चाहे वह अधिकारी के रूप में हो या कर्मचारी के रूप में हो । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा कि नेगी जी ने कहा हैं एक अच्छी बात कही हैं और उसको स्वीकार करना चाहिये । अच्छी बात का सम्मान करना चाहिये । वहां जो व्यवस्था चल रही हैं वह इस देश के सनातन धर्म के मानने वालों के साथ उपहास किया जा रहा हैं । इसके नाते मैं कह रहा था, माननीय बड़े भाई यहां बैठे हैं । इनके हाथ में व्यवस्था हैं ये संस्कारी परिवार से आए हैं । इनसे कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान हैं । मैंने जो कुछ कहा हैं खुद वहां जा कर देख लें ।

मान्यवर, यहां पर हरिद्वार स्टेशन पर आदमी उतरता हैं उसी समय से लोग उसको नोचना शुरू कर देते हैं । ऋषीकेश में एक कार्यालय हैं और वहां अधिकारी वेतन पाता हैं । सामान्य यात्री को तो उसका दर्शन क्या हो पाएगा, जब समिति के सदस्य को ही उसके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं । वहां जमीन पड़ी हुई हैं । ऋषीकेश में वह जमीन हैं । एक प्रस्ताव रखा था कि यहां पर एक स्वागत कार्यालय खोला जाय । वहां व्यवस्था हो कि जिस समय यात्री हरिद्वार में उतरे, वहां से लेकर केदारनाथ या और जितने पर्वतीय स्थल हैं, वे वहां पहुंच जांय, यह व्यवस्था मन्दिर की तरफ से होनी चाहिये । उसी प्रकार जैसी व्यवस्था तिरुपति जी में हैं । तो इन कार्यों के लिए थोड़ा साहस जुटाना पड़ेगा । और साहस जड़-व्यवस्था में घिरा रह गया हैं ।

जड़-व्यवस्था कौन हैं वह हैं—ब्यूरोक्रेसी । आपको याद होगा, दिल्ली में माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी आप सभी लोगों से कह चुकी हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अपनी बात कहने का अधिकार हैं, परन्तु जन-प्रतिनिधि तो आप लोग हो और आपका आदेश अन्तिम हैं और वही माना जायेगा । ब्यूरोक्रेट्स हमारे बाप नहीं हो सकते हैं, वे सेवक हैं और सेवक रहेंगे । यदि आपको उस व्यवस्था को तोड़ना हैं तो रामचन्द्रन जैसा जो ब्यूरोक्रेट वहां पर बैठाया गया हैं, उसे वहां से हटाया जाय और उस व्यवस्था को भंग करके एक प्रशासक की नियुक्ति की जाय । उस प्रशासक के तहत सबसे पहले देश के उन मन्दिरों का अध्ययन करें और तिरुपति जी की पद्धति को संचालित करें, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के श्रद्धा के पात्र बनें, यश लूटें । इन सब बातों से पहले माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महीने में कम से कम तीन बार मीटिंग बुलवायें ताकि उनके ऊपर अंकुश रहे ! बद्रीनाथ धाम के लिए एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग ने उनकी ऐसी बखिया उधेड़ दी थी कि अब वे दूसरी मीटिंग नहीं बुलवा रहे हैं । मान्यवर, हम तो प्रणाम करके आ गये, प्रातःकाल का राज्याभिषेक में भगवान जी के पादों पर फूल अर्पित करके आ गये । परन्तु वहां के धन के साथ बहुत बड़ा घपला हो रहा हैं ।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, स्वच्छ करने और जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है ।

श्री राम स्वरूप निम—

माननीय अधिष्ठता महोदय, इस संकल्प के बारे में, अब कोई दो-राय नहीं है, चूंकि सत्ता पक्ष और बिपक्ष दोनों ही इसे चाहते हैं । लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी महत्ता और क्यों ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यहां जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनका एक उद्देश्य था । वह यह था कि मानवता की रक्षा किस तरह से की जा सकती है और मानवता के जो मापदण्ड हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है । इन्हीं चीजों को दृष्टि में रखते हुए इन पवित्र स्थलों और धार्मिक स्थानों का सृजन किया गया था । इससे भी जो अहम् बात है वह यह है कि चाहे वह केरल का हो, चाहे वह मद्रास का हो चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो और चाहे वह बिहार का हो, वहां जाकर वह एक दूसरे से मिलते थे । मिलने के बाद एक दूसरे के नजदीक आते थे और वहां से कुछ सीख कर आते थे मानवता के हित के लिए समाज के हित के लिए देश के हित के लिए । किन्तु आज जो ये सनातन धर्म हैं और हिन्दू धार्मिक स्थान हैं, जिसके बारे में संकल्प में भी है, मान्यवर, धीरे-धीरे धर्म को मानने वाले लोगों के प्रति अन्याय होता जा रहा है । उसके लिए मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं ।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी जब जगन्नाथपुरी को जाने को हुईं तो वहां के शंकराचार्य ने उन्हें यह कह कर मन्दिर में नहीं जाने दिया कि वह हिन्दू नहीं हैं और आप मन्दिर के अन्दर नहीं जा सकती हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधायक प्रासंगिक बात बोलें और वर्तमान व्यवस्था पर बोलें ।

श्री अधिष्ठाता—

जो संकल्प है और जो संकल्प की मंशा है और वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था के सवाल को संकल्प के माध्यम से रखा गया है मैं समझता हूं कि सीमा के अन्दर ही आप बोलें । यदि आप सीमा के अन्दर बोलेंगे तो अच्छे सुझाव भी आ सकेंगे ।

श्री रामस्वरूप निम—

श्रीमन्, मैं संकल्प पर ही बोल रहा हूं । मैं यह उदाहरण इसलिये दे रहा था कि जो एकीकरण की भावना है और या फिर देश को बचाने की जो भावना है उसको आंच आती है और उसको ठेस लगती है । जब धार्मिक-स्थलों के मठाधीश इस प्रकार की बातें करते हैं । वह इसलिये है कि वह संस्थायें जो हैं, वह उन मठाधीशों के अन्तर्गत हैं, उनके कण्ट्रोल में हैं । आप या यह सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है, जब तक वह उनके मठाधीशों की व्यवस्था के अन्तर्गत हैं । मान्यवर, आप कह रहे हैं कि संकल्प के ऊपर बोलिये, तो मान्यवर, संकल्प की मंशा मेरे ख्याल से यह है कि तथाकथित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो हिन्दू धर्म या सनातन धर्म है, जिसमें अनेक जातियां हैं, लेकिन जो अपने को हिन्दू कहने वाले हरिजन बाल्मीकी और अनुसूचित जाति के लोग हैं, वह इन मंदिरों में घुस नहीं सकते, सिर्फ इस वजह से कि इन मन्दिरों पर उन मठाधीशों का अधिकार है, उनकी इजाजत के बगैर कोई दर्शन नहीं कर सकता, मन्दिरों तक नहीं जा सकता और इस तरह से जो लोगों की धार्मिक भावनायें हैं, उन धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। जो आदमी इतना पैसा खर्च करके केदार नाथ और बद्रीनाथ जा-करके वहां से बिना दर्शन किये लौट आये, तो मान्यवर, उसके मन में इस धर्म के प्रति, इन धार्मिक स्थलों के प्रति क्या भावना रह जायेगी, क्या उसकी श्रद्धा रह जायेगी ?

मान्यवर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं तो, जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, आज व्यवस्था के नाते जो हमारे सामने परिणाम हैं, मान्यवर, जितने भी यह धर्म स्थल हैं, मेरा यह सुनिश्चित मत है कि इन मठाधीशों ने उन पर अपना एकाधिकार जमा लिया है और उस एका-धिकार के तहत जो आमदनी होती है, जिस श्रद्धा से वहां लोग पैसा देते हैं या जो भी सामान देते हैं, उस सामान या पैसे का किस कदर दुरुपयोग यह मठा-धीश करते हैं, वह सर्वविदित है और उस दुरुपयोग के ऊपर मान्यवर, सरकार का किसी तरह का कोई कन्ट्रोल नहीं है। एक उदाहरण अभी माननीय बाजपेयी जी ने बताया कि तिरुपति का मन्दिर है, वहां लोग जब जाते हैं, तो स्टेशन से ही रिक्शा-टांगा, मोटर टैक्सीज, आपको वहां तक ले जाती हैं, मन्दिर की तरफ से इस-की बाबत व्यवस्था है। मान्यवर, मन्दिर की जो बिल्डिंग है, उसका जो सृजन किया गया है, उसकी भी खूबसूरती देखने लायक है। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ का पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं व्यभिचार आदि में खर्च कर रहे हैं शराब में खर्च कर रहे हैं और न जाने क्या-क्या कर रहे हैं। इसलिये अगर इस व्यवस्था का परिवर्तन सरकार नहीं करना चाहती है तो मेरा यह खुला आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार इस देश को तोड़ने पर लगी हुई है और सरकार इस देश को एकजुट करके देखना नहीं चाहती है और इसी वजह से अगर कोई सही बात अगर विपक्ष की तरफ से आ जाती है, तो मान्यवर, सरकार उसको मानने के लिये तैयार नहीं होती है। और, इस बात को सभी सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन जब अभी आपके द्वारा इसपर प्रश्न आयेगा कि संकल्प यह है, तो माननीय नेगी जी ने जैसा कहा आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वह गिर जायेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार को सही बात स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ? अगर आपको ध्यान नहीं आया, अगर आपको यह ख्याल नहीं आया कि वह बात सही थी और सत्ता पक्ष के बजाय विरोध पक्ष ने इसको रखा तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके ऊपर कोई ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। उस आमूलचूल परिवर्तन से यह होगा कि किस वर्ग को इन धर्म स्थलों के स्थान तक जाने की इजाजत नहीं है, उन लोगों के प्रति-निधियों को उस कमेटी का सदस्य बना दिया जायेगा, वह वहां जाकर के कम से

काम उसकी व्यवस्था को, उसकी अहम को और उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे । माननीय नौटियाल साहब कह रहे थे कि जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष वहां बने हुए हैं, उनको मंत्रादि या उसकी पूजा किस तरह से होती है, यह सब चीजें नहीं आती हैं । मेरा इसके बारे में स्पष्ट यह कहना है कि अगर बच्चे को घर से न भेजा जाय और उसे अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिये दे दी जाय, तो साहब वह नहीं पढ़ पायेगा, स्कूल तो उसे जाना ही पड़ेगा, स्कूल जब जायेगा, तब ही वह उस किताब को पढ़ सकेगा, जब पढ़ने जायेगा, तब ही उसे जानकारी होगी ।

इसी लिये जब तक उस मंदिर की कमेटी का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बनता है, उसको मंदिर में जाने का वहां मौका नहीं मिलेगा, इसकी प्रक्रिया को जानने का समय नहीं मिलता उसके बारे में वह अपनी धार्मिक भावना या और किसी चीज की अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है । इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि उस व्यवस्था का परिवर्तन करके वहां पर एक समिति का गठन कर दिया जाय और वह समिति, उसका उद्देश्य यह होगा कि जो पैसा वहां से आयगा उसका लेखा-जोखा रहेगा, उससे जो जाने-आने वाले लोग हैं, कभी रास्ता रुक जाता है, पहाड़ गिर जाता है, सरकार के पास इतना धन नहीं उपलब्ध होता, तो अगर इन सब का समाधान पहले से हो जाय । जैसे पहले बजट में यह आया था कि जितने पहाड़ी इलाके की सड़कें हैं उनकी साइड ऊंची उठायी जायेंगी ताकि एक्सीडेंट न हो । तो जो पैसा इस सरकार को मिलेगा उससे सुधार और विकास के कार्य किये जा सकते हैं और जो मन्दिर का स्थल है, उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है ।

पुनः संकल्प पर जोर देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि एक सही बात अगर कही गयी है तो उसे स्वीकार करें । मनुस्मृति, जिसके अन्तर्गत पुरानी परम्परा चली आ रही है, आज भी अगर उसे चलाना चाहते हैं तो इस देश का प्रदेश का भला नहीं हो सकता है । मनुस्मृति में वर्णों की और सारी चीजों की व्याख्या की गयी है । यह चीजें ऐसी हैं कि इनको दूर करने के लिये आपको और सरकार को व्यवस्था में परिवर्तन करना ही होगा अन्यथा मनुस्मृति का प्रचलन, जो तब था, आज भी रहेगा ।

श्री गौरे लाल शाक्य—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री कुंवर सिंह नेगी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया । 1981 में मुझे केदारनाथ-बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा का मौका मिला । जो कुछ मैंने वहां देखा आपके सामने रख रहा हूं । एक विधान सभा के सदस्य के नाते से वहां के प्रबन्धकों ने सारी व्यवस्था दिखायी कि जो भी दान पात्र रखे हुए हैं, उसमें डबल लाक व्यवस्था है । उन्होंने बताया कि इस तरह से दान निकाल लेते हैं । एक ताला खोलने के बाद दान-पात्र खुल गया और दूसरा ताला लगा ही रहा । यह डबल लाक की व्यवस्था जाली है । केवल एक ताला खोलने से ही धन निकल आता है । जब कैशबुक का निरीक्षण किया तो उसी दिन कैशबुक बन्द होनी चाहिये, लेकिन दूसरे दिन भी बन्द नहीं थी । जब मैं लौटकर यहां आया तो तत्कालीन मुख्य मंत्री से लिखित में शिकायत की

कि जो दान दिया जाता है, उसे निकाल लेते हैं। मैंने इसकी सी0 आई0 डी0 जांच सेट-अप करायी, लेकिन दो साल के अन्दर वह जांच पता नहीं कहां चली गयी, पता नहीं चल रहा है। जो व्यवस्था वहां चल रही है, वहां जाकर उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ। जो सोने का दान दिया जाता है, तो बाद में जो नकली सोना निकलता है, मेरा कहना यह है कि वह असली सोने के स्थान पर रखा हुआ होता है। वे लोग कह देते हैं कि नकली सोना ही चढ़ाया। जो भी तीर्थ यात्री जायेगा वह भगवान को धोखा नहीं देगा और वह नकली सोना नहीं चढ़ायेगा।

आगे कहना चाहता हूं कि केदारनाथ-बद्रीनाथ के सदस्य चन्द्र बली ब्रह्मचारी भी हैं। उनसे भेंट हुई उत्तर प्रदेश भवन में। वह तो इन्सान से घृणा करते हैं, अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देते। मुझसे उन्होंने कहा कि इसका सामान फेंक दो, तो जिनका व्यवहार आदमियों के साथ जानवरों जैसा हो तो वह ऐसे महान मंदिर के सदस्य हों तो मैं नहीं समझता कि वह वहां के लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे जबकि वह एक विधायक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते इसलिए मैं तो कहता हूं कि वह वहां के सदस्य बनने के लायक ही नहीं हैं। दूसरी एक बात मैं अपनी कहना चाहता हूं कि चाहे वह हिन्दू को मुसलमान को या ईसाई को बुरी लगे या अच्छी। मैं इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखना चाहता जो इन तमाम धर्मों में सद्भाव न रखता हो।

श्री अधिष्ठाता—

आप देखना नहीं चाहते हैं या यह आपकी राय है।

श्री गोरे लाल शाक्य—

यह मेरी राय है। कि चाहे मन्दिर हों, मस्जिद हो या, गुरुद्वारा सबको उनमें प्रवेश और दर्शन के अधिकार होने चाहिए और कहीं पर जाति और धर्म के नाम पर प्रतिबन्ध न हो। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि इन स्थानों पर जाने के लिये जो देश के तमाम जगहों से तीर्थ-यात्री आते हैं उनको आने-जाने में किसी किस्म की कोई कठिनाई न हो इसके लिये विद्युत फूलें की व्यवस्था की जाय, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प पर जारी चर्चा अब बन्द हो, इसके लिये माननीय मन्त्री जी कृपया सदन में प्रश्न उपस्थित करवा दें।

(शांर)

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि यह संकल्प पहाड़ के मन्दिरों से सम्बन्धित है, इसलिये कुछ पहाड़ के माननीय सदस्य इस पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं।

श्री मोहन सिंह—

ठीक है, मान्यवर, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन दोनों पहाड़ के माननीय सदस्यों को बुलवाने के बाद बन्द करवा दीजिये।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि श्री मोहन सिंह जी कह रहे हैं उसमें ऐसी बात नहीं है,

बद्रीनाथ और केदारनाथ मन्दिरों के संबंध केवल पहाड़ से ही नहीं हैं, बल्कि सभी लोगों से हैं और लोग इस पर बोलना भी चाह रहे हैं और यदि इस वक्त आपके पास समय नहीं है तो इसके लिये कोई और समय निश्चित कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य इधर से और कुछ उधर से इस पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि उनको इस पर दिलचस्पी है, इसलिये मैं माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव पर सदन में प्रश्न उपस्थित नहीं कर रहा हूं और मैं इसके लिये समय दे रहा हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पहले बद्रीनाथ मन्दिर में शंकर और पार्वती रहा करते थे, वहां उन लोगों ने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मैं इस बच्चे को कमरे में रखकर आती हूं। शंकर जी ने इस पर मना किया कि हमारी बात मानिये ऐसा न करिये, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उस बच्चे को उठाया और जाकर उसे कमरे में रख आयीं और जब स्वयं वह वहां स्नान कर लौटे तो देखा कि उस बच्चे ने अन्दर से कमरे के दरवाजे बन्द कर लिये हैं, जिससे फिर उनका प्रवेश उस कमरे में नहीं हो सका तब वह दोनों केदारनाथ चले गये और वह बच्चा विष्णु भगवान थे, जो वहां जाकर बैठ गये। इसी प्रकार से वहां पर जो भी अधिकारी जाते हैं वह अन्दर से दरवाजे बन्द करके बैठ जाते हैं और उस पर कब्जा विष्णु भगवान की तरह कर लेते हैं, फिर उसके अन्दर किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। तो हमारी पूरी सरकार की अक्ल को ठगने वाले लोग, मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां पर पहले बिड़ला जी कब्जा करना चाहते थे मन्दिर में उन्होंने बड़ी-बड़ी योजनायें बनाईं पर जनता के प्रबल विरोध के कारण वह योजना सफल नहीं हो पायी तो अब दूसरी योजना चल रही है जिसके तहत बद्रीनाथ मंदिर में बाहर से पत्थर लाया जा रहा है। यह पत्थर आंध्र से लाया जा रहा है और एक-एक पत्थर 500-500 रु0 का है। इसके लिये रामचन्द्रन साहब ने 20 लाख रु0 की धनराशि अश्रम में ले रखी है। कायदे के अनुसार बद्रीनाथ समिति की मीटिंग नहीं बुलाई जाती है क्योंकि उसमें सदस्य लोग बड़े चुभते हुए एक साथ प्रश्न पूछते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विद्या सागर नौटियाल जी, संकल्प में बहस के दौरान शायद आप देरी से आये हैं, कुछ सदस्यों ने इन मुद्दों पर काफी बातें की हैं। अगर बहस का स्तर ऊंचा उठाना है तो इन बातों को रिपीट न करके आप कुछ नई बातें कहें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

तो मैं कह रहा था कि तीन साल पहले बद्रीनाथ यात्रा पर, जो कि यात्रा ऋषीकेश से शुरु होती है, उसमें बद्रीनाथ के यात्री को ठगा जाता है क्योंकि बसों में दो तरह का किराया लिया जाता है। यात्रियों के लिये किराया दूसरा और स्थानीय लोगों के लिये किराया दूसरा लिया जाता है। जब हम जाते हैं तो किराया 30 रु0 पड़ता है और जब कोई बद्रीनाथ के

दर्शन करने वाला यात्री जाता है तो उससे 50 रु0 किराये के लिये जाते हैं। इस आदरणीय सदन के बहुत से सदस्य जो कि बद्रीनाथ की यात्रा पर गये हैं इस बात को जानते हैं और उनको इस बात पर ताज्जुब भी हुआ कि यह किराये की दो तरह की कैसी व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि एक दूरी के लिये एक ही किराया सबसे समान रूप से लिया जाय। मैं चाहता हूं कि आप जैसा खूबसूरत चेहरा भी यदि जाय या कोई दूसरा यात्री चला जाय उनसे सबसे समान रूप से एक ही तरह का किराया लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनको खूबसूरत कह कर अपनी खूबसूरती क्यों कम कर रहे हैं ?

श्री विद्या सागर नौटियाल—

इस तरह से जो डेढ़ गुना किराया जो यात्रियों से लिया जाता है, यह काम दो-तीन साल से चल रहा है। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से यात्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं उनके जीवन की साध होती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की साध होती है एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करने की। वह अपने घर से चला आता है और ऋषीकेश में पहुंच कर जो चाहता है उसकी जेब काट लेता है। यात्री बेचारा तो अपने भाव में विभोर होता है कि मैं बद्रीनाथ के दर्शन करूंगा, वह अपने रंग में रंगा रहता है परन्तु यहां आकर बस वाले पुलिस वाले उससे नोचा खसोटा शुरू कर देते हैं और वह समझता है कि हम बद्रीनाथ भगवान से मिलने जा रहे हैं। ऐसी धर्मभीरु जनता हमारी है और हमारी बद्रीनाथ समिति इस ओर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है।

यदि बद्रीनाथ की व्यवस्था ठीक कर ली जाय तो पहाड़ों के अन्दर जो आप टूरिज्म की बात करते हैं पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटकों से लाखों रुपये उन यात्रियों से जो कि विदेश से आते हैं, वे भारत में कभी-कभी आते हैं वे बद्रीनाथ इसलिये नहीं जाते कि उनके ठहरने के लिये वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और बद्रीनाथ मन्दिर समिति इस व्यवस्था को करने में अक्षम्य है। भारत के मूल निवासी या भारतवंशी लोग जब विदेश से यहां पर आते हैं तो उनके लिये बद्रीनाथ दर्शन का उचित प्रचार किया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग को यह काम करना चाहिए।

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि माननीय नेगी जी ने यह संकल्प लाकर बहुत ही शुभ कार्य किया है और मैं आपके माध्यम से इस संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात को यह कह कर समाप्त करूंगा कि हमारी सरकार को अब ज्यादा धोखे में नहीं आना चाहिए और जो वहां पर व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए और नयी व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

माननीय नेगी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें दो बातें आधारभूत मालूम पड़ती हैं। एक तो यह है कि जो वहां का प्रबन्ध तंत्र है, बद्रीनाथ धाम का वह प्रबन्ध तंत्र अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। यह एक भावना इस संकल्प से निकलती है। जब वह नाकामियाब है तो निश्चित रूप से उसको बदला जाना चाहिए। यह मामला महत्व का है। मेरा सुझाव है कि प्रबन्ध तंत्र में ऐसे प्रतिनिधि रखे जायं जो श्रद्धालु हों, भक्त हों और सनातन धर्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा हिन्दू संस्कृति के प्रति आस्था रखते हों जिससे वहां की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलाई जा सके । जहां तक अव्यवस्था का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में चर्चा के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि दान दिये जाने का जो कोष है उस-का ठीक से हिसाब नहीं रखा जाता है, उसका दुरुपयोग होता है । उसकी व्यवस्था की जाय । इसलिये वहां पर ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि जो दूसरे स्थान से यात्री आते हैं उनको कुछ अधिक सुविधायें मिलें ।

बहुत से लोगों से मेरी चर्चा हुई । केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो मैं नहीं कर सका लेकिन चर्चा अव-श्य की है । बहुत से यात्रियों ने ऐसी-ऐसी बातें बतायी, उनका कहना है कि वहां जो जितना दक्षिणा देता है उसको उसी अनुपात में दूर या निकट से भगवान के दर्शन कराये जाते हैं । यह बड़ी मामूली बात है, इसका इन्तजाम कराया जा सकता है इस व्यवस्था के कारण बहुत से लोग बिना दर्शन के लौट जाते हैं । उनके पास पैसा नहीं था इसलिये वह दर्शन नहीं कर सके । प्रबन्ध तंत्र यह इन्तजाम नहीं कर सका तो उसके द्वारा कौन सा इन्तजाम हो सकता है इसलिये उसको तुरन्त निकाल देना चाहिए । हम कोई प्रबन्ध तंत्र इसलिये रखते हैं कि वह अच्छी सुविधायें यात्रियों को प्रदान करें नहीं तो आज के युग में और पुराने युग में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । पुराने समय में लोग जब तीर्थ स्थानों पर जाते थे तो वह यह समझ कर जाते थे कि उनको वापस नहीं होना है । इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पर जो कोष है उसकी कड़ाई के साथ निगरानी की जाये और देख-रेख की जाये, जो श्रद्धालु व्यक्ति हैं और भक्त हैं उनको ही उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और अन्धेर गर्दी जो हो रही है और जिस तरह से लूट हो रही है उसको बन्द किया जाय और व्यवस्था लायी जाय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी अवसर प्रदान किया । बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रति नेगी जी ने जो प्रस्ताव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । दोनों पक्षों की ओर से आपने वार्ता सुनी और अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं । श्री श्याम लाल बाजपेयी जी ने जो सुझाव दिया है और विद्या सागर नौटियाल जी ने जो सुझाव दिये हैं उनका माननीय मंत्री जी मनन करें । बद्रीनाथ और केदार नाथ में हमारे पूर्वजों की आस्था है, जैसा कि इस किताब में लिखा है ।. . .

इसमें लिखा हुआ है कि वहां 166 गांव गूंट के थे जहां से लगान केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाता था । इसके साथ ही साथ 111 गांव ऐसे थे जहां उसकी भूमि थी, उसकी आमदनी भी केदार नाथ बद्री-नाथ को जाती थी और 45 गांव ऐसे थे जहां से बहुत सी आमदनी वहां जाती थी । इलाहाबाद से फूलपुर जो है वहां से भी आमदनी इन मन्दिरों को जाती थी । अल्मोड़ा और बासरी सराय की आमदनी भी वहां जाती थी । लेकिन जब बन्दोबस्त हुआ जमींदारी उन्मूलन हुआ तो इन मन्दिरों की हिस्सेदारी चली गयी और वह सारी जो गूंट की भूमि थी वह काश्त-कारों के नाम से कर दी गयी और वह आमदनी भी बन्द हो गयी । आज वहां की

*वक्ता ने भाषण का पुनरवेक्षण नहीं किया ।

केवल वही आमदनी रह गयी हैं जो इन मन्दिरों में चढ़ावा आता हैं । इसी आमदनी पर चील और कौवों की तरह नजर चिपकी रहती हैं ।

मान्यवर, मुझे तीन बार बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का अवसर मिला और मैंने देखा कि किस तरह से वहां की आमदनी का दुरुपयोग वहां के प्रशासक और जिम्मेदार लोग कर रहे हैं । मैंने यहां तक देखा कि जो उसकी कमेटी के सदस्य हैं उनको अच्छा-अच्छा भोजन, रहने के लिये व्यवस्था और उनके लिये कार भी भेजते हैं । हरिद्वार से ही कार भेज देते हैं । अगर वे कहें कि हमको लखनऊ जाना हैं तो वे यहां भी आ जाते हैं और उसका सारा खर्चा मन्दिर से दिया जाता हैं । हमको यह भी मालूम हुआ हैं कि महामहिम राज्यपाल उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने दामाद को भी उसमें सदस्य बना लिया हैं ताकि उसको खूब लूटा जा सके । जो आस्था हम लोगों की थी, जिससे हम चढ़ावा करते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे तो बहुत से लोग जैसे हमारे भाई मोहन सिंह और भाई रियासत जी हैं उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती हैं । ऐसे स्थानों में जाकर कुछ बड़े लोगों ने इसलिये उसमें अपना शिकंजा जमा दिया हैं सिर्फ इसलिये कि किस तरह से उसको लूटा जाय । जैसा मैंने कहा कि जमींदारी उन्मूलन से उसकी आमदनी कम हो गई विदेशों से लोग वहां आते हैं जैसा कि नौटियाल जी ने कहा हमारे मुल्क से भी लोग वहां जाते हैं । पहले तो पैदल जाते थे और हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे वे वापस नहीं आते थे । आज हम लोग वहां गाड़ी से जा रहे हैं तो उसकी आमदनी पर सबकी नजर पड़ी हुई हैं ।

मान्यवर, ऐसे लोगों को उस कमेटी के अंदर रखा जाता जिनके मन में उसके प्रति आस्था होती, अपना पैसा खर्च करके उसकी देखभाल करते । लेकिन आज तो उनकी ही नजर चील और कौवों की तरह उसकी आमदनी पर लगी हुई हैं । इसीलिये मेरा आपसे और माननीय मंत्री जी से अनुरोध हैं कि यदि आपको सद्बुद्धि आ जाय तो उस कमेटी को आप भंग कर दें । क्योंकि इनमें अब कोई ताकत नहीं रह गई हैं । महामहिम राज्यपाल तो अब उसके अध्यक्ष नहीं हैं लेकिन उनके दामाद तो अभी भी हैं । इनमें बिल्कुल दम नहीं हैं कि उनको हटा दें । इन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा हैं जो चील और गरुड़ की नजर रखे हुए हैं । हमारे माननीय विद्या सागर नौटियाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी । मैं थोड़ी देर से आया था, पूरी बात न सुन सका । वहां दक्षिण भारत से पत्थर मंगाये जाते हैं । नौटियाल जी ने कहा कि 500 रुपये का एक पत्थर पड़ता हैं लेकिन मेरी जानकारी हैं कि वह पत्थर हजार, डेढ़ हजार का पड़ता हैं उसकी ढुलान आदि पर । जो प्रशासक वहां पर बैठे हुए हैं वे चाहते हैं कि कैसे हम इसको लूटें । इस देश का चरित्र खत्म हो गया, जब से यह सरकार बनी चरित्र के बजाय तो एक ही चीज रह गयी कि लूटो और खसोटो । वहां पर जो सम्पत्ति हैं, धन हैं लोगों ने जमा कर रखी हैं उसको किस तरह से खत्म किया जाय ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से और माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, आदि काल से जो चीज चली आ रही हैं केवल हमारे पहाड़ी लोगों की नहीं हैं बल्कि सारे विश्व के लोगों की

आस्था हैं और वे बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं। मेरा अनुरोध हैं कि इस कमेटी को भंग करें और वहां पर ऐसे लोगों को कुछ तो स्थानीय लोग हों और बाकी बाहर के लोगों को रखें जो चरित्रवान हों उनका चरित्र पहले से मालूम किया जाय तभी उनको वहां रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं और हमारे नेगी जी ने जो संकल्प रखा हैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आज जो संकल्प प्रस्तुत हैं निश्चित तौर से जो देश के अन्दर चार धाम हैं, बौद्धिक पीरियड से जो चले आ रहे हैं जगन्नाथ पुरी, बद्रीनाथ द्वारिकाधीश और रामेश्वरम् इनकी स्थापना इस देश के धर्म से सम्बन्ध रखती हैं और उनके पीछे पूरे मुल्क को एक यूनियन में रखना था उसका उद्देश्य यह था कि लोग इन चारों धामों में आस्था और श्रद्धा लेकर जायं और इस मुल्क के जोग्राफिया से वाकिफ हो जायं और उसका जो अपना विचार हैं उसमें पक्कापन आये। इसी को लेकर देश के चार कोनों में चार धाम रखे गये। देखने में यह आया हैं कि एक आदमी श्रद्धा और आस्था के साथ पूरा सफर तय करता हैं, लम्बा-लम्बा लेट कर छैं-छैं महीने लगाकर वहां पहुंचता हैं वह इसलिये कि वह भगवान से, खुदा से अल्लाह से डरता हैं और उस पर श्रद्धा रखते हुये वहां पहुंचता हैं और दर्शन करता हैं लेकिन दूसरी तरफ उसके मुतल्लिक कुछ लोगों ने इसको जरियाये आमदनी बना लिया हैं तो उसको देखकर दुख होता हैं यह बीमारी इस मुल्क में केवल सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि हम लोगों के यहां मुसलमानों में जो बड़े-बड़े ओहदे हैं वहां भी आदमी श्रद्धा के साथ जाता हैं लेकिन वहां पर लोगों ने उसे जरियाये आमदनी बना लिया हैं। इसीलिये यह सारी खराबियां पैदा होती हैं।

मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि किसी आदमी का अखलाक और चरित्र बनाना हैं तो उसे अपने धर्म से आस्था रखनी चाहिए और उससे उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। आज मुल्क से अखलाकी ताकत गिरती चली जा रही हैं उसका मुख्य रीजन चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हों या दूसरे धर्म के लोग हों उनकी धर्म से आस्था दूर होती जा रही हैं और उस का खुदा से भगवान से खौफ निकल गया हैं और अपने ही साये से डरना शुरू कर दिया हैं और शैतान हावी होता जा रहा हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि इन धार्मिक स्थानों में आस्था और विश्वास जगायेंगे तो हमारे चरित्र का निर्माण होगा, मुल्क की कुव्वत बढ़ेगी और जो समाज में बुराइयां आ गयी हैं वह कम होंगी।

इस चीज को ध्यान में रखकर दो बातों का सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ एक आदमी जो तीर्थ करने जा रहा हैं उससे दूसरे यात्रियों की अपेक्षा डेढ़ गुना ज्यादा किराया लिया जा रहा हैं। होना तो यह चाहिए था कि जो धर्म में आस्था लेकर अपने जिले से चल रहा हैं तो वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाय और एक कार्ड उसे मिलना चाहिए और सारी सुविधायें उसे फ्री मिलनी चाहिये। फ्री सुविधा जाने की मिलनी चाहिए आस्था को पूरा करने के लिये उससे कोई टैक्स और किराया नहीं

*क्वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया जाना चाहिये । चूंकि वह नेकी और भगवान के दर्शन के लिये चल रहा हैं, इसलिये यह ड्योढ़ा किराया न लगाया ।

मान्यवर, दूसरी चीज कि वहां प्रबंध ठीक हो । मुझे धामों में जाने का मौका नहीं मिला, इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं हैं । लेकिन बाला जी तिरुपति और विश्वनाथ जी में जाने का मौका मिला, वहां जो ट्रस्ट बने हैं उनके जरिये उसमें बड़े-बड़े काम, ठहरने का, पढ़ाई का वह प्रबंध करते हैं और उसमें सरकार का ज्यादा कंट्रोल नहीं हैं । इसलिये जितना इनमें कम से कम इंटरफिरेन्स हो वह अच्छा हैं, इसलिये ट्रस्ट की शकल में बनायें और निर्देश देने के लिये कुछ ऐसा हो कि जिससे उसके जरिये आमदनी की चीज न बनायें बल्कि जो वहां आस्था और आत्मा की शुद्धि के लिये जायें तो जो आप हम कर सकते हैं जिससे आत्मा की शुद्धि हो उसमें वह करना चाहिये बजाये वह वहां जाये और अपनी जेब लुटा कर आये, तो यह ठीक नही हैं, इसलिये जो इसमें बेसिक चैन्ज हो जिससे आत्मा की शुद्धि के लिये जो जाता हैं कठिनाई और तकलीफों को उठाता हैं उसमें उसको सुविधा हो चूंकि यहां कोई हमेशा नहीं रहने वाला हैं, हर चीज मिटने वाली हैं, इसलिये जो भगवान के दर्शन के लिये जाता हैं, उसकी लुटाई न हो और श्रद्धा में कमी न आये और वापस आये तो उसको विश्वास हो, इसलिये इन सभी चीजों के लिये बेसिक चैन्ज करना चाहिये । मैं आभारी हूं श्री कुंवर सिंह नेगी का जिन्होंने इस संकल्प को रखा । इसलिये सरकार इस पर विचार करे ।

श्री लोकमणि शर्मा—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय नेगी जी ने जो संकल्प रखा हैं उसमें बहुत चर्चा हो चुकी हैं । अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये कि ऐसे धार्मिक-स्थलों पर जो व्यवस्था होती हैं उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय । मान्यवर, धार्मिक व्यवस्था के माने में मेरे विचार भिन्न हैं । पहले तो चाहे, जो श्री रियासत हुसैन ने कहा हैं कि, नैतिक सुधार के लिये आवश्यक हैं कि वह नीतियों को समझें और उनके उपासक बनें । जहां तक धर्म का संबंध हैं मैं तो इस विचार का उपासक हूं कि सारे मानवों के धर्म एक हैं और उनमें भिन्नता नहीं हैं । जैसे हिन्दू धर्म में, रामायण में, कहते हैं कि—

धर्म न दूसर सत्य समाना,

आगम निगम पुरान बखाना ।

और इस्लाम में कहा हैं कि—

रास्ता सीधी सड़क हैं,

इसमें कोई खटका नहीं ।

और कोई रहबर आज तक इसराह में

भटका नहीं ।

इसलिये सच्चाई का मार्ग सबसे बड़ा धर्म हैं । मान्यवर, मनु जी ने भी धर्म के 10 लक्षण बताये हैं—

धृति क्षमा, दमो अस्त, शौच

इन्द्रिय निग्रह

धैर्य, विद्या, सत्यम् अक्रोधी,

दशकम धर्म लक्षणम् ।

तो इन 10 लक्षणों का जो अनुयायी हैं वह धर्मावलम्बी कहा जा सकता हैं । मान्यवर,

आज हम देख रहे हैं चाहे धार्मिक स्तर पर हो या राजनैतिक स्तर पर, दिखने को मिलता है, जिन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को बदला जाय, पुजारियों को और कर्मचारियों को बदला जाय चूंकि आय का शोषण करते हैं और कमेटी की जो व्यवस्था बनी है उसको बदल दिया जाये, तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आप किसको बनाओगे ? आखिर फिर किसको बनाओ । राजनीति में थानेदार बदलो, दूसरे को बदलो, तीसरे को बदलो । तो मेरा विचार यह है कि चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो पात्र में दोष हों तो उन दोषों को दूर करना सही मार्ग पर जाना है । सदियों की दासता में हमारा तन्त्र भ्रष्टाचारी हो गया है चाहे धार्मिक भ्रष्टाचार हो, चाहे राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, तन्त्र तो उसमें रंग गया है । जनतन्त्र में 36 वर्ष में इस देश के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो प्रदेश स्तर से ऊपर तक प्रदेश और देश के भाग्य का निर्माण करते हैं, उनके ऊपर निर्भर है । इस देश के शासन में, इस देश के धार्मिक स्थलों में जो दोष आ गया है उसको दूर करने का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर लें तो आये हुए दोषों के उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह देखा जाता है, यों तो हम माननीय अध्यक्ष की कुर्सी को अपना मस्तक झुकाते हैं, लेकिन यहां अनुशासनहीनता का तान्डव नृत्य करते हैं ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दिन यहां इस आदरणीय सदन में विपक्ष द्वारा जो कुछ किया गया, जो शोर शराबा हुआ, जो घोर अनुशासनहीनता हुई उस कुर्सी की और महामहिम राज्यपाल के प्रति जो असम्मान प्रदर्शित हुआ, जो हिंसा का खेल हुआ, उसको कदापि नहीं भुलाया जा सकता है और उन्हीं कुकृत्यों की बाद में माननीय विरोधी सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि की जाती है । मेरा तो निवेदन यह है कि उस व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा दोषों को दूर करने में सुधार आएगा अपने जरिये, अपने में और अपने अन्दर में सुधार लाए बिना उसका कोई सुधार सम्भव नहीं है । ऐसा करके ही हम समाज और शासन में सुधार ला सकते हैं ।

[समय 3 बजकर 21 मिनट]

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा तो यह दुर्भाग्य रहा है कि मैं बद्रीनाथ नहीं पहुंच सका हूं, यद्यपि पहाड़ पर बहुत जगह गया हूं । जो हमारे पवित्र तीर्थस्थान हैं और जो हमारे समाज को प्रेरणा देने वाले स्थल हैं, जिनमें लोगों की भावना और श्रद्धा निहित है, उनके दर्शन से मैं वंचित रहा, लेकिन हमारे क्षेत्र के हजारों यात्री हर वर्ष वहां जाते हैं । वहां जो व्यवस्था है, उससे हम यात्रियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं । सबसे पहले कठिनाई यह होती है, जब यहां लखनऊ से यात्री हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं तो उन्हें आवागमन की कठिनाई होती है और फिर वहां भी वह लुटते हैं । वहां पर आपकी कोई सरकारी बस नहीं है, जो यहां से सीधे यात्रियों को बद्रीनाथ तक, रास्ते में बिना रोके पहुंचा दे । वहां पर उनको प्राइवेट बसों में जाना पड़ता है, जिसका परिणाम यह है कि उनसे निर्धारित किराये से ज्यादा किराया वसूला जाता है, उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामान उसमें नहीं रखा जाता है और इसी तरह की अन्य कठिनाइयां होती हैं। मैं खुद गया हूं वह एक निश्चित टाइम पर नहीं, ई दिन में जाते हैं। तो पहले मंत्री जी अपनी परिवहन बसों की व्यवस्था करें और उसको ठीक करें। आप अपनी व्यवस्था तो ठीक कर जो कर सकते हैं वहां जो धार्मिक अव्यवस्था लोगों द्वारा पैदा की गई है उसके लिए तो भगवान उनको दण्ड दे देगा।

श्री अधिष्ठाता—

यहां पर धार्मिक अव्यवस्था की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

तो आप निगम की बसों की व्यवस्था इस तरह करें कि उनसे यात्रीगण सुविधा-पूर्वक वहां पहुंच सकें और जब यहां पहुंचने या यात्रा समय आये तो आप भारत सरकार को लिखकर स्पेशल ट्रेनों को चलवाने की व्यवस्था करें। क्योंकि जो पंडे यहां रहते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश तक तो यात्री चले आते हैं, वह वहां उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारा टिकट कटवा देंगे, लेकिन पता चलता है कि रुपया लेकर वह चले गये और यात्री बेचारे परेशान और ठगे पड़े रह जाते हैं। इसलिये निवेदन है कि आप नेगी साहब के संकल्प को मानकर चलें, जिससे यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में सुरक्षा की जा सके, उनके आने जाने के लिये बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा की जा सके और साथ ही उनकी लूट भी न हो तो प्रदेश सरकार द्वारा बस की व्यवस्था की जाये, स्पेशल ट्रेनें उस समय चलवाने की व्यवस्था की जाये और तीसरे यात्री लूटे न इसकी रोकथाम की पक्की व्यवस्था की जाय। इसके साथ मैं प्रस्तुत संकल्प को समर्थन करता हूं और मंत्री जी को कहीं दण्ड न मिल जाय इसलिये वह इस व्यवस्था को शीघ्र करने की कृपा करें। वह इस संकल्प को स्वीकार कर लें।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आमूलचूल परिवर्तन जिसकी इसमें बात की गयी है, यह शब्द बड़ा व्यापक है। माननीय सदस्य जी भी बोले हैं उन्होंने जो कुछ सुझाव दिये हैं उसमें सुधार के लिये, कुछ ने समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाये जाने के लिये, कुछ ने कार्य व्यवस्था को और अच्छी बनाने के लिये इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा जो अधिनियम इसके लिये 1939 का बना हुआ है उसी के अधीन यह सारी व्यवस्था चली आ रही है। 45 वर्ष हो गये इस व्यवस्था को चलते हुए। जो कमेटी है उसमें इस विधान सभा के भी माननीय सदस्य हैं, विधान परिषद् के भी माननीय सदस्य हैं और भी प्रतिनिधि हैं। खास तौर से माननीय सदय जो अभी बोले हैं माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी, वे भी उसके सदस्य हैं, चन्द्रबली जी हैं, कर्दम जी हैं, विधान परिषद् के माननीय नागेन्द्र जी हैं और जहां ऐसे लोग हों तो सुधार अवश्य होगा, जो कमियां होंगी वह दूर होगी।

माननीय बाजपेयी जी ने यह कहा कि कमेटी की मीटिंग नहीं होती है और उस ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कुछ और कमियां बतायीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मीटिंग शीघ्र ही आयोजित की जा रही है और इस बात की पूरी चेष्टा की जायेगी कि जो कमियां

माननीय सदस्यों ने बतायी हैं उनको दूर किया जाये ।

माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो अलग-अलग यात्रियों से अलग रेट वाली बात कही थी, तो यह स्थानीय समितियों के लोगों ने जो गाड़ियां चलायी थीं जहां तक मुझे स्मरण हैं उसके अनुसार उन्होंने एक प्रत्यावेदन यह दिया था कि जब मेला रेट और जगह दिया जाता हैं तो हमको भी दिया जाये और उस वक्त शायद उनको उसकी इजाजत मिल गयी थी, बाद को वह खत्म हो गयी । मान्यवर, माता प्रसाद जी ने जो कहा हैं उस संबंध में मुझे यह कहना हैं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम इस कार्य को करता हैं बद्रीनाथ तक यात्रियों को ले जाने का और उनकी बसों की जो व्यवस्था हैं उससे काफी संतोष भी हैं । यह भी यहां पर कहा गया कि आंध्र प्रदेश से पत्थर आया जो नहीं आना चाहिये, तो मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश से जो पत्थर बद्रीनाथ के लिये आ रहा हैं वह शासन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति की निर्धारित सिफारिशों के आधार पर आ रहा हैं । तराशा हुआ पत्थर वहां पर आता हैं ।

जहां तक श्री रामचन्द्रन जी के संबंध में कहा गया हैं तो उन्होंने इस काम में दिलचस्पी ली हैं और करीब 5 लाख रुपया उनकी कोशिश पर आंध्र सरकार ने बद्रीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये दिया हैं । तो कुल मिलाकर मैं माननीय सदस्यों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि जो कमियां और जो बातें इंगित की गयी हैं उनमें सुधार करने का शासन पूरा प्रयास करेगा और मुझे यह भी विश्वास हैं कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जो हैं वह मिलेंगे भी, परामर्श भी हमसे करेंगे और मीटिंग समय से आयोजित होगी और जो सुधार करने की आवश्यकता हैं वह जरूर किये जायेंगे । लेकिन जो व्यवस्था हैं 1939 के अधिनियम के अंतर्गत उसमें मूल रूप से कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

(श्री कुंवर सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप में अपनी बात रखेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प के बारे में अपने महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिये हैं । मान्यवर, दोनों तरफ से कहा गया कि यह जो वर्तमान व्यवस्था हैं वह बहुत ही दोषपूर्ण हैं । माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी जो सत्ता-पक्ष के हैं और वर्तमान में इस मंदिर समिति के माननीय सदस्य भी हैं, उन्होंने भी यह मत व्यक्त किया हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था मंदिर समिति की हैं वह बिल्कुल दोषपूर्ण हैं और उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होना आवश्यक हैं । मान्यवर, यहां पर तिरुपति बालाजी का जिक्र किया गया हैं कि वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था हैं और जो आय होती हैं उससे समाज सेवी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों अस्पतालों को अनुदान मिलता हैं । दक्षिण में जो छोटे छोटे मन्दिर हैं जिनकी आय नहीं हैं तो बाला जी की आय का 10 प्रतिशत

भाग इन मन्दिरों की देख-रेख के लिये खर्च किया जाता है।

मान्यवर, इस बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में क्या होता है, जिन मंदिरों की आय कुछ नहीं है और जो जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं उनको यह समिति अपने अधिकार में नहीं लेती है। उर्गम एक जगह है। उर्गम में पंच केदार में से एक केदार का मंदिर है और पंच बद्री में से एक बद्री का मन्दिर है। वहां पर विश्वकर्मा का भी मन्दिर है बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति जो है उसमें पंच बद्री में से जो एक बद्री का मंदिर है उसको तो ले लिया है लेकिन पंच केदार में से जो एक केदार का मन्दिर है उसको नहीं लिया है तथा विश्वकर्मा का जो मंदिर है उसको भी नहीं लिया है इसी तरह से हेम कुंड साहिब में जो एक तरफ विशाल गुरुद्वारा बन गया है लेकिन दूसरी तरफ किनारे पर जो लक्ष्मण जी का बहुत पुराना मंदिर है और अनादिकाल से चला आ रहा है उस मंदिर को भी कमेटी लेने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से नारायण कोटि में बहुत से मन्दिर हैं लेकिन उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह जो मंदिर समिति है यह एक व्यवसायिक संस्था बन गयी है सभी ने यहां पर कहा है कि घोर भ्रष्टाचार इस समिति में है। माननीय मंत्री जी ने 1939 का जो अधिनियम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। मान्यवर, उस समय सरकार दो सदस्यों को नामिनेट करती थी लेकिन आज 5 सदस्यों को कर रही है तो यह संविधान के खिलाफ भी आप जा रहे हैं। संविधान में है कि, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप धार्मिक मामलों में होना चाहिये। लेकिन आपने जो इसका सरकारी करण कर दिया है और संविधान की भावना के विपरीत आपने कार्य किया है।

सनातन धर्म के जो मंदिर हैं वहां आप अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह है यहां पर आम राय है कि तिरुपति बालाजी की प्रबंध व्यवस्था अच्छी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिये न्यास बनाया गया है और उसमें सुधार किया गया है। मान्यवर, वहां पर कभी टिहरी महाराज के नियंत्रण में व्यवस्था रही है कभी शंकर सम्प्रदाय और कभी रावलों की व्यवस्था रही है। आप जनभावना को देखते हुये इसके प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि एक सदन के सदस्यों की समिति बनायें जो हमारे देश में इस किस्म के जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी व्यवस्था का वह अध्ययन करे और सरकार को उसके बारे में राय दे कि वर्तमान मंदिर समिति की जो व्यवस्था है उससे बढ़िया व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसके लिये एक समिति गठित की जाय।

तो मेरा यही अनुरोध है कि इसको इस दृष्टि से न देखें कि यह विपक्ष के विधायक द्वारा रखा गया है और आम राय सदन की है, तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध यह है कि यदि इससे भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है, इसके अध्ययन के लिए इसकी जानकारी के लिए, तो यहां के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनायें, जो इसका अध्ययन करे और सुझाव दे सरकार को कि इससे भी कोई बढ़िया चीज बन सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आपको इसके संबंध में कुछ कहना है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, दोनों सदनों के सदस्य खुद ही समिति में मौजूद हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

यह तो सदन की एक राय है, इसको माननीय मंत्री जी को मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री अधिष्ठाता—

राय का इजहार मत से होगा । अभी मत हो जाता है । अभी राय का पता चल जाता है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, हरिजनों को उसमें आने ही नहीं देते हैं । उनसे छूत मानते हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये ।

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के पुनः खड़े होकर बोलते रहने पर)

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिये यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चित राय का है कि उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि मन्दिरों की उचित व्यवस्था हेतु उनकी मौजूदा प्रबन्ध व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध एक स्वायत्तशासी संस्था को सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने तथा शिक्षकों की शैक्षिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त कर प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध एक स्वायत्तशासी संस्था को तत्काल सुपुर्द कर दिया जाय ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मानव के जीवन में शिक्षा उसके विकास के लिये सबसे बड़ा एक साधन है और आज देश को आजाद हुए 36 वर्ष हो गये लेकिन जितना असंतोष हमारी शिक्षा में है, उतना हम कहीं नहीं देख रहे हैं । हमारे छोटे अधिकारी से लेकर छोटे जन प्रतिनिधि से लेकर हमारी प्रधान मंत्री तक ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है और शान्ति निकेतन के एक दीक्षान्त समारोह में गोरखपुर में और दिल्ली में एक बुद्धिजीवियों की बौद्धिक गोष्ठी में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि आजादी के बाद हमें तुरन्त शिक्षा में परिवर्तन कर

दैना चाहिए था। और जो सबसे बड़ी गल्ती हुई वह यही हुयी कि शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। शिक्षा की लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी शासन में जो पद्धति शुरु की थी अंग्रेजी शासकों को क्लर्क एवं छोटे छोटे अधिकारी राज्य चलाने के लिये मिल जायं वही शिक्षा प्रणाली इस देश के अन्दर आज भी प्रचलित है। मान्यवर, शिक्षकों और प्रबन्धकों का रिस्ता कुछ ऐसा रहा। कि प्रबन्धक लोग शिक्षकों को शिक्षक न समझकर अपना नौकर मानने लगे। सन 1956 के बाद माध्यमिक संगठन के माध्यम से उनका संगठन मजबूत हुआ और शिक्षकों ने अपनी मुक्ति के लिये व अधिकारों के लिये प्रबन्धतन्त्र से संघर्ष किया। इस संघर्ष से छात्रों का अहित हुआ और वह आज भी शिक्षा जगत में हो रहा है।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

कोरम पूरा नही है, चर्चा कैसे हो रही है ?

श्री धरमपाल—

मान्यवर, इसी पीठ से रुलिंग हो चुकी है कि लाबी भी सदन का पार्ट है।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं, मैं इससे पूर्व रुलिंग पढ़ चुका हूं। घंटी बजायी जाय।

(कोरम हेतु घण्टी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, कल जिला परिषदों के बारे में बातचीत हो रही थी तो माननीय सदस्यों की यह आम राय थी जब बेसिक शिक्षा जनप्रतिनिधि के हाथ में थी तब ठीक थी जब अधिकारियों के हाथ में चली गई तो उसकी दुर्दशा हो रही है यह सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया तो यह सुझाव मेरा है कि सरकार ने सारी व्यवस्था प्रबन्धक तन्त्र से अपने हाथ में ले ली है। अब सरकार अपने खजाने में फीस जमा करती है पूरा वेतन सरकार देती है मान्यता सरकार देती है कौन से विषय में मान्यता मिलनी चाहिए वह सरकार देती है। कुल थोड़ा सा कार्य प्रबन्धक तन्त्र में रह गया है तो वह कोई कार्यवाही न अध्यापक के बारे में कर पाते हैं न अध्यापक बात मानते हैं।

जितने जिला परिषद् हैं वह वहां दिखाई पड़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि जैसा अमेरिका में व्यवस्था है वहां प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कोआपरेशन है और जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व रहता है और स्वायत्त शासी संस्थायें हैं वह चलती है। जिस तरह से जिला परिषद के जमाने में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी वह ठीक थी हम चाहते हैं टाउन एरिया जो हैं वह अपना कार्य देखे उसमें जनप्रतिनिधि होंगे। सिक्ख होंगे। जिला परिषद् हमारे पूरे जिले की व्यवस्था देखे। नगरपालिकायें नगर की व्यवस्था देखे। और पूरे प्रदेश के स्तर पर बोर्ड बना दिया जाय जहां शिक्षक हों अध्यापक के प्रतिनिधि हों वहां उसकी व्यवस्था चलायी जाए।

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षिप्त कहिए।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। मैं इसी में सबके विचार आमंत्रित करता हूं

शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। अशान्ति समाप्त होगी ऐसी अपेक्षा करता हूं

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी का उत्तर कर दिया जाता क्योंकि आज अन्तिम तिथि हैं लोग जाना चाहते हैं उसके बाद गैर असरकारी प्रस्ताव हैं उस पर चर्चा बाद में होती रहेगी। क्योंकि आज के बाद चार दिन का होली का अवकाश हो रहा हैं और सभी माननीय सदस्य इसमें रुचि रख रहे हैं तो माननीय मंत्री जी कह दें।

डा0 बृजकिशोर मिश्र—

माननीय मोहन सिंह जी की बात से सहमत हैं।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुनीता चौहान)—

मान्यवर आज जो यह सरदार सिंह जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं उसमें सरकार का ध्यान किसी तरह से चाहे बद्रीनाथ मन्दिर का मामला रहा हो उन नीतियों की तरफ प्रतिपक्ष का ध्यान दिलाने की बात रहती हैं जिनमें प्रदेश का भला निहित हो। यह सही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मान्यवर, आमूल चूल परिवर्तन किस प्रकार का हो, शिक्षा जगत में, यह बात बहुत बार कही गयी हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात की बड़ी चिंता के साथ कहा हैं। जब-जब समस्यायें आयी हैं, तब तब कुछ न कुछ परिवर्तन प्रतिपक्ष के विचारों को लेते हुए और आवश्यकता को देखते हुए किये गये।

अभी सन 1973 में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें विधान परिषद और विधान सभा के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व था और यह मानकर किया गया था कि जन भावनाओं के आधार पर शिक्षा जगत में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें छात्रों और अभिभावकों का हित निहित हो। मान्यवर, उस समिति ने जो राष्ट्रीयकरण की बात आज कही जाती हैं, उस समिति ने भी कहा था सन 1973 में कि इसमें 25 करोड़ से ऊपर का धन व्यय होना हैं, इसलिये इस तरह का प्रस्ताव हम इस समिति के द्वारा नहीं ला सकते। मान्यवर, उसके पश्चात हमारे शिक्षा संवा आयोग का गठन हुआ। उसका गठन इसलिये किया गया कि उसमें अध्यापकों और अभिभावकों सभी का हित निहित हो। इस प्रकार जब आयोग का गठन हो जाता हैं तो यह आवश्यक नहीं हैं कि हमारे प्रस्ताव के ऊपर किसी और संस्था का गठन किया जाय।

मान्यवर, यह आवश्यक हैं और सरकार की यह जिम्मेदारी होती हैं कि सभी लोगों का जो हित हो उसको सरकार देखे, वहीं हमारे शिक्षक समुदाय की जिम्मेदारी होती हैं कि हमारे यहां जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें छात्रों और अभिभावकों का किस प्रकार हित हो उसका ध्यान रखें। मान्यवर, इन्हीं सब चीजों को साथ लेकर यह प्रस्ताव आता हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो और सरकार कुछ कदम उठाने पर विचार अवश्य करें। मान्यवर, मैं समझती हूं कि इस पर जो विचार व्यक्त किये गये, माननीय सदस्य जी द्वारा, उस पर बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं हैं। मान्यवर, मैंने ये दो चार शब्द जो सरकार की तरफ से कहने थे और जो प्रदेश के हित में थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह दिये । श्री सरदार सिंह जी से अनुरोध हैं कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें कोई दम नहीं हैं और वह कोई बात नहीं कह पायी हैं । मेरा साफ कहना हैं कि आज का जो प्रबन्ध तंत्र हैं और शिक्षा व्यवस्था हैं, वह भ्रष्टाचार, जातिवाद और साम्प्रदायिकता का अड्डा बना हुआ हैं, इसलिये मेरा जो निवेदन हैं, उसको माननीय मंत्री जी मानें और मैं भी चाहता हूं कि जिस प्रकार एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 के चुनाव होते हैं, हर पांचवें साल चुनाव होते हैं, देश में जो समाजवादी व्यवस्था होती हैं, उसी तरह इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के भी हों । माननीय मंत्री जी के उत्तर में कोई दम नहीं हैं, इसलिये मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि उसको स्वीकार कर लें ।

श्रीमती सुनीता चौहान—

मान्यवर, मुझे और कुछ नहीं कहना हैं । मान्यवर, जो इण्टरमीडिएट संशोधन विधेयक आया उसमें आपकी भावनायें निहित हैं और जो प्रशासकीय योजना बनायी गयी हैं, उसी के तहत माननीय सदस्य की भावनाएं हैं । मुझे और कुछ नहीं कहना हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सरदार सिंह जी, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री सरदार सिंह—

जी नहीं

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह हैं कि इस सदन का निश्चित मत हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने तथा शिक्षकों को शैक्षिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त कर, प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध एक स्वायत्तशासी संस्था को तत्काल सुपुर्द कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(श्री राम आसरे वर्मा जी का नाम पुकारा गया किन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांट कर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग के संबंध में संकल्प

श्री मोहन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रशासकीय इकाई आकार में बृहद हैं । इसलिये यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता हैं कि वह प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांटकर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में किये जाने की कार्यवाही करें ।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से भाषण इस पर दूसरे दिन दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में कुछ कह दीजिए ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, भाषण दूसरे दिन दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

भाषण जारी रहेगा।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट जी का नाम पुकारा गया किन्तु वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के तहत मुझे 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से श्री राम गोविन्द और अकबर हुसैन जी की सूचना जो ग्राम चील्लया थाना महाजनपुर जनपद इलाहाबाद में एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार करके हत्या किये जाने के संबंध में है, को स्वीकार किया है। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

प्रदेश में ओला वृष्ट से हुऋ जन-धन की क्षति के संबंध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

[माननीय विधायक श्री सरदार सिंह ने सूचना दी है कि हमीरपुर, उन्नाव, फैजाबाद बाराबंकी, बरेली, बांदा, आदि जिलों में ओलावृष्टि के कारण भारी क्षति पहुंची है। माननीय विधायक श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने सूचना दी है कि दिनांक 17/18-2-84 को प्रदेश में तथा विशेष कर बुन्देलखंड क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं वर्षा से रबी की फसल नष्ट हो गई।

2—इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि ओलावृष्टि से हुई हानि के संबंध में शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से सूचना मांगी गई। उपरोक्त जिलों के जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त जिलों में माह फरवरी, 1984 में ओलावृष्टि से हुई हानि की स्थिति निम्न प्रकार है—

हमीरपुर—

इस जिले में दिनांक 1-2-84, 16-2-84 तथा 17-2-84 को ओलावृष्टि हुई जिसके कारण जिले के 186 ग्राम प्रभावित हुए। लगभग 22,067 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें से लगभग 17,720 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्र है। फसलों को 10 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हानि पहुंची जिससे अनुमानित 73,91,850 रु0 की क्षति हुई। ओला वृष्टि से 6 पशुओं की मृत्यु हुई। कोई जन हानि नहीं हुई। मकानों को भी कोई क्षति नहीं पहुंची।

उन्नाव—

इस जिले की तहसील सफीपुर में दिनांक 17-2-84 को हल्की वर्षा के साथ मामूली ओलावृष्टि हुई थी जिसके कारण परगना बांगरमऊ के 15 ग्राम प्रभावित हुए। उक्त ग्रामों में रबी की खड़ी फसलों को लगभग 2 प्रतिशत क्षति हुई, जिससे 5,000 रुपये की क्षति का अनुमान है। कोई पशु या जन हानि नहीं हुई। जिले की अन्य किसी तहसील में ओलावृष्टि से कोई हानि नहीं हुई।

फैजाबाद—

इस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 18-2-84 से 20-2-84 के बीच ओलावृष्टि हुई जिसके कारण जिले के 447 ग्रामों का 29,458 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुआ । रबी की खड़ी फसलों को 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हानि पहुंची । कुल 2,33,00,000 रु0 की क्षति का अनुमान है । कोई पशु या जन हानि नहीं हुई ।

बाराबंकी—

इस जिले में दिनांक 17-2-84 से 19-2-84 के बीच ओलावृष्टि हुई तथा हल्की वर्षा भी हुई । ओलावृष्टि से जिले के 161 ग्राम तथा 44,712 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ । फसलों को 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक क्षति पहुंची ।

बरेली—

इस जिले में 18-2-84 से 20-2-84 के बीच ओलावृष्टि एवं वर्षा हुई । ओलावृष्टि से जनपद के 66 ग्राम प्रभावित हुए । लगभग 27,612 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें से 12,975 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्र हैं । फसलों को अनुमानित हानि 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक पहुंची तथा 25 लाख रु0 की क्षति का अनुमान है । 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले ग्रामों की संख्या 9 तथा कृषिगत क्षेत्र 1745 हेक्टेयर है । इस जिले की तहसील बहेड़ी ओलावृष्टि से मुख्य रूप से प्रभावित हुई है । वर्षा से इस जिले की केवल तहसील फरीदपुर प्रभावित हुई जिसमें पोस्ते की फसल को 10 प्रतिशत तक हानि पहुंची जिसके कारण लगभग 4,750 रु0 की क्षति पहुंची ।

बांदा—

इस जिले में दिनांक 17-2-84 से 21-2-84 के बीच ओलावृष्टि एवं वर्षा हुई जिसके कारण 374 ग्राम प्रभावित हुए । लगभग 44,498 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ । फसलों को 10 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हानि पहुंची जिससे लगभग 2,25,00,000 रु0 की क्षति का अनुमान है । ओलावृष्टि एवं वर्षा से कोई मनुष्य या पशु जीवन हानि नहीं हुई । जिले की तहसील मऊ में एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हो गई थी । मृतक के परिवार को 1000 रु0 अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

झांसी—

इस जिले में दिनांक 17-2-84 को ओलावृष्टि हुई जिसके कारण 119 ग्राम प्रभावित हुए जिसमें से 59 ग्राम तहसील मोठ के हैं तथा 60 ग्राम तहसील गरौठा के हैं । तहसील गरौठा में फसलों को लगभग 10 प्रतिशत तथा तहसील मोठ के उक्त 59 ग्रामों में से 3 ग्रामों में फसलों को 100 प्रतिशत, 11 ग्रामों में 80 प्रतिशत, 10 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तथा 35 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम हानि पहुंची । 19,665 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्र प्रभावित हुआ है । फसलों को लगभग 1,73,00,000 रु0 की क्षति का अनुमान है । 17 पशुओं की हानि हुई तथा 322 कच्चे मकानों के खपरैल क्षतिग्रस्त हुए । कोई जन हानि नहीं हुई ।

ललितपुर—

इस जिले में दिनांक 17/18-2-84 को ओलावृष्टि एवं वर्षा से 5 ग्रामों के 135 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को 10 प्रतिशत हानि हुई जिसका अनुमानित मूल्य 20,000 रु0 है ।

जालौन—

इस जिले में दिनांक 17-2-84 को ओलावृष्टि हुई जिसके कारण 14 ग्राम

प्रभावित हुए । लगभग 137 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्र प्रभावित हुआ । फसलों को लगभग 10 प्रतिशत क्षति पहुंची जिससे लगभग 14,000 रु0 की हानि का अनुमान है । कोई जन या पशु हानि नहीं हुई । मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

3—शासन को अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 41 जिले माह फरवरी में ओलावृष्टि से प्रभावित हुए । उक्त जिले में ओलावृष्टि की तिथि, प्रभावित ग्रामों की संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र इत्यादि का विवरण संलग्न तालिका-1 में दिया हुआ है ।

4—इसके अतिरिक्त माह दिसम्बर 1983/जनवरी, 1984 मे भी प्रदेश के 24 जिले ओलावृष्टि से प्रभावित हुए थे जिनका विवरण संलग्न तालिका-2 में दिया है ।

5—ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत देने हेतु शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों का ध्यान जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 292 की ओर इस आशय से आकर्षित किया गया है कि वे अपने जिले में ओलावृष्टि से हुई हानि को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं अपने अधिकार से नियमानुसार कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दें । जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यकतानुसार अन्य राहत कार्य भी किये जायं । दैवी आपदाओं में राहत कार्य हेतु शासन द्वारा प्रदेश के जिलाधिकारियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 1983-84 में विभिन्न मदों में निम्नलिखित धनराशि आवंटित है जिसका उपयोग जिलाधिकारियों द्वारा वर्तमान आपदा में पीड़ित लोगों की सहायता देने में किया जा सकता है—

मद	रु0 (लाख में)
निःशुल्क सहायता को अनाज वितरण	532.80
असहाय व्यक्तियों	64.58
अनुग्रह अनुदान	10.28
गृह अनुदान	700.20
कार्यालय व्यय	20.83
योग—	1328.69

सहायता कार्य हेतु जिलाधिकारियों की मांग पर शासन द्वारा अतिरिक्त धन के आवंटन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

6—50 प्रतिशत या उससे अधिक हानि वाले क्षेत्रों में जिला स्तर पर भू-राजस्व आदि में छूट देने के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं, जो आयुक्त/राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है । रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 174 में दिये गये प्राविधान के अनुसार रबी की फसलों के संबंध में ऐसे प्रस्तावों के भेजे जाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है ।]

(तालिकाओं के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 151 पर) ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे जनपद रामपुर में 18 व 19 फरवरी को ओलावृष्टि हुई, हजारों किसान तबाह हो गये, लेकिन अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया । इसी प्रकार से 23 व 24

सितंबर को बाढ़ आयी थी। 319 गांवों में से 282 गांव क्षतिग्रस्त हो गये हैं, लेकिन अभी तक उनको पूर्ण रूप से राहत नहीं पहुंचाई गयी है।

मेरा यह निवेदन है कि हमारे मामों में . . .

श्री अधिष्टाता—

माननीय बलबीर सिंह जी इसमें कोई भाषण की बात नहीं है। आप सदन की भावना के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई बात, कोई छोटा सवाल, स्पष्टीकरण के रूप में पूछना चाहें, तो मैं उसकी आज्ञा देता हूं।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रामपुर में जो ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त इलाके हो चुके हैं, उनका सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि वहां राहत कार्य अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं, तो इसका कारण क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, वक्तव्य जो सदन के समक्ष रखा गया है, उसकी बाबत मुझे यह कहना है कि उस समय कुछ जनपदों के बारे में ही पूछा गया था, जिसका कि उल्लेख उसमें किया गया है। लेकिन, हमने अपने प्रदेश के सभी जनपदों की एक सूची प्रस्तुत कर दी है। उसको माननीय सदस्य देखें। फरवरी के महीने की जो सूची दी है, उसमें 16वें नम्बर पर रामपुर है। रामपुर में 18 और 20 फरवरी को ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई और करीब 200 गांव प्रभावित हुए। इसमें जो नुकसान है, वह 10 से 80 प्रतिशत तक हुआ है और एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये की धनराशि वहां राहत कार्यों के लिये आवंटित की गयी है और जिलाधिकारी अगर वहां से कोई मांग पेश करेंगे, तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह—

मेरा निश्चित मत है कि माननीय मंत्री जी ने जो यह सदन में कथन किया है कि एक करोड़ छत्तीस लाख वहां वितरित किया गया है, यह सत्य से परे है और सदन को इस तरह से धोखा दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न कीजिए आपकी राय जो है, वह प्रश्न के ऊपर हो। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि जो यह सदन को आपने अवगत कराया है कि 1 करोड़ 36 लाख रु0 वितरित कर चुके हैं, यह सत्य से परे हैं। यदि हां, तो क्यों? वह यह जानना चाह रहे हैं।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने जो अभी कहा, मान्यवर, पहले तो जरा एक गल्ती कर गया, उसको सही करना चाहता हूं कि एक करोड़ छत्तीस लाख की धनराशि नहीं दी गयी है, बल्कि एक करोड़ छत्तीस लाख की हानि हुई है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें जिलाधिकारी को, जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम है, उसका नियम 292-कुछ है, उसके आधार पर, यह अधिकार है कि वह तीन महीने तक लगान की वसूली रोक सकते हैं और जो राहत के कार्य हैं, उन कार्यों को वे करा सकते हैं और अगर उसको धन की और

आवश्यकता हैं, तो वह शासन को अपना पस्ताव भेज सकते हैं ।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, एक सवाल और करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । और भी माननीय सदस्य सवाल करना चाह रहे हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो आपने विवरण दिया हैं, उसमें गोरखपुर से जो संबंधित हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसी भी सूची हैं, जिससे आप बता सकें कि गोरखपुर से संबंधित कौन-कौन गांव इन ओलों से प्रभावित हुए हैं ? क्योंकि मान्यवर, यह जो सूचना आयी हैं, यह बहुत ही कम और बहुत जल्दी में आयी होगी और इस तरह से बहुत से गांव छूट गये होंगे, जो प्रभावित हैं, तो क्या बता सकेंगे कि वे कौन-कौन से गांव हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो मैंने सूची प्रास्तुत की हैं, उसको आप देखें उसमें गोरखपुर भी शामिल हैं ।

श्री शेर बहादुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अकबरपुर फैजाबाद में ओला वृष्टि से तमाम गांवों में भीषण नुकसान हुआ हैं । क्या माननीय मंत्री जी अकबरपुर तहसील के काश्तकारों की वसूली बन्द करायेंगे एवं उनको सहायता पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपने सूची देख ली हैं उसमें फैजाबाद का नाम हैं ?

श्री शेर बहादुर—

जी हां, हैं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अगर जिलाधिकारी वहां से यह संस्तुति कर देंगे कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई हैं और 50प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हैं, तो जिलाधिकारी को यह अधिकार स्वयं ही प्राप्त हैं कि वह उसके मुताबिक कार्यवाही करें ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, चूंकि लगातार दैवी आपदायें आ रही हैं, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि या अनावृष्टि के द्वारा . . .

(व्यवधान)

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—

मान्यवर, कोरम तो हैं नहीं और चर्चा हो रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम के लिये घंटी बजायी जाय ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

(कोरम की घण्टी 5 मिनट लगातार बजते रहने और कोरम पूरा न होने पर) ।

श्री अध्यक्ष—

टीक है, बार-बार कोशिश करने के बाद भी सदन का कोरम नहीं होने पा रहा है, इसलिये अब हम उठते हैं और मंगलवार 20 मार्च 1984 को पूर्वाह्न 11-00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 10 मिनट पर मंगलवार, 20 मार्च, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
15 मार्च, 1984

नत्थी "क"

(दीखय अतारांकित प्रश्न सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

दिनांक 1-6-83 से 15-10-83 तक वितरित सीमेंट की सूची विकास क्षेत्र—भाटपार-रानी (देवरिया)

वितरित सीमेन्ट का ब्यौरा

क्रमांक	परमिट धारक का नाम	ग्राम दीगयी बोरियों की संख्या		क्रमांक	परमिट धारक का नाम	ग्राम दीगयी बोरियों की संख्या	
1.	रविन्दर लाल श्रीवास्तव	खानपार	2	27.	विष्णु मोहन	धनराज छापर	20
2.	डोमा प्रसाद	जमुनियाडीह	19	28.	जोगेन्द्र पाठक	धवरकन	15
3.	कतवारू पांडे	मधउर	15	29.	चन्द्रेश्वर तिवारी	वरडीहा	6
4.	दीनानाथ तिवारी	जोगउर	15	30.	शिवदेवी	डीकमपार	15
5.	हरेश्वर नाथ तिवारी	बेलपार	15	31.	आद्या प्र0 पाण्डेय	बेलपार	10
6.	रामेन्द्र मिश्र	रूचापार	20	32.	गोरख पाण्डेय	मधउर	10
7.	जोगेन्द्र मिश्र	भिन्डा	10	33.	सुनील कुमार	सरया	6
8.	भागवत दास	घेलहीमठ	8	34	बृजेश्वर सिंह	,,	5
9.	नीगना मिश्र	जोगउर	15	35.	लखीचन्द्र	वहिपारी	5
10.	ठाकुर मिश्र	चेड़ापाकड़	15	36.	गनपतराम	जगन्नाथ छपरा	20
11.	कैधुर	पकड़ी	10	37.	सहदेव	बेलपार	19
12.	परमानन्द	मिस्का साक	8	38.	इन्द्रासन	करौंरा	5
13.	हरहंगी	,,	8	39.	नन्दगोपाल	नरायनपुर	5
14.	भगवान	पिपरहिया	8	40.	चन्द्रदेव	ततापर	5
15.	रमाशंकर राय	जयतपुरा	15	41.	मंदा नरायनपुर	नरायनपुर	8
16.	राम सेवक	माड़ीपुर	5	42.	विद्या सिंह	भिंगारी	8
17.	रामेश्वर लाल	अंगवारिया	6	43.	रामउदार सिंह	पकड़ी	10
18.	कृष्ण कुमार शाही	पकड़ी	20	44.	अक्षैबर राम	जैतपुरा	8
19.	जगन्नाथ प्रसाद	बेलपार	15	45.	तेजबहादुर सिंह	भाथाब्लाक	7
20.	शंकर	पकड़ी	2	46.	झगरू सिंह	फुलवरिया	8
21.	विजय कुमार पाण्डेय	कठधरा	15	47.	राजब्ललभ सिंह		5
22.	नागेन्द्र सिंह	प0 बघेल	20	48.	भागू	जासपार	8
23.	विद्याधर पांडे	मधउर	10	49.	बिहारी	,,	6
24.	गनेश सिंह	प0 बघेल	20	50.	मीनराम	,,	5
25.	परमंस सिंह	पकड़ी	6	51.	रामजी	,,	8
26.	परशुराम सिंह	,,	5	52.	बाबूराम	,,	8
				53.	काशी	,,	8

क्रमांक	परीमट धारक का नाम	ग्राम	दी गयी बोरियों की संख्या
54.	रामचन्द्र तिवारी	पिपरहिया	8
55.	गोरखनाथ तिवारी	पड़रीडमन	20
56.	मकछेद तिवारी	पिपरहिया	8
57.	दिनेश कुमार पांडे	बेलपार	12
58.	विद्यासागर पांडे	अन्जान	40
59.	भागीरथी	पुरैना	8
60.	राम सुभग	टिकमपार	7
61.	हबीब	विशुनपुरा	7
62.	सत्यसूदन सिंह	खामपार	8
63.	सूर्यवली यादव	जैदपुरा	7
64.	गिरधारी	,,	8
65.	मुख्तार अहमद	नि0 पैकौली	6
66.	रामजी	मेहरौना	8
67.	ध्रुव देव सिंह	बेलही	6
68.	सुदामा सिंह	,,	7
69.	श्रीराम	,,	8
70.	रामगृहरोय	चौ0 छापर	8
71.	जानकी प्रसाद	जैतपुरा	7
72.	जगदीश बेलही	बेलही	6
73.	सूर्यनाथ सिंह	प0 बघेल	8
74	राजबहादुर सिंह	नि0 पैकौली	8
75.	मुनेश्वर यादव	,,	6
76.	रामबचन यादव	,,	6
77.	सोनारी	आ0 तिवारी	6
78.	भृगुराशन	,,	6
79.	अवधु	जसुई	6
80.	सोमारी	नरौली	7
81.	प्रधान ग्रामसभा	नोनाड़	6
82.	विन्ध्याचल	बेलपार	19
83.	निर्मल	केहुनिया	5
84	गनी	,,	5
85.	भैरो सिंह	पकड़ी	8
86.	मुन्नी लाल	तातापर	5
87.	वकुला सिंह	खामपार	8
88.	रविन्दर कुंवर	बेतुही	4
89.	सदानन्द पांडे	मधउर	13
90.	नागेन्द्र सिंह	ब0 बघेल	10
91.	जगमंगल सिंह	,,	8
92.	विजय नाथ त्रिपाठी	मठवा तिवारी	10
93.	शिवबालक त्रिपाठी	खामपार	10
94.	दिनेश कुमार	बेलपार	15
95.	तेजबहादुर सिंह	भाटपार ब्लाक	6
96.	डी0 पी0 गुप्ता	मलकौली	18
97.	गंगा शर्मा	सोहनापार	15
98.	ओमप्रकाश वर्मा	भाटपाररानी	15
99.	शंकर सिंह	खामपार	8
100.	चन्द्रदेव	ततावर	20

योग .. 1000 बोरी

एक हजार बोरी

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

(विकास खण्ड बिलरियागंज में वर्ष 1982–83 में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर चावल का वितरण (क्विन्टल में)

नाम समिति	जनसंख्या	अप्रैल 82	मई 82	जून 82	जुलाई 82	अगस्त 82	सित0 82	अक्टू0 82	नव0 82	दिस0 82	जन0 83	फर0 83	मार्च 83	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1–मन्दूरी सा0सह0स0लि0	6645	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	[यह समिति हरीराम
2–आखापुरमझरिया सा0सह0स0लि0	8885	..	..	..	..	..	..	18	..	..	..	..	..	पचखोरा से सम्बद्ध रही है]
3–गौरीनरायनपुर ,,	6451	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	15	..	
4–पचखोरा हरीराम ,,	8825	..	..	..	..	..	सम्बद्ध मन्दुरी	20	..	सम्बद्ध मन्दुरी	40	..	40	
5–मिरिया बिजुली ,,	8152	..	..	..	..	..	..	10	..	..	20	..	..	
6–बिलरियागंज	5709	..	..	..	..	..	..	10	..	..	20	..	15	
7–खानपुर ,, भगतपट्टी ,,	5664	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	..	
8–मदनपार ,,	7761	..	..	..	..	..	..	..	10	20	20	..	15	

9–अंबाडीह केशवपुर	„	8209	..	..	..	..	..	..	10	..	..	20	..	15
10–पतलागोसपुर		12842	..	..	..	..	..	50	20	20	20	60	30	30
11–पटबध कौतुक		10587	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	..	..
12–मगतपुर	„	6765	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	..
13–बनकटबाजार		11686	..	..	..	..	..	..	25	20	40	..	30	15
14–पिपरहा कोंखमार	„	5718	..	..	..	..	..	..	..	10	..	20	..	15
15–जयराजपुर बिन्दवल	„	8809	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	15	..
16–सियरहा उर्फ श्रीनगर सम्बद्ध बनकट बाजार	„	7956	..	..	..	..	..	..	45	..	..	40	..	..
17–जि0सह0संघ लि0, दुकान विलरियागंज टाउन		5459	..	..	..	..	..	100	..	..	..	125	125	355
योग		136123	..	..	..	..	..	150	190	60	100	385	215	500

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

विकास क्षेत्र अजमतगढ़ के नगरीय क्षेत्र की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरित किये/उठाये गये चावल का विवरण :

क्रम संख्या	नाम दुकान	स्थान	माह में वितरित चावल (क्विन्टल में)						
			अगस्त 83	सितम्बर 83	अक्टूबर 83	नवम्बर 83	दिसम्बर 83	जनवरी 84	फरवरी 84
1	साधन सहकारी समिति, अजमतगढ़	अजमतगढ़	..	36	36	54	54	54	54
2	केन्द्रीय उपभोक्ता सह0 भण्डार, अजमतगढ़	अजमतगढ़	52	52	..	52	45	44	47
3	साधन सहकारी समिति, जोयनपुर	जोयनपुर	51	51	51	..	76	76	76
		योग	103	139	87	106	175	174	177

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

विकास खण्ड हरैया में वर्ष 1982–83 में उपलब्ध कराया गया चावल का विवरण (मात्रा क्विन्टल में)

नाम समिति सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	जन संख्या	अप्रैल 82	मई 82	जून 82	जुलाई 82	अगस्त 82	सित0 82	अक्टू0 82	नव0 82	दिस0 82	जन0 83	फर0 83	मार्च 83	योग
1–हरैया साधन सहकारी समिति	7895	..	..	..	..	..	50	..	..	20	20	..	..	90
2–मैसाडू ,,	4300	..	..	..	..	50	50	..	..	..	20	..	..	12 0
3–वछउर खितलू ,,	5155	..	..	..	..	..	..	..	10	20	..	15	..	45
4–चकलालचन्द ,,	6285	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5–बालनरायन ,, मझरिया	5560	..	..	..	..	..	..	..	10	..	40	..	..	50
6–खुजौलीतालुका ,, नैनीजोर	6750	..	..	..	..	100	..	50	..	20	20	10	30	230
7–बांदपट्टी ,,	11350	..	..	..	..	50	50	10	..	20	50	..	30	210
8–करखिया रुस्तम सराय	8030	..	..	..	..	..	50	10	..	20	30	..	30	140
9–रौनापार ,,	10400	..	..	..	..	100	50	50	..	20	40	..	30	290
10–देवारा खास ,, राजा	4350	50	50	..	..	100	50	50	10	30	20	..	30	390

11–रामनगर कुकरौछी	4125	..	..	..	..	..	50	25	10	20	20	..	30	155
12–हैदराबाद ,,	6300	..	..	..	..	50	50	10	..	20	30	..	..	160
13–अजगरा मशर्की	5619	..	..	..	..	..	50	10	..	20	50	..	30	160
14–हाजीपुर ,,	7375	..	..	..	..	..	50	..	..	..	50	..	30	130
15–वरडीहा ,,	7250	..	..	..	..	..	..	..	..	20	..	..	..	20
16–रोहुआ खैदौली ,	6250	..	..	..	..	..	..	10	..	20	..	..	15	45
17–जोकहरा ,,	6715	..	..	..	..	..	25	..	..	20	20	..	..	65
योग ..	113709	50	50	..	..	450	525	225	40	270	410	25	255	2300

प्रति विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

प्रश्नगत अवधि में बरेली केन्द्र के सात व्यापारियों द्वारा गेहूं का अवैध निर्यात किया गया, जिसमें निम्नलिखित निरीक्षकों में उनके नाम के सम्मुख अंकित मात्रा में गेहूं लेवी में आफर किए जाने पर अस्वीकृत किया :—

निरीक्षक का नाम	लेवी में आफर किये जाने के बाद अस्वीकृत की गयी मात्रा (कुन्तल में)
1—श्री ओ0 पी0 वन्सल	16,254.5
2—श्री गेन्दन लाल	12,762.5
3—श्री ओ0 पी0 वर्मा	6,798.0
4—श्री एम0 सी0 त्यागी	5,270.0
5—श्री पी0 एन0 मिश्रा	4,927.0
6—श्री नाहर सिंह	2,554.5
7—श्री जे0 एस0 चौहान	1,947.5
8—श्री डी0 के0 शुक्ला	1,732.5
9—श्री झाझन लाल	927.5
10—श्री सी0 पी0 सिंह	512.5
योग ..	53,686.5

उक्त अवैध निर्यात की जानकारी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को नहीं थी, परन्तु दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 को इस अवैध निर्यात का संदेह होने पर उन्होंने इसकी विस्तृत जांच कराई जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को पूर्ण हुई । जांचोपरान्त दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को बरेली केन्द्र के 11 कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर चार्जशीट करने, दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 को सात फर्मों के लाइसेंस निलम्बित करने तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 को 6 कर्मचारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही की गई ।

नत्थी 'ब'

देखिए पीछे पृष्ठ 139 पर

(तालिका—1)

मास फरवरी, 1984 में ओला वृष्टि से हुई क्षति का विवरण :

क्रम-संख्या	जिले का नाम	ओलावृष्टि दिनांक	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रभावित कृषिगत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जीवन हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	फसलों की प्रतिशत हानि	कुल हानि (लाख रु० में)
						मनुष्य	पशु			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	मुजफ्फरनगर	19/20-2-84	693	66,352	33,574	1	—	5	10 से 75%	20.00
3	मेरठ	19-2-84	321	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	गाजियाबाद	19-2-84	159	—	—	,,	,,	,,	10 से 25%	—
5	बुलन्दशहर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
6	अलीगढ़	17-2-84	152	14,777	13,783	1	5	,,	10 से 80%	128.78
7	मथुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	आगरा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
9	मैनपुरी	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
10	एटा	17-2-84	423	55,243	44,122	,,	,,	,,	10 से 75%	173.02

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	बरेली	19/20-2-84	66	27,612	12,975	शून्य	शून्य	शून्य	10 से 80%	25.00
12	बदायूं	18/20-2-84	शून्य	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
13	शाहजहांपुर	17/19/20-2-84	138	20,514	14,696	,,	,,	,,	25 से 30%	130.28
14	पीलीभीत	19/20-2-84	14	1,500	1,180	,,	,,	,,	50 से 80%	10.00
15	मुरादाबाद	17/20-2-84	1,229	16,6306	72,964	,,	,,	,,	20 से 50%	168.56
16	रामपुर	18/20-2-84	201	44,710	28,095	,,	,,	,,	10 से 80%	136.00
17	बिजनौर	—	—	—	—	—	—	—	30 से 50%	—
18	फर्रुखाबाद	17-2-84	254	32,551	32,041	शून्य	शून्य	शून्य	50 से 74%	239.49
19	इटावा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
20	कानपुर नगर	15-2-84	179	18,521	9,390	,,	,,	,,	50% से अधिक	163.00
21	कानपुर देहात	17-2-84	93	1,404	1,404	,,	,,	,,	10 से 50%	10.75
22	फतेहपुर	17/18-2-84	28	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
23	इलाहाबाद	18/19-2-84	422	26,935	17,708	,,	,,	,,	40 से 50%	200.00
24	बांदा	19/21-2-84	374	44,498	44,498	1	शून्य	शून्य	10 से 75%	224.53
25	हमीरपुर	15/17-2-84	186	22,068	17,720	शून्य	6	,,	10 से 75%	73.92
26	झांसी	17-2-84	119	32,169	19,665	,,	17	322	50 से 100%	172.99
27	ललितपुर	17/18-2-84	5	135	135	,,	शून्य	शून्य	10%	0.20
28	जालौन	17-2-84	14	526	137	,,	,,	,,	10%	0.14
29	वाराणसी	18/20-2-84	25	225	225	,,	,,	,,	30%	1.25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30	मिर्जापुर	18/19-2-84	28	3,298	1,439	,,	,,	,,	5 से 40%	4.52
31	जौनपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	गाजीपुर	18/21-2-84	2,017	65,845	51,810	शून्य	शून्य	शून्य	25%	155.41
33	बलिया	19/21-2-84	163	5,852	3,495	,,	,,	,,	5 से 40%	15.61
34	गोरखपुर	19/20-2-84	36	1,927	921	,,	,,	,,	40 से 60%	18.00
35	बस्ती	18/20-4-84	142	15,124	2,998	,,	,,	,,	25%	23.48
36	आजमगढ़	18/19-2-84	136	9,206	9,206	,,	,,	,,	50%से अधिक	9.31
37	देवरिया	19-2-84	65	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
38	नैनीताल	18/21-2-84	1,232	88,046	38,647	,,	,,	13	10 से 80%	564.72
39	अल्मोड़ा	18/20-2-84	11	343	343	,,	,,	शून्य	20 से 75	3.32
40	पिथौरागढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
41	चमोली	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
42	उत्तरकाशी	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
43	गढ़वाल	12/20-2-84	30	263	456	,,	,,	30	20 से 30%	2.04
44	टिहरी-गढ़वाल	17/20-2-84	205	17,750	3,600	,,	,,	4	25%	15.00
45	देहरादून	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
46	लखनऊ	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
47	उन्नाव	17-2-84	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,	2%	0.85
48	रायबरेली	18-2-84	74	4,303	4,303	,,	,,	,,	60 से 74%	45.31
49	सीतापुर	18-2-84	45	1,800	1,350	,,	,,	,,	10%	0.68
50	हरदोई	17/19-2-84	359	86,813	49,339	,,	,,	,,	25%	56.42

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51 सीतापुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
52 फैजाबाद	18/20-2-84	447	45,627	29,458	,,	,,	,,	3 से 100%	233.55
53 सीतापुर	16/20-2-84	शून्य	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य
54 बहराइच	19-2-84	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
55 सुल्तानपुर	18/20-2-84	423	81,527	28,793	,,	,,	,,	20 से 60%	468.93
56 प्रतापगढ़	11/18/19-2-84	846	1,37691	46,588	,,	10	553	15 से 100%	455.99
57 बाराबंकी	17/18-2-84	161	64,997	44,712	,,	शून्य	शून्य	10 से 40%	69.35
	योग ..	11,530	11,79,523	6,81,770	38	38	927	—	4,011.60

तालिका—2

मास दिसम्बर, 1983 तथा जनवरी, 1984 में ओला वृष्टि से हुई क्षति का विवरण :

क्रम-संख्या	जिले का नाम	ओलावृष्टि दिनांक	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रभावित कृषिगत क्षेत्रफल (हे0 में)	जीवन हानि		क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	फसलों की हानि प्रतिशत में	क्षति (लाख रु0 में)
						मनुष्य	पशु			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	मुजफ्फरनगर	25-12-83 16-1-84	26	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
3	मेरठ	16-1-84	35	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4	गाजियाबाद	15/16-1-84	शून्य	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
5	बुलन्दशहर	शून्य	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
6	अलीगढ़	15/16-1-84	,,	,,	,,	1	,,	,,	,,	,,
7	मथुरा	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	,,	,,	,,	,,
8	आगरा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
9	मैनपुरी	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
10	एटा	16/17-1-84	—	—	—	—	—	—	5से 20	—
11	बरेली	15-1-84	294	9472	3152	शून्य	शून्य	शून्य	10 से 15	1.65

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	बदायूं	15–1–84	8	717	595	शून्य	शून्य	शून्य	25	1.20
13	शाहजहांपुर	15/16–1–84	164	25401	15611	,,	4	,,	50	281.84
14	पीलीभीत	16–1–84	23	7256	250	,,	शून्य	,,	20 से 25	0.10
15	रामपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,	शून्य	,,	शून्य	शून्य
16	मुरादाबाद	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
17	बिजनौर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
18	फर्रुखाबाद	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
19	इटावा	15–1–84	147	10094	3344	,,	,,	,,	10 से 40	20.80
20	कानपुर नगर	15–1–84	179	—	—	—	—	—	15 से 85	163.25
21	कानपुर देहात	द्वितीय सप्ताह जनवरी	190	—	—	—	—	—	5 से 100	—
22	फतेहपुर	14/15–1–84	153	8191	761	शून्य	शून्य	शून्य	5 से 15	12.73
23	इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24	बांदा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
25	हमीरपुर	15–1–84	—	—	—	—	—	—	—	—
26	झांसी	15–1–84	29	2156	1481	शून्य	शून्य	शून्य	10 से 25	0.52
27	जालौन	13/15–1–84	446	96189	94597	,,	शून्य	शून्य	40	337.20
28	ललितपुर	15–1–84	26	4375	4375	,,	,,	,,	10	0.50
29	वाराणसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,	,,	,,	शून्य	शून्य

30	मिर्जापुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
31	जौनपुर	16-1-84	54	—	—	—	—	—	—	—
32	गाजीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33	बलिया	27-12-83	18	1262	1080	,,	,,	,,	25	0.14
34	गोरखपुर	जनवरी द्वितीय सप्ताह	125	7278	2950	,,	,,	,,	20 से 55	54.00
35	बस्ती	16-1-84	115	10315	—	—	—	—	—	—
36	आजमगढ़	15/16-1-84	634	28380	17575	—	—	—	25	42.38
37	देवरिया	16/17-1-84	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
38	नैनीताल	शून्य	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
39	अल्मोड़ा	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
40	पिथौरागढ़	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
41	चमोली	शून्य	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
42	उत्तरकाशी	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
43	गढ़वाल	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
44	टिहरी-गढ़वाल	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
45	देहरादून	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
46	लखनऊ	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
47	उन्नाव	15-1-84	22	320	45	,,	,,	,,	15 से 20	0.32
48	रायबरेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
49	सीतापुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
50	हरदोई	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	खीरी	16-1-84	60	11521	7,757	शून्य	शून्य	शून्य	20 से 50	74.92
52	फैजाबाद	15/16-1-84	817	103349	65,799	,,	,,	,,	25 से 80	267.15
53	गोंडा	16-1-84	181	27699	27,699	,,	,,	,,	25 से 80	शून्य
54	बहराइच	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	,,			शून्य	शून्य
55	सुल्तानपुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
56	प्रतापगढ़	15-1-84	210	17556	17556	,,	,,	,,	25 से 90	—
57	बाराबंकी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	..	3956	371431	264527	1	4	—	—	1258.78

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—10 वि0 स0—19 4-1984—813 प्रतियां (लाइनों)